सोमवार, २९ नवंबर १९५४

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अंक १३—गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक सभा

सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पर्यटन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

*४३९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हाल ही में मसूरी में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस में भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रदर्शनी में पर्यटकों के लिये रुचिकर किसी प्रकार का साहित्य वितरित किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां । अक्टूबर, १९५४ में मसूरी में एक साहित्यिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ।

(ख) जर्मनी, हालैण्ड, फ्रांस, इटली, सोवियत गणराज्य संघ , अमरीका, स्विटजरलैंड, पाकिस्तान और भारत ।

(ग) विदेशों के राजदूतालयों ने मुक्त वितरण के लिये कुछ साहित्य दिया था । वह विशेष रूप से पर्यटन से सम्बन्धित नहीं था ।

परिवहन मंत्रालय द्वारा भी कुछ पर्यटन साहित्य मसूरी में उत्सव समिति को दिया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : क्या प्रदर्शनी में निमंत्रण उन सभी देशों को दिया गया, जिन के प्रतिनिधि यहां हैं, अथवा यह कुछ देशों तक ही सीमित था ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह प्रदर्शनी शरदोत्सव समिति मसूरी के अवैतनिक मंत्री द्वारा नियोजित की गई थी तथा हमें निमंत्रण देने के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना था ।

सरदार हुक्म सिंह : किस देश ने उस प्रदर्शनी में सब से अधिक साहित्य का प्रदर्शन किया ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह उत्सव एक स्थानीय समिति के द्वारा संयोजित किया गया था तथा हम ने उस में अधिक रुचि नहीं ली ।

हैफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई

*४४०. **श्री वी० पी० नायर:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैफकिन इंस्टीट्यूट बम्बई ने इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ संश्लिष्ट औषधियां तथा मलेरिया विरोधी औषधियां, जिन में प्रोगुआनिल हाइड्रोक्लोराइड (पेल्यूड्रोन)

भी शामिल है निर्मित करने के लिये एक करार किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस करार की एक ति सभा-पटल पर रखेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) हैफकिन स्ट्रीइयूट बम्बई ने **इम्पीरियल** कैमिकल इंडस्ट्रीज़, लिमिटेड **इंगलैंड** के साथ, केवल प्रोगुआनिल ५—हाइड्रोक्लोराइड (पैल्यूड्रीन) तथा उसके लवणों के निर्माण की अनुज्ञप्ति के लिये करार किया है न कि अन्य संश्लिष्ट औषधियों तथा मलेरिया विरोधी औषधियों के निर्माण के लिये ।

(ख) सभा-पटल पर करार की एक प्रति रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—४३२।५४]** ।

श्री वी० पी० नायर : इस करार पर जून १९५४ को हस्ताक्षर हुए हैं । औषधि-निर्माण जांच समिति में एक निश्चित वक्तव्य दिया गया है कि हैफकिन इंसटीट्यूट, बम्बई, जिन्हें पेल्यूड्रीन के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, ने सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग के अभाव में काम को जारी रखना असम्भव था । क्या भारत सरकार जैसा कि हैफकिन इंसटीट्यूट ने संकेत किया है, पैल्यूड्रीन के निर्माण का कार्य स्वयं लेने वाली है ?

राजकुमारी अमृत कौर : हैफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई, सरकार के प्रशासन नियंत्रण के अधीन है इसलिये केन्द्रीय सरकार का उस के प्रशासन में हस्तक्षेप करना असम्भव है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़, लिमिटेड, इंगलैंड तथा भारत सरकार के मध्य करार में पैल्यूड्रीन के निर्माण की सीमा केवल दस लाख पौंड रख दी गई है, तथा क्या सरकार इस के निर्माण को हथियाने के बावजूद इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ को यह भी अधिकार देगी कि वे जब तथा जिस प्रकार, चाहें इस का निर्माण करें ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह करार भारत सरकार तथा कम्पनी के बीच नहीं हुआ किन्तु बम्बई सरकार तथा कम्पनी के बीच है । करार के अधीन निर्मित उत्पादों को, नियमित व्यापार मार्गों द्वारा बेचा तथा संभरित नहीं किया जायेगा । यह सच है कि राज्य सरकार एक वर्ष में दस हज़ार पौंड से अधिक प्रोगुआनिल—५. हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग, बिक्री तथा संभरण नहीं कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से करार की एक प्रति सभा-पटल पर रख देना अधिक अच्छा होगा ।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने सभा-पटल पर एक प्रति पहले ही रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : वे करार की मदों के सम्बन्ध में, न पूछें बल्कि और कोई जानकारी मांगें ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मलेरिया विरोधी कार्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व के रूप में लिया गया है, भारत सरकार ने प्रोगुआनिल हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व, बम्बई सरकार से, इम्पीरियल केमिकल इंसटीट्यूट तथा उन के बीच हुए करार का मसौदा प्रस्तुत करने को कहा है ।

राज कुमारी अमृत कौर : हमें यह सूचना नहीं थी कि बम्बई सरकार ऐसा करार करने वाली हैं । पहिली सूचना हमें तब प्राप्त

हुई जब कि हमें करार की एक प्रति मिली थी ।

दिल्ली परिवहन सेवा का वर्कशाप

***४४१. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा के लिये वर्कशाप के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक इस पर कितना व्यय हुआ है ; तथा

(ग) वर्कशाप कब तक निर्मित हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शानहवाज़ खां) : (क) वर्कशाप की इमारत तो बनाई जा चुकी है ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक इमारत पर, जिस में एक डीपो भी शामिल है, ७ लाख रुपया व्यय हुआ था । इस में जमीन की कीमत नहीं जोड़ी गई है ।

(ग) वर्कशाप दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या कारीगरों की संख्या बढ़ाई जायेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह वर्कशाप को कुशलता पूर्वक चलाने की आवश्यकता पर निर्भर है ! हम ने ये छोटी बातें प्रबन्ध अधिकारी पर छोड़ दी हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या ७ लाख रुपया केवल इमारत पर व्यय हुआ है ? क्योंकि प्रधिकार के १९५२-५३ के प्रतिवेदन के अनुसार वर्कशाप में २० लाख रुपया व्यय होना था ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य कुछ गलत आंकड़े बता रहे हैं । वर्कशाप के निर्माण का कुल व्यय १२ लाख होगा जिस में से हम ७ लाख रुपया खर्च कर चुके हैं ? हम इस वर्ष ५०,००० रूपये के मूल्य की मशीनें क्रय कर रहे हैं ।

जन-संख्या नियंत्रण

***४४३. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में जनसंख्या के नियंत्रण के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ;

(ख) सरकार द्वारा, जो तीन प्रयोगात्मक योजनायें दो दिल्ली तथा एक मैसूर, में प्राम्भ की गई थीं, क्या उन का कार्य समाप्त हो चुका है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाली एक टिप्पणी सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : विवरण से यह ज्ञात होता है कि परिवार आयोजन गवेषणा समिति की सिफारिश पर ४,२५,००० रुपया स्वीकृत किया गया है । इस राशि में से हैदराबाद को कितना दिया गया ?

राजकुमारी अमृत कौर : हैदराबाद की परिवार आयोजन संथा को १४,८८४ रुपये प्राप्त हुए हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं इस समिति की दूसरी सिफारिशों को जान सकता हूं ?

राज कुमारी अमृत कौर : समिति की सिपारिशें सभा-पटल पर रखी गई हैं

कई अन्य सिफारिशें भी ह जिन में अधिकांश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चारक : जिन राज्यों को यह धन राशि ी गई ह उन्होंन अब तक क्या कार्य किया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझ अभी तक राज्यों से सूचना नहीं मिली ै क्योंकि न हाल में ही दिया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या समाचार-पत्र की यह खबर सब नहीं ह कि जन-संख्या विशेषज्ञों का जो सम्मेलन रोम म १९५३ में हुआ था तथा जिस में भारत ने भी भाग लिया था उसन परिवार आयोजन को जन-संख्या निमंत्र की एक प्रभावशाली तरकीब के रूप में न मान कर उसे चर्चा की सीमा में बाहर रखा । क्या ारत के ति-निधि ने, यदि कोई था तो, सरकार को इस सम्बन्ध ें अपना तिवेदन स्तुत किया था ?

राज कुमारी अमृत कौर : मेरे विचार से क प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, तथा, जहां तक ुझे स्मरण है, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं ।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन

***४४५. श्री डाभी :** क्या रेलवे मंत्री १२ फर्वरी, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक भाव-नगर-तारापुर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : क्या जिन व्यक्तियों अथवा संगठनों ने इस लाइन के निर्माण के विरुद्ध विरोध प्रगट किया था उन्होंने अब अपने विरोध वापस लिये हैं ?

श्री अलगेशन : इस लाइन के निर्माण के पक्ष तथा विरोध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मेरे पास उन संगठनों के नाम नहीं हैं जिन्होंने अपना मत प्रगट किया है । कुल ५४ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिन में से १५ पक्ष में तथा ३९ विपक्ष में थे । जो लोग इस परियोजना के विरोधी थे, उन्होंने वैक-ल्पित परियोजनायें प्रस्तुत की थीं ।

श्री डाभी : इस मामले में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : इस के साथ ही दूसरी लाइनों के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है, और जब सब सर्वेक्षणों की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेंगी तब इस पर निर्णय हो सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सो० बोस--अनुपस्थित ।

श्री झूलन सिंह : श्रीमान्, मेरे पास उन का प्रश्न करने का लिखित प्राधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यह अन्त में होगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

***४५१. चौ० रघुवीर सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों ने अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का स्वागत किया है ;

(ख) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी इस योजना का विस्तार करने का विचार है, और

(ग) किन किन राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) सरकारी कर्मचारियों ने सामान्यतः इस योजना का स्वागत किया है ।

(ख) इस समय नहीं ।

(ग) अभी तक किसी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये ऐसी योजना चालू नहीं की है ।

चौ० रघुबीर सिंह: क्या यह योजना सब प्रकार के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है ?

राजकुमारी अमृतकौर: जी हां दिल्ली में रहने वाले सब प्रकार के सरकारी कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

चौ० रघुबीर सिंह: इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधायें दी गई हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर: कर्मचारियों के उपचार के लिये औषधालय हैं । वे अस्पताल में भर्ती होकर, प्रतिदिन आकर तथा घर पर रह कर भी अपना और, अपने कुटुम्बियों का इलाज करा सकते हैं ।

श्री केलप्पन: क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत डाक्टर को लिखी हुई दवाई का खर्च स्वयं देना पड़ता है, और सरकारी भण्डारों से केवल एकस्वीकृत औषधियां ही दी जायेंगी ?

राजकुमारी अमृतकौर: नहीं श्रीमान्, यदि माननीय सदस्य किसी औषधालय को जाकर देखें, तो उन को ज्ञात होगा कि वहां औषधियों का अच्छा भंडार है, और डाक्टर को उनका खर्च नहीं देना पड़ता है ।

सरदार हुक्म सिंह: इन कर्मचारियों का अंश कैसे नियत किया जाता है ? क्या वेतन का कुछ प्रतिशत दिया जाता है अथवा कुछ रकम नियत कर दी गई है जो कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत देनी पड़ती है ।

राजकुमारी अमृतकौर: यह एक नियत रकम है और कई बार सभा पटल पर तत्सम्बंधी पत्र रखे जा चुके हैं । इस का चंदा कम से कम वेतन पानें वाले कर्मचारियों के लिये ८ आनेप्रतिमास से ले कर अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये १२ रु० प्रति मास तक है ।

जोनल वापसी टिकट

***४५२. सेठ गोविन्द दास:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि किन किन महाखंडों (ज़ोनों) में १९५४ में जोनल वापसी टिकट प्रचलित किये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): १९५४ में रेलवेज़ द्वारा कोई जोनल वापसी टिकट प्रचलित नहीं किये गये, किन्तु ग्रीष्म ऋतु में अनेक पहाड़ी स्टेशनों को दिये जाने वाले रियायती टिकटों के अतिरिक्त १९ मामलों में मेलों के सम्बन्ध में रेलवेज़ ने रियायती वापसी टिकट जारी किये थे । दी गई रियायत की सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१**]

सेठ गोविन्द दास: क्या अगले साल इस तरह के कोई ज़ोनल टिकट दिये जाने का इरादा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूं कि कोई ज़ोनल टिकट नहीं दिये जाते ।

सेठ गोविन्द दास : मैं पूछ रहा हूं कि अगले साल ऐसे टिकट दिये जाने का कोई विचार है या नहीं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई ऐसा इरादा नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो सस्ते टिकट कुछ स्थानों पर दिये गये हैं, उन के लिये क्या इस बात का कोई ख्याल रखा गया है कि यह सब रेलों में दिये जायें या किन्हीं खास खास रेलों में ही दिये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह तो जिन जिन मुकामात पर लोग जाना चाहते हैं, खासकर जो हिलस्टेशनस हैं, उन की अहमियत को देख कर दिये जाते हैं, रेलवे के मुताबिक नहीं।

मोकामा का पुल

***४५४. श्री झूलन सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस अभिकरण अथवा अभिकरणों को मोकामा के पुल का निर्माण कार्य सौंपा गया है ;

(ख) कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या यह सच है कि ऊंचे किस्म के लोहे के सामान के अभाव में निर्माण-कार्य की गति धीमी हो गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) मोकामा के पुल का निर्माण-कार्य गंगा पुल निर्माण समवाय नामक एक भारतीय मिली जुली कम्पनी को सौंपा गया है ।

(ख) ब्याज को निकाल कर १४·६२ करोड़ रुपये ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

श्री झूलन सिंह : क्या यह सच है कि कुछ काम विभागीय रूप से भी किया जा रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जी हां ; इसका कुछ भाग विभागीय रूप से भी बनाया जा रहा है ।

श्री झूलन सिंह : विभाग तथा ठेकेदारों के दो अभिकरण साथ साथ रख कर सरकार को क्या फायदा होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, गंगा के आर-पार पुल बनाने का काम बहुत बड़ा है और यह संभव नहीं है कि एक ही अभिकरण सारा काम पूरा कर सके ; अतः, काम को बांटना पड़ा है ।

श्री झुलन सिंह : क्या काम पूरी गति से चल रहा है ।

श्री शाहनवाज़ खां : काम संतोषजनक गति से चल रहा है । हमें खंबों के गाड़ने में कुछ परेशानी अवश्य हुई थी । ठेकेदार अपेक्षित मात्रा में सामान की पूर्ति नहीं कर सके और हमें उनका ठेका खत्म कर देना पड़ा। अब हमने यह ठेका दूसरे को दे दिया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मोकामा के पुल का कुछ काम निकट भविष्य में किसी विदेशी निर्माण समवाय को भी सौंपा जाने वाला है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैंने बताया, एक सार्थ को ठेका पहले ही दिया जा चुका है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं, कि क्या काम का कुछ भाग किसी विदेशी समवाय को भी सौंपा जाने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : वे प्रारम्भ में बता चुके हैं कि यह काम एक भारतीय मिली-जुली कम्पनी को सौंप दिया गया है ; अतः विदेशी सार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कार्मिक संघ

***४५५. श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय प्रत्येक रेलवे पर एक से अधिक कार्मिक संगठनों को मान्यता प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे पर ऐसे कितने संगठन हैं ;

(ग) दक्षिणी रेलवे कार्मिक संघ को मान्यता के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) रेलवे कार्मिक संघों को मान्यता देने की क्या कसौटी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). इस समय केवल पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण रेलवेज पर ही एक से अधिक संघों को मान्यता प्राप्त है । पूर्वोत्तर रेलवे पर इन की संख्या २, पूर्व रेलवे पर ५ और दक्षिण रेलवे पर ३ है ।

(ग) और (घ). कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि इस समय सरकार का उन संघों के अतिरिक्त, जो कि पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मिला कर बनाये गये या एक या दो उन संघों को छोड़ कर जो पहले से ही अभिज्ञात हैं, किसी को भी मान्यता प्रदान करने का विचार नहीं है, क्योंकि इस निर्णय का ध्यान रखा जाता है कि केवल भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ के साथ ही मंत्रालय, स्तर पर संबंध रखा जाये ।

श्री नम्बियार : क्या एक ऐसे संघ से जो कि कार्मिक संघ अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध है और अनेक वर्षों से काम कर रहा है, केवल इस आधार पर कि वह अभिज्ञात नहीं है, भेद भाव किया जाता है ।

श्री अलगेशन : निस्संदेह, श्रीमान् ; हम ऐसे संघ से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो मान्यता प्राप्त नहीं है । यह 'भेद-भाव' नहीं है ; अपितु 'अभिज्ञात न होना' है ।

श्री नम्बियार : क्या मान्यता के लिये प्रत्येक संघ को सदस्य संख्या की ओर भी ध्यान दिया जाता है, या केवल इसी बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि वह रेल कर्मचारी संघ से सम्बद्ध है या नहीं ?

श्री अलगेशन : सदस्य संख्या, की ओर अवश्य ध्यान दिया जाता है ।

श्री नम्बियार : क्या प्रत्येक संघ की सदस्य संख्या के दावों का निश्चय करने के लिये सरकार लोगों का मत लेती है ?

श्री अलगेशन : नहीं, श्रीमान् ; दावों की जांच की जाती है, और हम उन परीक्षित आंकडों को ही लेते हैं। मतदान लेने का कोई विचार नहीं है । किन्तु सदस्य संख्या ही एकमात्र कसौटी नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारा और संघों को मान्यता देने का विचार नहीं है । यद्यपि तीन रेलवेज पर केवल एक ही संघ को मान्यता प्राप्त है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या रेलवे मंत्रालय के पास संचार मंत्रालय द्वारा अपनाये गये ढंगों पर कार्मिक संघों के पुनर्गठन की कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः, संचार मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से ही यह सूत्र लिया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : रेलवे उप-मंत्री ने अभी कहा कि संचार मंत्रालय ने यह सूत्र रेलवे मंत्रालय से ही लिया है। किन्तु, डाक कार्मिक संघों का पुनर्गठन लोक-तंत्रात्मक आधार पर किया गया था जब कि रेलवेज़ में ऐसा नहीं किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं, कि क्या पूर्व रेलवे के तीन संघों को मान्यता एकीकरण के पूर्व दी गई थी अथवा बाद में ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः जिन संघों को मान्यता प्राप्त नहीं है उन्होंने भी इस नीति का अनुमोदन किया है। जहां तक मुझे मालूम है, अन्य संघ भी, जो कि इस समय अभिज्ञात नहीं हैं, मुख्य संघ से मिलने की बात चला रहे हैं। दक्षिण रेलवे पर भी वह संघ—श्री निम्बयार जिसके प्रतिनिधि हैं, और जिस से उन का घनिष्ट सम्बन्ध है, मुख्य संघ से बातचीत कर रहा है। मुझे यह ज्ञात हुआ है।

श्री नम्बियार : एक प्रश्न और।

अध्यक्ष महोदय : मैं और किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

अगला प्रश्न।

कृषि मूल्य जांच समिति

*४५७. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि मूल्य जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस की सिफारिशों की कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख): (क) और (ख). हां, श्रीमान्। प्रतिवेदन की दस प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) भारत सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दी हैं।

श्री एच० एन० मकर्जी : क्या यह सच है कि जिन केंद्रों में आंकडे इकट्ठे किये जाते हैं उन के गलत चुनाव के कारण, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मूल्यों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में वैध परिणाम नहीं निकाले जा सकते ?

डा० पा० एस० देशमुख : यह सच है, श्रीमान्। मैं कमी को उसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, परन्तु अवस्था संतोषप्रद नहीं है और इस में सुधार की आवश्यकता है।

गाड़ियों में चोरियां

*४५८. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, १९५४ के पहले पखबारे में दक्षिणी बिहार विभाग के वजीरगंज तथा जामूवान रेलवे स्टेशनों के बीच कोई माल गाड़ी रोकी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अपराधियों ने गाड़ी से बहुत सी बोरियां उड़ा ली थी ;

(ग) इस गाड़ी को कितने समय तक रोके रखा गया ; और

(घ) उन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार के पास ऐसी किसी गाड़ी के रोके

जाने की घटना की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान अभी एक मास पूर्व इस बात की ओर दिलाया गया था कि गाड़ी रोके जाने की बड़ी घटना घटी है और कई घंटों तक गाड़ी को रोके रखा गया और घंटों लूट जारी रही और किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमें ऐसी किसी घटना का पता नहीं है ।

भारत-चीन व्यापार करार

*४६२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के भारत-चीन व्यापार करार के अन्तर्गत भारत से चीन को कितने चावल का निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) क्या सारा चावल १९५४–५५ में ही निर्यात किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) . हाल ही के भारत चीन व्यापार करार के अन्तर्गत, दोनों सरकारों द्वारा कतिपय वस्तुओं के जिन में चावल भी सम्मिलित है, आयात तथा निर्यात की सुविधायें उन विधियों तथा विनियमों के अधीन जो, दोनों देशों में इस समय लागू हैं, दी जायेंगी । भारत सरकार ने चीन को किसी निश्चित मात्रा में चावल देने का कोई वचन नहीं दिया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यदि चीन भारतीय चावल खरीदेगा तो उसे उस का क्या मूल्य देना पड़ेगा और यह बाज़ार भाव की तुलना में कैसा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारा समझौता चीन के लेखे में तिब्बत को २,५०० टन चावल निर्यात करने का है और यह समझौता किया गया है कि ५० पौंड १५ शिलिंग प्रति टन की दर से चीन को चावल दिया जाये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या चीन को यह चावल वस्तु-विनिमय के आधार पर भेजा जाना है और यदि हां, तो हमें चावल के बदले और क्या वस्तुएं प्राप्त होंगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह समझौता वस्तु विनिमय के आधार पर नहीं हुआ है । चीन ने नकद भुगतान करना स्वीकार किया है और उन्होंने इम्पीरियल बैंक, कलकता में हिसाब भी खोल लिया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह चावल की प्रथम खेप का निर्यात है, यदि हां, तो इस वर्ष सरकार का कुल कितने चावल का निर्यात करने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम २ से ३ लाख टन तक चावल का निर्यात करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास चावल की पर्याप्त मात्रा है, किन्तु कठिनाई यह है कि कोई देश खरीदने को तैयार नहीं है । हम विक्रय के लिये थोड़ी देर में पहुंचे और अब तक सारे आयात करने वाले देशों ने निर्यात करने वाले देशों से समझौता कर लिये हैं । इस वर्ष तो हम विलम्ब कर गये, परन्तु अगले वर्ष से मेरे विचार में हम पर्याप्त मात्रा में निर्यात कर सकेंगे ।

काश्मीर से रेलवे सम्बन्ध

*४६५. **श्री केश वैयंगार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत

से काश्मीर राज्य को रेलवे द्वारा मिलाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : पहले तो माधोपुर से लखनपुर और उस के बाद कठुआ तक रेलवे लाइन बनाने के लिये सर्वेक्षण करने का विचार है ।

श्री केशवैयंगार : क्या जम्मू और श्रीनगर को रेल द्वारा मिलाने की सरकार की कोई योजना है ।

श्री अलगेशन : यदि ऐसा विचार कभी हुआ भी तो बहुत बाद में होगा। हम ने पठानकोट से माधोपुर तक लाइन के निर्माण की तो मंजूरी दे दी है । हमारा विचार यह है कि इसे माधोपुर से लखनपुर तक ले जाया जाये और फिर वहां से कठुआ तक ?।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माधोपुर और लखनपुर के बीच कितना अन्तर है ?

श्री अलगेशन : अन्तर तो कोई अधिक नहीं है परन्तु मार्ग में एक नदी पड़ती है, और हमें नदी के ऊपर एक पुल बनाना है, अतः सर्वेक्षण में पर्याप्त समय लगेगा ।

डाक व तार निदेशालय, उड़ीसा में चोरी

*४६७. **श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५४ में उड़ीसा के डाक व तार विभाग के निदेशक के कार्यालय के भण्डार गृह में चोरी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो चोरी हुई सम्पत्ति का मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें दंड दे दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । वास्तव में चोरी अगस्त, १९५४ में हुई थी ।

(ख) (लगभग) ५६० रुपये ।

(ग) अपराधियों को पकड़ लिया गया है और अभी उन पर अभियोग चल रहा है । विभागीय जांच भी की जा रही है ।

श्री संगण्णा : यह चोरी रात को हुई थी अथवा दिन में ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें अगले प्रश्न को लेना चाहिये ।

कलकत्ता पत्तन

*४६८. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन को भागीरथी, जलांगी और मठभंगा नदियों में मिट्टी के बैठने के कारण हानि पहुंचने का भय है ;

(ख) क्या सरकार ने कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों की विचारित रायें इस सम्बन्ध में प्राप्त कर ली हैं ;

(ग) क्या इन तीनों नदियों में ऊपर अधिक जल संभरण करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ये क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : (क) हुगली नदी के बहाव में कुछ खराबी के लिये चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो हुगली नदी की ऊपरी तथा नीचे की दोनों सहायक नदियों से बारह मास कम जल छोड़े जाने के कारण और प्राकृतिक ज्वार भाटे के आने के कारण हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). विषय अभी विचराधीन है। अभी नौवहन योग्य गहराइयों को बड़े पैमाने पर नदी की खुदाई कर के बनाये रखा जा रहा है। नदी के बहाव पर नियंत्रण का काय भी, जो कि किसी सीमा तक इस में सहायक होंगे, भी आरम्भ किये गये हैं।

श्री टी० के० चौधरी: क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रस्थापित गंगा बन्ध योजना पर विचार किया है, जिस के अनुसार भागीरथी नदी की नहर में २०,००० कासेक बहाव की गति के रेत रहित पानी का विकास इस समस्या को कुछ सीमा तक हल कर देगा ?

श्री अलगेशन: यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री टी० के० चौधरी: क्या इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कोई बातचीत की है, क्योंकि गंगा बन्ध योजना से पाकिस्तान की सीमा के निकट गंगा के बहाव पर प्रभाव पड़ेगा और क्या पाकिस्तान सरकार का रूख जान लिया गया है ?

श्री अलगेशन: मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ; संभवत: जो मंत्रालय इस कार्य को कर रहा है वह स का उत्तर दे सके। मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री मेघनाद साहा : माननीय मंत्री के इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए कि नौवहन योग्य गहराई रखी जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि कलकता पत्तन में अधिक से अधिक कितने बड़े जहाज़ आ सकते हैं ?

श्री अलगेशन: सब समय ये नहीं आ सकते, किन्तु जब ज्वार अनुकूल हो तब जहाज़ों के आने के लिये अधिक से अधिक गहारई लगभग २६ फ़ुट है।

श्री मेघनाथ साहा : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री के० टी० चौधरी: क्या कलकत्ता पत्तन अधिकारियों ने सरकार का ध्यान हुगली नहर में दामोदर नदी के नियंत्रित जल प्रवाह कारण आने वाले खतरे की ओर दिलाया है ?

श्री अलगेशन: इस पर एक समिति ने विचार किया था और उस का यह कहना है कि दामोदर घाटी का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा यद्यपि यह सम्भवत: पानी का मार्ग बदल दे।

चिकित्सा सम्बन्धी उच्च शिक्षा की संस्था

***४७१. श्री रणदमन सिंह : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा तथा उच्च शिक्षा की संस्था की, जिस का उपबन्ध पंचवर्षीय योजना में किया गया है, स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक जो प्रगति हुई है उसे दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]**

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह कब तक काम आरंभ करेगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : यदि सब ठीक रहा तो आशा है कि कुछ स्नात्तकोतर, अध्ययन अगले वर्ष से आरंभ हो जायेंगे और अवर स्नातक कालेज १९५६ में खुल जायेगा।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक पद्धतियों का सवाल है वहां तक किस किस पद्धति की शिक्षा इस में प्रचलित होगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : यहां तो मार्डन मैडिसन की ही शिक्षा होगी ।

रेलवे स्टेशनों के नाम

*४७४. **श्री वीरस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाड में रेलवे स्टेशनों के हिन्दी नाम द्रविड़ संघ द्वारा मिटाये जाने के पश्चात् पुनः लिखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन नामों को पुनः लिखवाने पर कितना व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) व्यय की ठीक ठीक राशि नहीं बताई जा सकती, क्योंकि यह कार्य नियमित रूप से होने वाली छोटी-मोटी मरम्मत और संधारण के साथ किया गया था। किन्तु यह राशि बिल्कुल नगण्य सी है ।

श्री वीरस्वामी : भारत सरकार दक्षिण में लोगों की भावनाओं के विरुद्ध रेलवे स्टेशनों के नाम हिन्दी में पुनःलिखने का आग्रह क्यों कर रही है और सरकारी निधि को क्यों व्यर्थ नष्ट कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री राघवैया : सरकार इस बात का ध्यान रखने का कष्ट क्यों नहीं करती कि कतिपय स्थानों पर इस प्रकार नाम न मिटायें जायें ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति : फिर वही बात पूछी जा रही है ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि यदि इन्हें मिटाने का जान-बूझ कर पुनः कोई प्रयत्न किया जाये, तो उसे रोका किया जाये ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसे प्रयत्नों की उपेक्षा करना ही अधिक अच्छा है ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार को यह नहीं पता लगा है कि द्राविड़ संघ के नेता ने अपना कार्य क्षेत्र बदल कर मद्रास राज्य के मलयाली पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रचार आरम्भ कर दिया है और इस प्रकार वे तामिल लोगों और मलियाली लोगों के बीच कटुता पैदा कर रहे हैं ?

आसाम से मिलाने वाली रेल

*४७५. **श्री ल० जोगेश्वर सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ों में पूर्वोत्तर रेलवे की आसाम से मिलाने वाली रेल को कितनी हानि पहुंची थी ; और

(ख) किन किन क्षेत्रों में रेल सम्बन्ध पुनः स्थापित कर दिये गये हैं

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हाल की बाढ़ों में आसाम से मिलाने वाली रेल को अत्यधिक क्षति पहुंची थी । अभी तक क्षति का कुल हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(ख) १३-११-५४ से इस लाइन पर पुनः सीधा यातायात आरम्भ हो गया है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : पूरा रेल सम्बन्ध पुनः चालू करने में अभी कितने मास लगेंगे ?

श्री अलगेशन : अस्थायी कार्य लगभग ३६ लाख रुपये में पूरे किये गये थे और व्यवस्था पुनः चालू हो गई है । पुलों इत्यादि की स्थायी रचना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । मैं यह नहीं बता सकता कि ये स्थायी रचनायें कब तक पूरी होंगी ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह: क्या सरकार को आसाम और अन्य क्षेत्रों के लोगों की ओर से रेल सम्बन्ध पुनः स्थापित करने में अनुचित देरी के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं और क्या यह सच है कि सरकार और रेलवे प्राधिकारियों के कारण ही देरी हुई है ?

श्री अलगेशन: स्वाभावतः हम यथासंभव शीघ्र रेल संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं परन्तु जैसा सभा को विदित है कि ये बाढ़े प्राकृतिक होती है और इनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम ने भरसक प्रयत्न किया और यह प्रबन्ध किया कि अत्यंत शीघ्र रेल सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जायें।

श्री बर्मन: आसाम को मिलाने वाली लाइन से दो शाखा लाइनें निकलती हैं—एक जारोस को जाती है और दूसरी चेंगडवाद को। इन दोनों शाखा लाइनों की मरम्मत नहीं की गई है। इन दोनों लाइनों की मरम्मत करवाने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

भैंस पालना

*४७७. **श्री सी० आर० नरसिंहन्:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दूध की आवश्यकता को पूरा करने के लिये भैंसों को वैज्ञानिक ढंग से पालने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के दसवें प्रतिवेदन की कण्डिका २१ में ी गई उन की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० ी० एस० देशमुख): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**.

श्री सी० आर० नरसिंहन्: भैंसों के निर्यात व्यापार के विकास की संभावना के सम्बन्ध में समिति ने जो उल्लेख किया है उस के बारे में विवरण में क्यों कुछ नहीं कहा गया ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में हम ने जान बूझ कर कुछ नहीं कहा। संभवतः निर्यात व्यापार का अधिक विकास संभव नहीं है।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: समिति ने सिफारिश की थी कि निर्यात व्यापार के विकास की संभावना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री सी० आर० नरसिंहन्: क्या भैंसों के सम्बन्ध में गुंटूर के राज्य सरकार के कार्य में इसी प्रकार का गवेषणा कार्य हो रहा है, यदि हां, तो इस में क्या प्रगति हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह विषय अवश्य ही राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। यह भारत सरकार का कार्य नहीं है, यह राज्य का कार्य है।

खंडसा ी चीनी

*४७८. **श्री जी० एल० चौधरी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितनी खंडसारी चीनी का उत्पादन होता है ?

कृषि मंत्री (डा० ी० एस० देशमुख): उत्तर प्रदेश में खंडसारी चीनी का वार्षिक उत्पादन औसतन लगभग ९०,००० टन है।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या सरकार इस उद्योग को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करेगी ?

डा० पी० एस० देशमख : इसे अब अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को सौंप दिया गया है जो इस की देख भाल कर रहा है और वह कुछ प्रक्रिया निकाल रहा है जिस से संभवतः अधिक उत्पादन में सायता मिलेगी ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*४७९. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के जिन कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध १३ लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया था उन के विरुद्ध अभियोग क्यों नहीं चलाया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : अभी जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा जा रहा है । कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही जांच समिति के प्रतिवेदन पर किये जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगी ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : समिति का प्रतिवेदन सरकार को कब दिया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : जांच समिति का प्रतिवेदन जुलाई, १९५४ में रेलवे बोर्ड को दिया गया था ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : जांच समिति के सदस्य कौन कौन थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : वे पश्चिम रेलवे के पदाधिकारी थे । मैं उन सब का नाम नहीं बता सकता, परन्तु सभापति श्री शरीन थे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उनमें से कितने गजेटेड पदाधिकारी थे और गबन होने के कितने मास पश्चा अपराध का पता चला था ?

श्री शाहनवाज खां : इस गबन का आरोप जिन पदाधिकारियों पर लगाया गया है वे सब गजेटेड पदाधिकारी हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन पदाधिकारियों ने इस राशि का गबन किस ढंग से किया था ?

अध्यक्ष महोदय : इस की जांच हो जाने दीजिये ।

श्री नम्बियार : हम यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया था ? यह वस्तुतः कैसे किया गया था ?

श्री टी० वी० बिटठल राव : हमें यह जानने का अधिकार है कि यह कैसे हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : उस ढंग का प्रचार नहीं करना चाहिये—कहीं ऐसा न हो कि और लोग उसका अनुसरण करने लगें। अगला प्रश्न ।

बेतार के तार के पारेषक की अनुज्ञप्तियां

*४८१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५४ को बेतार के तार के पारेषकों की अनुज्ञप्तियों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ख) १९५४ में ३१ अक्तूबर, १९५४ तक जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) २,०६८ बेतार के तार के पारेषकों की अनुज्ञप्तियां ।

(ख) १९५४ में, ३१ अक्तूबर, १९५४ तक २६८ नई अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या देश में गत बारह मास में कोई बिना अनुज्ञप्ति का बेतार के तार का पारेषक पकड़ा गया था ?

श्री जगजीवन राम : कुछ पकड़े गये थे, परन्तु मेरे पास तत्संबंधी जानकारी नहीं है ।

टीकों का निर्माण

*४८२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने काली खांसी, मिर्गी और टेटेनस (अकड़न और सूजन वाला रोग) के लिये तीन गुणों वाले टीकों के निर्माण के हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) इन रोगों से प्रतिवर्ष अनुमानत: औसतन कुल कितने बच्चे मरते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि हाल कि संस्था ने काली खांसी के टीके बनाने के सफल प्रयोग किये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उन के साथ परामर्श कर रही है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि काली खांसी, मिरगी और अन्य रोगों से बहुत से बच्चे--विशेषत: स्कूल जाने वाले बच्चे--मरते हैं ?

राज कुमारी अमृत कौर : मेरे पास राज्यों के आंकड़े नहीं हैं, मेरे पास केवल वह जानकारी है जो वार्षिक प्रतिवेदनों से एकत्र की गई है कि कितने रोगियों का उपचार हुआ और कितने लोगों की मृत्यु का अभिलेख है । आयु-वर्ग के अनुसार मृत्यु संख्या की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस निर्देश की ओर दिलाया गया है जो औषधि निर्माण जांच समिति ने अपने हाल के प्रतिवेदन में दिया है, कि काली खांसी और मिर्गी और टिटेनस से भी बहुत अधिक बच्चे मरते हैं अत: सरकार को एक परियोजना बनानी चाहिये और तीन गुणों वाले टीकों का तुरन्त निर्माण करना चाहिये ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने सिफारिशों को देख लिया है, परन्तु राज्यों की ओर से टीकों की मांग इतनी कम है कि मैं ने इस कार्य को आरम्भ करना लाभदायक नहीं समझा । आज कल तीनों सार्थ जितना उत्पादन करते हैं वह पर्याप्त प्रतीत होता है ।

डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद

*४८३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **संचार** मंत्री २२ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस के बाद हैदराबाद में डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र के लिये एक विभागीय भवन बनवाने के लिये भूमि-खण्ड मिल गया है ?

(ख) यदि हां, तो भवन का निर्माण कब से आरम्भ होगा ; और

(ग) आय व्ययक में नियत की गई राशि में से इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ?

(ख) भाग (क) . के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) शून्य ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : भूमि-खंड प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री जगजीवन राम : प्रयत्न किये जा रहे थे, किन्तु इसी बीच यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि जिस प्रकार की प्रशिक्षण संथा सहारन-पुर में है, क्या वैसी और संस्थायें अन्य स्थानों में भी स्थापित की जानी चाहियें अथवा नहीं, इस प्रश्न की वित्त मंत्रालय द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इसी के साथ मेरा प्रश्न संख्या ४९९ भी ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

भूतपूर्व देशी रियासतों की रेलें

*४८५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व देशी रियासतों की रेलों के १ अप्रैल, १९५० से भारतीय रेलों में एकीकरण के पश्चात् उन में किस प्रकार के सुधार किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : भूतपूर्व देशी रियासतों की रेलों के भारतीय रेलों में एकीकरण के पश्चात् मुख्य परिवर्तन यही किये गये हैं कि उन में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा न्यायनिर्णायक के पंचाट को लागू कर दिया गया है ।

भूतपूर्व देशी रियासतों की रेलें

*४९९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जहां तक प्रशासन तथा अन्य मामलों का सम्बन्ध है, भूतपूर्व देशी रियासतों की रेलें भारतीय रेलों के समान हो गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भूतपूर्व देशी रियासतों का प्रशासन भारतीय रेलों के समान कर दिया गया है । अन्य मामलों जैसे चालन सुधार, यात्रियों तथा कर्मचारियों को सुविधायें देने में इन रेलों को शीघ्र ही भारतीय रेलों के स्तर पर लाया जा रहा है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : एकीकरण से पूर्व कितनी रियासती रेलों का संचालन रियासत द्वारा किया जाता था तथा कितनी रेलों का संचालन कम्पनी द्वारा किया जाता था तथा उस पुराने प्रशासन में क्या दोष थे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह सभी रियासतों को सम्मिलित कर रहे हैं अथवा केवल हैदराबाद को ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रथम भाग सभी रियासतों के सम्बन्ध में है तथा द्वितीय भाग केवल हैदराबाद के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री यह जानकारी दे सकते हैं अथवा पूर्व सूचना चाहते हैं ?

श्री अलगेशन : सब मिला कर नौ रयासतों की रेलें थीं जिन का भारतीय रेलों में एकीकरण किया गया है । निजाम

की रियासत की रेल भी उन में से क थी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: हैदराबाद में कौन-कौन से सुधार किये गये थे ?

श्री अलगेशन : यातायात, वाणिज्यिक तथा इंजीनियरिंग विभागों में भारतीय रेलों में व्यवहार में लाई जाने वाली बहुत सी प्रथायें जारी कर दी गई हैं । मैं नहीं समझता कि सभा मुझ से पूरी सूची पढ़ने की आशा करेगी ।

श्री कर्णीसिंह जी : क्या यह सच है कि रेलों का एकीकरण भूतपूर्व बीकानेर रियासत की रेलवे के क्लर्क वर्ग के लिये हानिकर सिद्ध हुआ है ।

श्री अलगेशन: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । मैं नहीं समझता कि यह उन के लिये हानिकर सिद्ध हुआ है ।

श्री टी० बी० विठ्ठल राव : क्या भूतपूर्व निज़ाम रियासत की रेलवे के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में एकीकरण के पश्चात् से जो परिवर्तन किये गये हैं वे उन के लिये हानिकर हैं ?

श्री अलगेशन : मैं तो नहीं कहूंगा । माननीय सदस्य के मन में कौन सा पहलू है, मैं यह जानना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हमें पहलुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । अगला प्रश्न ।

रेलवे कर्मचारियों को माइलेज भत्ता

***४८८. सेठ गोविन्द दास :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के उदयपूर और मारवाड़ स्टेशनों पर चेकिंग स्टाफ को पहले जो माइलेज भत्ता दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि सच है, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय रेलों में इस तरह के कर्मचारियों को मील वार भत्ता नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनके काम का सम्बन्ध गाड़ियों के संचालन से नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: क्या ओर किसी स्थान पर इस तरह का एलाउंस नहीं दिया जा रहा था और अभी भी नहीं दिया जा रहा है, जैसे उदयपुर में दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : किसी गवर्नमेंट रेलवे पर नहीं दिया जाता था ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: जब कोई आदमी बाहर नहीं जाता था तो माइलेजज़ एलाउंस का सवाला ही क्या था और क्यों दिया जाता था ?

श्री शाहनवाज़ खां : माइलेज़ एलाउंस सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जो बाहर ड्यूटी पर जाते थे, जो नहीं जाते थे, उन को नहीं दिया जाता था ।

गुड़

***४९०. श्री झूलन सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में गुड़ खंडसारी के उत्पादन तथा उपभोग की मात्रा क्या थी ;

(ख) देश में तैयार की जाने वाली सफेद चीनी के उत्पादन में कमी तथा विदेशों से आयात की जाने वाली चीनी का गुड़ खंडसारी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या कोई अन्य देश भी ऐसा है जहां गुड़ का उत्पादन तथा उपभोग होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी एस० देशमुख) : (क) गुड़ तथा खंडसारी का पिछले तीन वर्षों में उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ है :

वर्ष	गुड़ का उत्पादन (लाख टन)	खंडसारी का उत्पादन (लाख टन)
१९५१–५२	३२·४०	१·००
१९५२–५३	२८·७७	०·९१
१९५३–५४	२५·९३	०·९५

चूंकि गुड़ तथा खंडसारी अधिक टिकाऊ नहीं होते इस कारण उत्पादन के वर्ष ही में लगभग सारा गुड़ तथा खंडसारी का उपभोग कर लिया जाता है ।

(ख) यद्यपि चीनी के मूल्य तथा गुड़ एवं खंडसारी के मूल्य में कोई विशेष घनिष्ट सम्बन्ध नहीं हैं, फिर भी सफेद चीनी के उत्पादन में कमी के कारण चीनी तथा गुड़ एवं खंडसारी का मुल्य अनुमानतः उत्पादन में कमी के कारण अधिक रहा। विदेशी चीनी का आयात करने से बाज़ार में इन चीज़ों के मूल्य में अनुचित रूप से वृद्धि नहीं हो सकी ।

(ग) पड़ोस के देश जैसे पाकिस्तान लंका तथा बर्मा आदि में गुड़ का उत्पादन तथा उपभोग किया जाता है ।

श्री झूलन सिंह : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में सफेद चीनी की कमी के कारण गुड़ तथा खंडसारी का मूल्य बढ़ गया है, चीनी के कारखानों को जो गन्ना मिलना चाहिये उस का उपयोग गुड़ तथा खंडसारी के लिय किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रश्न नहीं समझ सका । जैसा कि मैं पहले ही अपने उत्तर में बता चुका हूं कि चीनी की कमी तथा उस के कम उत्पादन के कारण ही गुड़ तथा खंडसारी का मूल्य कितना होना चाहिये था उस से कहीं अधिक बढ़ गया है ।

श्री डाभी : क्या गुड़ का मूल्य कम होने की कोई सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय सम्भावना के विषय में कुछ भी कह सकना कठिन है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण में कुछ स्थानों के गन्ना उत्पादकों को गन्ना पैदा करने सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे सुनने में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

पूर्वी जर्मनी का प्रतिनिधि मंडल

***४९३. श्री संगण्णा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक प्रशासन द्वारा हाल ही में दिल्ली में पूर्वी जर्मनी के डाक तथा दूर संचार मंत्रालय का प्रतिनिधि मंडल उन के एक उपमंत्री के नतृत्व में आमंत्रित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित करने का क्या प्रयोजन है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सभी डाक प्रशासनों के अध्यक्षों को, जो विश्व डाक संघ के सदस्य हैं, भारतीय डाक टिकट शताब्दी समारोह तथा अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी

के उद्घाटन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण पर अन्य प्रतिनिधि मंडलों के साथ जर्मन प्रतिनिधि मंडल भी आया था।

श्री संगण्णा : क्या इन में से किसी प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार को भारत की संचार प्रणाली के कार्य संचालन के सम्बन्ध में अपने विचार बताये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगजीवन राम : उन्होंने औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी है। वे मुझ से मिलने आये थे और उन्होंने कहा कि समारोह तथा प्रदर्शनी बहुत सफल रही है।

विदेशी ठेकेदारों द्वारा इंजनों का संभरण

*४९४. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ठेकेदारों द्वारा दिये जाने वाले इंजनों के संभरण की जांच के सम्बन्ध में संविदा के सुसंगत उपबन्ध क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि संविदा में, कुछ दोष होने के कारण, जिन लोगों ने यह संविदा किया था उन के पास इन ठेकेदारों ने दूसरे प्रकार के इंजन भेज दिये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्बद्ध उपबन्ध यह है कि जो संविदा किया गया है वह स्वीकृत रूप में भली भांति पूरा किया जायेगा जिस से क्रयकर्ता अथवा उस के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को हर तरह से पूरा पूरा सन्तोष हो जिस को स्वयं या उस के द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा कार्य की प्रगति की प्रत्येक अवस्था में, जैसा वह उचित समझे, माल के निरीक्षण करने तथा पसन्द न आने वाली वस्तुओं को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा इस सम्बन्ध में तथा विशिष्ट विवरण के वास्तविक अभिप्राय तथा अर्थ के सम्बन्ध में उस का विनिश्चय अन्तिम तथा अकाट्य होगा। मैं उक्त करार के एक खंड की केवल पर व्याख्या कर रहा हूं।

(ख) जी नहीं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि यूरोप में कुछ ठेकेदार-सार्थों ने हाल में निरीक्षण की सुविधायें देने से इनकार कर दिया था और सरकार को यह विश्वास करना पड़ा कि इन सार्थों की उपलब्ध क्षमता का हमारे काम के लिये ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : ज्यों ही माल तैयार होता है या तैयार होने की क्रिया में होता है, हमारे निरीक्षक निरोक्षण के लिये जाते हैं। मुझे मालूम नहीं कि मेरे माननीय मित्र के मस्तिष्क में कौन सा विशेष मामला है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कभी किसी सार्थ ने निरोक्षण से इंकार किया है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं।

खाद्य स्थिति

*४९६. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ की फसल के भविष्य के सम्बन्ध में इस समय क्या आशा की जा सकती है ;

(ख) इस समय समूची खाद्य स्थिति क्या है ; और

(ग) खाद्यान्नों के भावों का वर्तमान झुकाव क्या संकेत करता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) वर्तमान अनुमान के अनुसार खरीफ

फसल का भविष्य संतोषजनक कहा जा सकता है ।

(ख) वर्तमान खाद्य स्थिति अच्छी है ।

(क) इस समय खाद्यान्न के भावों का कोई स्पष्ट और निश्चित झुकाव नहीं है । इस समय जो भाव चल रहे हैं वे स्थायी प्रतीत होते हैं, और भावों के किसी बड़े परिणाम में घटने या बढ़ने की कोई संभावना नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने खरीफ की फसल का भविष्य संतोषजनक बताया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बिहार में केवल १० प्रतिशत खरीफ फसल होने की आशा की जाती है और इस का और साधारणतया देश की स्थिति पर और विशेष कर बिहार की स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा है ।

डा० पी० एस० देशमुख: यह देश के समूचे उत्पादन का विवरण है। हमें विदित है कि बिहार में और उड़ीसा के कुछ भागों में सूखा है । परन्तु, वहां भी, यदि हम वर्तमान भावों की तुलना करें, भाव पिछले वर्ष के भावों की अपेक्षा कम हैं । संभवत स्थितिभी असंतोषजनक नहीं है। क्योंकि हमारे पास बड़ा भण्डार है और यदि उड़ीसा तथा बिहार की सरकारों को आवश्यकता है, तो हम उन की सहायता कर सकते हैं

श्री भागवत झा आजाद : बिहार में खरीफ की फसल अच्छी नहीं होगी, इस का ध्यान करते हुए—मुझे उड़ीसा के बारे में ज्ञान नहीं है—सरकार ने इस राज्य की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं, जो बाढ़ों के कारण बुरी तरह खराब हो गई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने बिहार सरकार को पहले ही कह दिया है कि यदि वहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मफ्त खुराक बांटने की आवश्यकता हुई, तो हम आधा खर्च दे देंगे। इन दोनों राज्यों को जिस किसी सहायता की आवश्यकता थी, वह भी हम ने उन्हें दी है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या बिहार में और विशेषतया दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर में खरीफ की फसल की कुल हानि का अनुमान लगाया गया है, और क्या वहां की सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता मांगी है और यदि हां, तो बिहार सरकार को सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस काम के निमित्त कोई विशेष मांग नहीं की गई है ।

शार्क मछली का तेल

***४९७. श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास और बम्बई राज्यों की सरकारें अपने तैयार किये गये शार्क मछली के तेल के विक्रय के मामले में दूसरों से प्रतियोगिता करने के लिये शार्क मछली के कच्चे तेल को न्यूनतम संभव मूल्य पर खरीदने का प्रयत्न करती हैं और इस प्रकार अबाध रूप से शार्क मछलियों के पकड़ने की अनुमति देती हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी बुरी प्रतियोगिता और इस की बुराइयों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार को ऐसी किसी

प्रतियोगिता का समाचार या साक्ष्य नहीं मिला है, जिस से यह पता चलता हो कि अबाध रूप से शार्क मछली पकड़ी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

श्री वी० पी० नायर : छपे हुए प्रश्न में एक बहुत छोटी अशुद्धि है, अर्थात् यह छपा हुआ है कि "—क्या यह तथ्य है कि मद्रास और बम्बई राज्यों की सरकारें दूसरों से प्रतियोगिता करने के लिये : : : ?" मैं यह नहीं जानना चाहता था। मुझे यह मालूम हुआ है कि मद्रास और बम्बई की सरकारें एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने औषध-निर्माण सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन पढ़ा है, जिस में शार्क मछली के तेल के विक्रय के सम्बन्ध में मद्रास और बम्बई राज्यों की सरकारों के बीच होने वाली प्रतियोगिता का विशेष उल्लेख किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ने स्वयं यह प्रतिवेदन नहीं पढ़ा है, परन्तु हम ने इन दोनों सरकारों से यह बात पूछी है और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि १९४५–४६ में, उत्तम रसायन, औषध तथा औषध-निर्माण सम्बन्धी समिति ने प्रतिवेदन किया था कि अबाध रूप से शार्क मत्स्य ग्रहण का भय है और तत्परिणामस्वरूप इन दोनों सरकारों द्वारा किये जाने वाले शार्क मत्स्य ग्रहण के द्वारा विटामीन 'ए' के उपलब्ध मूल्यवान संसाधन के समाप्त हो जाने का भय है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस का पता नहीं था।

श्री वी० पी० नायर : क्या पौष्टिक खाद्य समस्या को दृष्टि में रखते हुए, सरकार कोई योजना कर रही है, जिस के द्वारा शीघ्र रोग पकड़ने वाली आयु श्रेणी के व्यक्तियों को विविध रोगों के आक्रमण का सामना करने के लिये अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिये शार्क मछली का तेल मुफ्त दिया जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

जमा दूध

*५०२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या ग्रामीण अवस्थाओं में जमा दूध तैयार करने के लिये, भारतीय डेयरी गवेषणा संस्था, बंगलौर में कोई गवेषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमख) : (क) ग्रामीण अवस्थाओं में जमा दूध तैयार करने के लिये एक ढंग से कोई कार्य नहीं हुआ है परन्तु यह संस्था बहुत शीघ्र इस कार्य को आरम्भ करना चाहती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मछली का चूरा

*५०३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में मछली की खाद का प्रचार करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या स्वरूप है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, परन्तु भारत सरकार की सामान्य नीति यह है कि मल-मूत्र कूड़ा करकट आदि की सब खादों के प्रयोग को लोक-प्रिय बनाया जाये, जिन में मछली की खाद भी सम्मिलित है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : जो मछलियां पकड़ने वाले जहाज़ों द्वारा पकड़ी जाती हैं और खाने के काम में नहीं लाई जातीं क्या उन का खाद के रूप में प्रयोग करने का विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे किसी कार्यवाही के लिये जाने का ज्ञान नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास है कि जो मछलियां खाने के योग्य नहीं होतीं, उन की तो खाद बनाई जानी चाहिये , जिस की पर्याप्त मांग है ।

श्री एस० सी० सामन्त : जो फालतू मछली बाज़ार में बेची नहीं जा रही है क्या उसे खाद बनाने और तेल बनाने के लिये उपयोग में लाया जायेगा । क्या केंद्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल और मद्रास की सरकारों को इस विषय में कार्यवाही करने के लिये कोई निर्देश दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ऐसे किसी निर्देश का ज्ञान नहीं है । परन्तु मुझे विश्वास है कि इस का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बाहर भी मछली की खाद की मांग की जा रही है, और किसी मात्रा में मछली की खाद का नियति करने की भी अनुमति दी जाती है ।

गन्ना बोने की लागत

***५०४. श्री टी० के० चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ संबंधी अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादन की वास्तविक लागत की जांच के लिये कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या संबद्ध राज्य सरकारों का इस जांच में सहयोग प्राप्त किया जायेगा और यदि हां, तो किस प्रकार :

(ग) क्या यह जांच किसी किसी स्थान के (अटकल पच्चू) नमूने के सर्वेक्षण की पद्धति के आधार पर की जायेगी, और

(घ) इस कार्य में गन्ना उत्पादकों के संगठनों तथा सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मतों को ग्रहण किया जायेगा, इस उद्देश्य के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) महत्त्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की खेती की लागत का अनुमान लगाने के लिये, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के अधीन, जुलाई १९५४ से एक त्रिवर्षीय योजना चल रही है ।

(ख) जी,हां । यह योजना राज्य सरकारों के अधिक सहयोग के साथ कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना में काम करने के लिये कार्मचारी भी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा दिये जा रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान योजना बनाने से पूर्व केंद्रीय भारतीय गन्ना समिति ने संबद्ध संगठनों से राय ले ली थी ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं उन कारणों को जान सकता हूं, जिन्होंने सरकार को, इस समिति को इन योजना संबंधी प्रतिवेदन के तैयार होने से पूर्व ही हाल ही में गन्ने का मूल्य १ रुपया ७ आना तथा १ रुपया ५ आना निश्चित करने की प्रवृत्त किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सभा के सामने हम ने एक वचन दिया था कि हम फसल वाले वर्ष से एक वर्ष पूर्व ही मूल्य घोषित कर देंगे उसी वचन के अनुसार यह पग उठाया गया है, और हम ने अब जो मूल्य घोषित किये हैं, वे पहले वाले मूल्य नहीं हैं, बल्कि एक वर्ष पश्चात् के लिये अर्थात् सन् १९५५–५६ के लिये हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या इस समय मूल्य निश्चित करने का गन्ने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमें पूर्ण विश्वसा है कि ऐसा नहीं होगा।

श्री शिवनंजप्पा : अब तक इस समिति ने किन किन राज्यों का सर्वेक्षण किया है।

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पैप्सू, बम्बई, मद्रास, और आंध्र राज्यों में यह योजना चल रही है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : कब तक यह प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह योजना तीन वर्ष तक चलेगी।

अध्यक्ष महोदय : समिति का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस समय की समाप्ति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा।

श्री बी० पी० नायर : क्या यह सत्य नहीं कि गन्ने का मूल्य कम होने के परिणाम-स्वरूप वह क्षेत्र १० लाख एकड़ कम हो गया है जिस में, गन्ना पैदा किया जाता है जैसे कि प्रगति प्रतिवेदन में इसे स्वीकार किया गया है

डा० पी० एस० देशमुख : हम लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि मूल्य कम होने के कारण क्षेत्र कम हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे। पहले हम वे प्रश्न लेंगे जिन के बारे में प्राधिकार दिया गया है।

श्री नानादास : प्रश्न संख्या ४४८।

अध्यक्ष महोदय : पहले हम उन सदस्यों के प्रश्न लेंगे जिन्होंने सावधानी दिखाते हुए प्राधिकार दे दिया हुआ है, फिर हम दूसरे प्रश्न लेंगे।

श्री नानादास : यह मेरा ही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य देर से आये हैं। मैं उन्हें प्राथमिकता दूंगा जिन्हों ने सावधानी से काम लेते हुए प्राधिकार सौंपा है।

श्री राघवाचारी : प्रश्न संख्या ४४४।

जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायें

*४४४. **श्री राघवाचारी (श्री गिडवानी, श्री एस० के० रजमी और श्री मगन लाल बागड़ी** की ओर से) :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन को बढ़ाने के लिये सरकार ने एक परिषद स्थापित किया है ;

(ख) क्या परिवार योजना कार्यक्रम संगठित करने के लिये बम्बई में एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने परिवार योजना गवेषणा तथा कार्यक्रम समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) क्या परिवार योजना के अनुमोदित कार्यक्रमों के लिये कोई अनुदान दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जन संख्या सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन को बढ़ाने के लिये एक परिषद् स्थापित करने के बारे में विचार हो रहा है।

(ख) से (घ) जी हां।

श्री राघवाचारी: फिर प्रश्न संख्या ४८९ है।

अध्यक्ष महोदय: उसे बाद में लिया जायेगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राघवाचारी: मुझे इस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री केलप्पन: मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह परिवार योजना कार्यक्रम जन संख्या को घटाने में असमर्थ रहा है क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस पर अधिक व्यय न किया जाये ?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं इसे स्वीकार नहीं करती कि इस पर कोई अपव्यय हो रहा है।

कोयला खानों के लिये आवास योजना

*४४७. **श्री झूलन सिंह: (श्री पी० सी० बोस की ओर से)** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खाने श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत कोयला खान उद्योग के सार्वजनिक और निजी भागों में खानों के श्रमिकों के लिये मकान बनाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उपरोक्त निधि की सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मकान बन चुके हैं अथवा बन रहे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) कोयला खानों के श्रमिकों के लिये कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि द्वारा बनाये गये मकानों की संख्या निम्नलिखित है:

सार्वजनिक विभाग :	४९९
निजी विभाग :	१६१४
कुल	२११३

(ख) ३१-१०-५४ तक १५४७ मकान तैयार हो चुके थे और सूचना मिली है कि उस तिथि को ११४ मकान बन रहे थे।

श्री झूलन सिंह: इस प्रयोजन के लिये श्रमिकों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

श्री आबिद अली: इस निधि द्वारा नहीं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव: कितने प्रतिशत कोयला खनिकों को मकान मिल गये हैं ?

श्री आबिद अली: हम ने लगभग ६०० कोयला खानों की गणना की है, ३,१७,५५१ श्रमिक नियुक्त हैं। ७३,७५५ श्रमिक कोयला खानों के क्षेत्र में नहीं रहते।

४७,७३१ श्रमिक अपनी पत्नियों सहित रहते हैं। सपरिवार ७८,००० श्रमिक रहते हैं। लगभग एक लाख श्रमिक बिना अपनी पत्नियों और बच्चों के कोयला खान के क्षेत्र में रहते हैं, अन्तिम तीन वर्गों की कुल संख्या २,३२,१२९ है। कोयला खानों के क्षेत्रों में उपलब्ध कमरों की संख्या १,१४,९१८ है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

घाटों पर वस्तुओं को उतार कर भेजना

*४३८. **श्री एस० एन० दास:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बिहार में गंगा के घाटों को उत्तर बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, आसाम और उत्तर बंगाल के कुछ ज़िलों में भी कोयला, सीमेंट, लोहा और पत्थर जहाज़ से उतार कर भेजने पड़ते हैं ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन घाटों द्वारा इन क्षेत्रों की इन वस्तुओं की मांग पूरी नहीं हो रही है ; और

(ग) गत पांच वर्ष में इन घाटों के सामर्थ्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां। उत्तर प्रदेश को छोड़ कर।

(ख) जी हां।

(ग) जनवरी १९५० के पश्चात् तीनों घाटों के परिवहन का सामर्थ्य १७ प्रतिशत बढ़ गया है।

राज्यों में अना वृष्टि की स्थिति

*४४२. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में वर्षा न होने के कारण इस समय अकाल की स्थिति है ; और

(ख) उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) देश के किसी भी भाग में अकाल की स्थिति नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी रेलवे इंजिन

*४४६. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४ में किसी विदेशी सार्थ को रेलवे इंजिन भेजने का आदेश दिया गया ;

(ख) क्या स्वीकृत टैंडर निम्नतम था ; और

(ग) यदि नहीं, तो निम्नतम टैंडर स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) जो माल दिया जा रहा था वह शिल्पिक दृष्टिकोण से मांग के अनुसार नहीं था ;

(२) वह हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं भेजा जा रहा था ;

(३) रेलवे इंजीन निर्माण का अनुभव न होने के कारण वह विश्वस्त नहीं थी ।

मजूरी भुगतान अधिनियम

*४४२. **श्री नानादास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र राज्य में अभ्रक उद्योग में मजूरी भुगतान अधिनियम के उपबन्ध लागू किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या आंध्र राज्य में अभ्रक उद्योग के किसी नियोक्त के पास श्रमिकों की शेष मंजूरी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों को कुल कितनी राशि दी जानी है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग ८,५७० रुपये ।

फ़ीलपांव

*४४९. **श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीलपांव रोग से पीड़ित लोगों की संख्या क्या हैं ;

(ख) सब से अधिक इस का प्रभाव किस राज्य में है ; और

(ग) इस रोग की रोक थाम के लिये क्या साधन अपनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) फीलपांव रोग से पीड़ित लोगों की अभी तक कोई गणना नहीं की गई है ;

(ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं जिस से पता चले कि किस राज्य में इस का अधिकतम प्रभाव है ;

(ग) तनुसून-रुचा (फिलारियासिस), जिस के रूपों में से एक फीलपांव रोग भी है, के नियंत्रण के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत एक राष्ट्रव्यापी योजना स्वीकृत की गई है । इस योजना के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार उन राज्यों को जहां यह रोग फैला हुआ है इस पर काबू पाने के लिये सामग्री तथा सामान के रूप में सहायता देगी।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान

*४५०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन तथा रेलवे जनरल स्टोर में काम करने वाले हरिजन तथा विस्थापित मज़दूरों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) मकानों की व्यवस्था की दृष्टि से दिल्ली-क्षेत्र के कर्मचारी एक इकाई समझे जाते हैं, इस में अलग अलग जाति का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस क्षेत्र में मकान एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार बनाये जा रहे हैं ।

खाद्यान्न का रेल द्वारा भेजा जाना

*४५३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ज़िला नैनीताल (उ० प्र०) में तराई की बस्तियों के क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत कृषकों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी लगभग एक करोड़ रुपये की पूंजी लगाई हुई है, कृषकों को इस कारण आर्थिक हानि पहुंच रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर

रेलवे के गोकुलनगर और कीछा स्टेशनों से अन्य स्टेशनों को खाद्यान्न भेजना कठिन है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी हां : गोकुलनगर स्टेशन से खाद्यान्न भेजने में जो कठिनाइयां होती हैं उन के सम्बन्ध में सितम्बर, १९५३ में और फिर मार्च १९५४ में प्राग कृषि फार्म, गोकुलनगर ने शिकायत की थी। पूछ-ताछ से पता चला है कि सरकारी लेखे में तो खाद्यान्न खुले भेजा जाता है परन्तु व्यापारिक लेखे में खाद्यान्न भेजने के मामले में जिसे कम प्राथमिकता दी जाती है कतिपय मामलों में परिवहन व्यवस्था में कुछ देरी हुई थी। गोकुलनगर और कीछा में हाल के महीनों में की गई मांगों को साथ-साथ पूरा किया गया है ।

राष्ट्रीय राजपथ

***४५६. श्री भीखा भाई :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने और उन का संधारण करने के लिये सरकार का एक विधान पुरःस्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा और राज-पथ के संधारण की वर्तमान व्यवस्था पर इस का कहां तक प्रभाव पड़ेगा।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि २३ के अधीन राजपथों को राष्ट्रीय घोषित करने और ऐसे राष्ट्रीय राजपथों के प्रशा-सन के लिये यथाशीघ्र विधान पुरःस्थापित करने का विचार किया गया है। इस समय जिन सड़कों को भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ किये गये करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ मान लिया है उन का संधारण सामान्यतः राज्य लोक निर्माण विभाग करते हैं और भविष्य में भी यही प्रबन्ध जारी रखने की आशा है ।

शिलांग में विमान क्षेत्र

***४५९. श्री इब्राहीम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग में विमान-क्षेत्र बनाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का निर्माण कब तक पूरा होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) असैनिक उड्डयन विभाग ने जो प्रारम्भिक निरीक्षण किया है, उस से पता चला है कि यह क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण केवल दो स्थान एलीफेंटफाथ और लेटलिंगकोट जो शिलांग से क्रमशः ६ और १७ मील की दूरी पर हैं, हवाई अड्डा बनाने के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अब इन जगहों का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण कर रहा है और जल-वायु सम्बंधी विभाग को भी अनुदेश दिया गया है कि वे इन स्थानों पर लम्बे काल तक जलवायु का विस्तृत पर्यवेक्षण करें । क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके प्रतिवेदन मिलने पर अन्तिम निश्चय किया जा सकता है, इस लिये इस समय यह बताना संभव नहीं है कि हवाई अड्डे का निर्माण कब पूरा होगा ।

बिना टिकट यात्रा

***४६०. श्री राधा रमण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी यात्रा की महत्त्व-पूर्ण डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रत्येक

ो डिब्बों के लिये एक टिकट कलेक्टर की व्यवस्था करने का सुझाव क्रियान्वित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में कितने टिकट कलेक्टर नियुक्त किये गये ; और

(ग) इन टिकट कलेक्टरों ने अब तक कितने बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) प्रत्येक रेलवे में लम्बी यात्रा वाली एक डाक या एक्सप्रेस गाड़ी को चुन कर प्रयोगात्मक रूप से इस सुझाव को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) प्रयोगात्मक अवस्था में अतिरिक्त टिकट कलेक्टर और टिकट एग्ज़ामिनर नियुक्त नहीं किये गये और इस प्रयोजन के लिये गाड़ी के साथ चलने वाले अपेक्षित टिकट एग्ज़ामिनर वर्तमान कर्मचारीवृन्द में से ही लिये जा रहे हैं।

(ग) अभी तक यह प्रणाली, दक्षिण, उत्तर और मध्य रेलवे में चालू की गई है। पकड़े गये मामलों की संख्या यह है :

रेलवे	कालावधि	पकड़े गये मामले
दक्षिण	१९-११-५४ से २२-११-५४	६१
उत्तर	१८-१०-५४ से २४-१०-५४	२९८

मध्य रेलवे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

अन्य रेलवेज़ पर शीघ्र ही प्रयोग आरम्भ किया जायेगा ।

अगट्टी द्वीप में चिकित्सक कर्मचारीवृन्द

***४६१. डा० रामा राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि अगट्टी द्वीप में डाक्टर और चिकित्सक कर्मचारीवृन्द का स्थायी तौर से कोई प्रबन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस द्वीप के लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां ।

(ख) मद्रास सरकार अगट्टी द्वीप में एक स्थायी सरकारी औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

गंगा पर रोपवे

***४६३. श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन (ज़िला गाजीपुर में) और गाजीपुर शहर के बीच गंगा पर एक रोपवे बनाने जा रही है ;

(ख) यदि सच है, तो इस योजना पर कितने व्यय की संभावना है ; और

(ग) पड़ताल कब तक हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ताड़ीघाट और गाजीपुर के बीच रोपवे से माल लाने और ले जाने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). इस जगह रोपवे की व्यवस्था पर लगभग २४ लाख रूपये की लागत का अनुमान है । अभी तक केवल

प्रारम्भिक जांच की गई है, कोई ब्योरेवार सर्वे नहीं हुआ है ।

मनीपुर में गिरजाघर के लिये स्थान

*४६६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल नगर कोष के क्षेत्राधिकार में कितने मन्दिर और मस्जिदें हैं ;

(ख) क्या मनीपुर के ईसाइयों के प्रतिनिधियों के कई बार मनीपुर सरकार से इम्फाल नगर कोष के क्षेत्र में गिरजाघर के लिये स्थान देने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन की मांग पर विचार किया है ;

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टेशनों पर पानी ठंडा करने के यंत्र

*४६९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोतर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर पानी ठंडा करने के यंत्र प्रायः खराब हो जाते थे ।

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं और वे कितने समय तक खराब रहे; और

(ग) सरकार ने उन्हें ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कुछ स्टेशनों पर कुछ समय के लिये पानी ठंडा करने के यंत्र खराब हो गये थे ।

(ख) यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

(ग) (१) गोरखपुर, समस्तीपुर और इज्जतनगर में आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त गैस सिलैंडरों की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(२) खराबी को तुरन्त दूर करने के लिये रेफ्रिजिरेटर मशीनों के कारीगरों के लिये मंजूरी दी गई है ।

भारतीय नौवहन

*४७०. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ के बाद से भारतीय नौवहन समवायों को प्रति वर्ष कलकत्ता से इंगलैंड को जाने वाली कितने प्रतिशत चाय दी गई ।

(ख) क्या भारतीय समवायों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि भेजे जाने वाले माल में उनके भाग में वृद्धि की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जानकारी इस प्रकार है :

१९५१ . .	१६.०३
१९५२ . . .	१६.२१
१९५३ . . .	१६.५४
१९५४ . .	१८.९७

(१० मास के लिये)

(ख) और (ग). जी हां। सम्बन्धित हितों के साथ हाल ही में इस विषय पर चर्चा की गई थी जिन्हों ने भेजी जाने वाली चाय की अधिक प्रतिशत मात्रा भारतीय समवायों को देने की एक योजना सरकार को देने का वचन दिया है। योजना की प्रतीक्षा की जा रही है।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

*४७२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में (३० सितम्बर तक) उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर कितने सामान रखने के कमरे बनाये गये ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि कुछ बड़े स्टेशनों पर ऐसे प्रबन्ध नहीं हैं जिस से यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक सब ऐसे स्टेशनों पर सामान रखने के कमरों की व्यवस्था हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) श्रीभान् कोई नहीं।

(ख) और (ग). जिन स्टेशनों पर सामान रखने के कमरे नहीं हैं वहां उन्हीं दरों पर, जो ऐसे कमरे वाले स्टेशनों पर ली जाती हैं ऐसा सामान रखने की सुविधायें हैं जो यात्री रखना चाहें।

राष्ट्रीय राजपथ

*४७३. **श्री गणपति राम :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल १९५४ से ३१ अक्तूबर १९५४ तक उत्तर प्रदेश में संधारित किये गए, बनाए गए, पक्के किए गए और फिर से पक्के किए गए राजपथों की मीलों में कुल लम्बाई क्या है ;

(ख) इस कार्य में राज्य सरकार का भाग कितना है ; तथा

(ग) १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में उत्तर प्रदेश में बनाई गई नयी सड़कों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां). : (क) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) कुछ नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय राजपथों पर आने वाला पूर्ण व्यय भारत सरकार ही वहन करती है।

रेलवे इंजन

*४७६. **सरदार इकबाल सिंह : क्या** रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन इंजन कारखाने में बनाए गए इंजनों का परिव्यय; तथा

(ख) अन्य देशों से मंगाए ग इंजनों के परिव्यय की तुलना में यह परिव्यय कैसा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। चितरंजन इंजन कारखाने में बनाये गए एक इंजन का परिव्यय कारखाने के जी परिव्यय के ब्याज को छोड़ कर इस समय लगभग ५·३२ लाख पये है। और हाल ही में विदेशों से आर्डर पर मंगाए जाने वाले वैसे ही एक इंजन की कीमत ५८२५ से ५८५० लाख पये तक है।

मोकामा का पुल

*४८०. { **श्री एस० एन० दास :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोकामा के पुल तथा अन्य संयुक्त कार्यों के निर्माण के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं,

(ग) क्या कार्य अनुसूची के अनुसार हो रहा है ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केवल चुनाई के पत्थरों को एकत्रित करने के कार्य में थोड़ी सी ढ़िलाई आ गई है ।

(घ) चुनाई के पत्थरों के ठेकेदार अनुसूचित संभरण को संधारित करने में असफल हो गये थे ।

औषधियों की आयुर्वेदिक प्रणाली

*४८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री पहली सितम्बर, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों की आयुर्वेदिक प्रणाली पर चल रही गवेषणा परियोजनाओं में से कौन सी पूर्ण हो चुकी है ; तथा

(ख) क्या कोई और नवीन गवेषणा परियोजनाएं भी प्रारम्भ कर दी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६]**.

रेलवे मज़दूरों के लिये इलाज सम्बन्धी व्यवस्था

*४८७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९५४ में रेलवे मज़दूरों के किये इलाज़ सम्बन्धी व्यवस्था पर कितना खर्च किया गया; और

(ख) इस से कितने आदमियों को लाभ पहुंचा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५४, में उत्तर रेल प्रशासन लगभग ३३,००० रुपये महीने की दर से खर्च कर रहा है ।

(ख) लगभग १०,००० कर्मचारियों और उन के परिवारों को लाभ पहुंच रहा है ।

परिचारिका का प्रशिक्षण

*४८९. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केंद्र द्वारा निमंत्रित परिचारिकाओं, मिडवाइफों, नर्स-दाईयों और दाईयों के प्रशिक्षण की संख्याओं की कुल संख्या ;

(ख) ऐसी संस्थाओं का कुल सामर्थ्य;

(ग) क्या यह सामर्थ्य देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ; तथा

(घ) यदि ऐसा नहीं है, तो इस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये कौन कौन सी कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) चार ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्धसंख्या ७७]**

(ग) जी नहीं ।

(घ) केंद्रीय संस्थाएं, राज्यों की संस्थाओं में से शिक्षित होने वाले इन कर्मचारियों की संख्या की अनुपूर्ति के हेतु हैं। भारत सरकार ने इन कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के हेतु, लेडी हेल्थ विज़िटरों, मिडवाईफ़ों और सहायक नर्स मिडवाईफ़ों के प्रशिक्षण की राजकीय तथा असरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना को मंजूर कर लिया है ।

रेल के इंजन इत्यादि

***४९१. श्री इब्राहीम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा विभिन्न देशों से प्राप्त किए गए रेल के इंजन की संख्या (देशवार) ; तथा

(ख) उस के साथ लगाई गई शर्तें, यदि कोई हैं तो ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कैनेडा से १२०.

(ख) यह शतप्रतिशत अनुदान के आधार पर दी गई सहायता है ?

रेलवे पुल

***४९२. श्री आर० एन० सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमती पर बनारस और छपरा के बीच में और टौंस पर चितवडागांव और फेफना के बीच में पुल बनाने का सरकार का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस में कितना रुपया व्यय होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)) : (क) नहीं, श्रीमान्, । इन स्थानों पर पहले ही रेलवे पुल विद्यमान हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे लाइनों को क्षति

***४९५. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे लाईनों के नाम जो हाल की बाढ़ों और वर्षाओं से अब तक प्रभावित हो चुके हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम जहां पर उन को क्षति पहुंची है ; और

(ग) उन की मुरम्मत के लिये अपेक्षित अनुमति राशि ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). खेद है कि सभी रेलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। यह एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

यात्रा सुविधाएं

***४९८. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री पहली सितम्बर, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा प्रवृत्तियों का अध्ययन पूर्ण हो गया है ;

(ख) क्या होस्टलों के वर्गीकरण की एक जैसी ही रूप रेखा अपनायी गयी है ; तथा

(ग) क्या यात्रा आंकड़ों को एकत्र करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). ये बातें अभी विचाराधीन हैं ।

आस्ट्रेलिया से शल्य चिकित्सक

*५००. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन शल्य-चिकित्सा में निपुण कोई सर्जन आए हैं ;

(ख) इस अंश दान का मूल्य, धन के रूप में; तथा

(ग) वे भारत में कितने दिन ठहरे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं, परन्तु आस्ट्रेलिया के एक शल्य-चिकित्सक कोलम्बू योजना के अधीन मांगा गया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत में मैडिकल कॉलिज

*५०१. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में मेडिकल कालिजों की कुल संख्या ;

(ख) इन कालिजों का सामर्थ्य ;

(ग) क्या यह देश की आवश्यकताओं के लिय पर्याप्त हैं ; तथा

(घ) यदि नहीं तो इस सामर्थ्य की वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ३४ ।

(ख) २,७३५ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) नये मैडिकल कालिजों को प्रारम्भ करने और विद्यमान कालिजों के विस्तार को जिनाएं कुछेक राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के विचराधीन हैं ।

चावल के स्टाक का खराब होना

*५०५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी गोदामों में पड़ा हुआ बहुत सा चावल खराब हो रहा है ;

(ख) यदि सच है, तो इस वर्ष अब तक कितना चावल बरबाद हो गया है ; और

(ग) इस में कितने का घाटा हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नव गांव बांध

३९०. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भण्डारा ज़िले में नव गांव बांध के निर्माण के लिये सरकार द्वारा मंजूर की गई कुल राशि कि न है ?

(ख) कार्य कब तक पूरा हो रहा है ; तथा ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १५,००,०००,रुपये ऋण के रूप में ।

(ख) मार्च, १९५६ तक ।

(ग) १०,००० एकड़ में ।

डाक तथा तार वर्कशाप समिति

३९१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन के वैज्ञानिकरण और डाक तार की वर्कशापों और भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड के कार्य कौशल को बढ़ाने के सम्बन्ध में वर्कशाप समिति की सिफारिशों और डाक्टर ट्रोन के सुझावों की कहां तक कार्यान्विति की गई है ;

(ख) इस कार्यान्वित के परिणामों के निरीक्षण के हेतु क्या प्रयत्न किये गए हैं ; तथा

(ग) किन सिफारिशों की कार्यान्विति अभी होनी शेष है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्कशाप समिति की सिफारिशों और डाक्टर ट्रोन द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों का सम्बन्ध मुख्यतः अलीपुर, जबलपुर, और बम्बई में स्थित डाक तार की वर्कशापों से है । यह सिफारिशें और सुझाव स्वीकृत कर लिए गए हैं और उन में से अधिकांश कार्यान्वित हो चुके हैं ।

(ख) इन वर्कशापों के कार्य कौशल और उत्पादन में समूचे रूप से सुधार हुआ है ।

(ग) बम्बई और अलीपुर में स्थित वर्कशापों को वहां से हटाए जाने और जबलपुर में फाऊंड्री की स्थापना सम्बन्धीर सिफारिशों की कार्यान्विति अभी शेष है ।

बिना टिकट यात्रा

३९२. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रैलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल पर यात्रा करते समय १ जनवरी, १९४७ और ३१, अक्टूबर, १९५४ के बीच विद्यार्थियों ने कितनी बार अनुशासन हीनता का बर्ताव किया और हिंसा का सहारा लिया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : प्राप्त सूचना के आधार पर पता चलता है कि १, जनवरी, १९४७ और ३१, अक्टूबर, १९५४ के बीच विद्यार्थियों ने २८७ बार अनुसूचित व्यवहार किया और बिना टिकट यात्रा करते हुए हिंसा का आश्रय लिया ।

दिल्ली परिवहन सेवा

३९३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव:** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन सेवा की बसों में १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक कितनी नई बसें और मिला दी गयी हैं ;

(ख) इसी अवधि में कितनी बसें खराब हो गई हैं और काम के लिये अयोग्य ठहराई गयीं हैं ; और

(ग) इस सेवा को अधिक बार चलाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५० ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) कई मार्गों पर, १ दिसम्बर, १९५४ से सेवा को अधिक बार चलाया जा रहा है । १४० नई बसों के लिये आज्ञा दी गयी है । जब वे प्राप्त हो जायेंगी तो इस वेसेवा में आवागमन की आवश्यकतानुसार अग्रेतर वृद्धि की जायेगी ।

राष्ट्रीय समुद्र बोर्ड

३९४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र बोर्ड संगठित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कार्य क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना टिकट यात्रा

३९५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे लाइनों पर बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक जो विशेष आन्दोलन चलाया गया उस पर क्या व्यय हुआ ; और

(ख) इन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि इकट्ठी हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) ।

रेलवे	व्यय	इकट्ठी की गई राशि
	रुपये	रुपये
मध्य	१,०३,९८५	१,९०,३२२
पूर्वी	१,०४,३६१	१,८४,०१८
उत्तर	२,७०,२७२*	४,१४,२६१*
दक्षिण	२,०३५	७४,८८७
पश्चिम	१,७६,७००	३,७०,९६०
उत्तर-पूर्व	१,८६,९६०	३,१३,२३४
कुल जोड़	८,४४,३१३*	१५,४८,६८२*

*लगभग

बी० सी० जी० संगठन

३९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को बी० सी० जी० संगठन स्थापित करने के लिये आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऐसे संगठन स्थापित कर लिये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां ।

(ख) २५ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में अब तक बी० स० जी० संगठन स्थापित अर लिया है ।

न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) निगम, १९५०

३९७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मंजूरी (केंद्रीय) नियम १९५० के नियम २१ के उप-नियम (३) के अधीन कर्मचारियों से अब तक कितनी धन राशि वसूल की जा चुकी है ;

(ख) क्या इस प्रकार से वसूल की गयी धन राशि नियम २१ के उप-नियम (५) के उपलबन्धों के अनुसार कर्मचारियों के हित के लिये उपयोग में लाई जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख जायेंगी।

रेडियोचित्र सेवा

३९८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्री राधा रमण :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियोचित्र सेवा किस प्रकार

बम्बई और लन्दन तथा अन्य यूरोपीय शहरों के बीच काम कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : बम्बई और लन्दन के बीच जो प्रत्यक्ष रेडियोचित्र सेवा पहले २९-४-१९४८ को शुरु की गयी थी, अब निम्न यूरोपीय देशों तक बढ़ा दी गई हैं :--

(१) बेलजियम,
(२) डेनमार्क,
(३) फिनलैंड,
(४) जर्मनी (पश्चिम),
(५) यूनान,
(६) इटली,
(७) नार्वे,
(८) पुर्तगाल,
(९) स्वेडन और
(१०) स्विट्ज़रलैंड।

यह सेवा संतोषजनक कार्य कर रही है।

वायुयान डाक सेवा

३९९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वायुयान डाक और सभी डाक को वायुयान द्वारा भेजने की सेवा को अन्य प्रसिद्ध शहरों तक भी बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) धीरे धीरे ये शहर वायुयान मार्ग द्वारा मिलाये जायेंगे, किन्तु शर्त यह है कि इन शहरों को और इन शहरों से वायुयान द्वारा डाक ढोने से डाक के वितरण में शीघ्रता हो।

अनुसूचित न हुई वायुयान सेवा

४००. **श्री एस० एन० दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था एयर टैक्सीज़, इण्डिया को अनुसूचित न हुई वायुयान सेवा चलाने की स्वीकृति किन शर्तों और निबन्धों पर दी गयी है ; और

(ख) क्या ऐसी किसी वायुयान सेवा ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारतीय वायुयान नियम, १९३७ और समय समय पर लागू होने वाली अन्य विधियों के अनुसार नई दिल्ली की एयर टैक्सीज़ इंडिया नामक संस्था को ११ अक्टूबर, १९५४ से केवल एक वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति दी गयी है। निम्न अतिरिक्त शर्तें जो साधारण रूप से अनुसूचित न हुई अनुज्ञप्तियों पर लागू होती हैं, इस मामले में भी लागू होती हैं :—

(१) वायुयान के उतरने और उड़ने के लिये उस सीमा-क्षेत्र के प्रचलित विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त या स्वीकृत हवाई अड्डे के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

यदि किसी ऐसे हवाई अड्डे का जो प्रचलित विनियम के अनुसार स्वीकृत या अनुज्ञप्ति-प्राप्त नहीं है, प्रयोग वायुयान के उतरने या उड़ने के लिए किया जाता है तो चालक को भली भांति पता लगा लेना चाहिये कि वह हवाई अड्डा सभी दृष्टिकोणों से उड़ान के उपयुक्त

है और किसी प्रकार भी वायुयान की सुरक्षा को हानि नहीं पहुंचाता ।

(२) प्रस्थान करने के हवाई अड्डे के १० मील के अर्धव्यास के भीतर ही रात में यात्रा करने वालों के परिवहन के लिये एक इंजन वाले वायुयानों का प्रयोग किया जायेगा, उस से बाहर नहीं ।

(३) उड़ानों का मासिक विवरण असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक के पास उन के द्वारा इस प्रयोजन के लिये जारी किये गये फार्म पर भेजा जायेगा ।

(४) इस अनुज्ञप्ति के अधीन उड़ने वाले सभी वायुयान ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये जायेंगे जिसे लोक परिवहन चालक अनुज्ञप्ति ('ख' अनुज्ञप्ति) प्राप्त हो ।

(५) इस सेवा के चलाने वाले को यह ध्यान रखना होगा कि इस अनुज्ञप्ति के अधीन चलाने वाली अनुसूचित न हुई वायुयान परिवहन सेवा का किसी भी प्रकार कोई विज्ञापन न किया जाये ।

(६) असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की विशेषपूर्व अनुमति के बिना भारत में पञ्जीकृत कोई भी वायुयान भारत से किसी विदेशी स्थान के लिये किसी अनुसूचित न हुई उड़ान पर नहीं जायेगा ।

(७) इस अनुज्ञा-पत्र के प्राप्त करने या उस के नवीकरण के सात दिनों के भीतर ही इस सेवा को चलाने वाला अपने अधीन सभी वायुयानों को भाड़ा, आदि की विभिन्न प्रकार की दरों की एक सूची असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक के पास भेजेगा । इस सूची में जब और जो कुछ भी परिवर्तन या सुधार किया जायेगा उस की सूचना असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक, नई दिल्ली को हवाई डाक या तार द्वारा दी जायेगी ।

(८) यदि प्रस्थान करने के हवाई अड्डे के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर वायुयान को उतारना है तो इस अनुज्ञप्ति के अधिकार के अधीन होने वाली प्रत्येक उड़ान के लिये असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक या हवाई अड्डों के नियंत्रक से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(९) जिस व्यक्ति को इस अनुसूचित न हुई वायुयान परिवहन सेवा का अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा वह इस बात का विश्वास दिलाने के लिये उत्तरदायी होगा कि किसी वर्तमान विधि के अधीन जिन सामानों को भेजना निषिद्ध है उनको उस के किसी वायुयान द्वारा नहीं ले जाया जाता है ।

(१०) इस अनुज्ञा-पत्र के अधीन स्वीकृत अनुसूचित न हुई वायुयान परिवहन सेवा का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होगा जिस का नाम अनुज्ञापत्र में

है; वह उसे किसी अन्य को न देगा न किसी के नाम परिवर्तित करेगा, चाहे वह ठेके पर हो या किराये पर हो और जिस के द्वारा किराये पर लेने वाला इस सेवा का वास्तविक चालक बन बैठे या बनाया जाये ।

(११) (अ) यदि इस अनुज्ञापत्र के स्वामी की नियमित नौकरी में चालक वर्ग नहीं है, तो असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की पूर्व-लिखित अनुमति के बिना इस अनुज्ञापत्र के अधीन कोई भी वायुयान नहीं उड़ाया जा सकेगा । इस कार्य के लिये रखा गया चालक यदि घण्टे, दिन या कुछ समय के आधार पर नौकर रखा गया हो तो उसे नियमित नौकरी में नहीं माना जायेगा ।

(आ) अनुज्ञापत्र का स्वामी इस अनुज्ञापत्र के अधीन चलने वाले सभी वायुयानों पर रखे गये सभी चालकों की एक सूची असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक के पास भेजेगा और इस सूची में किये गये किसी परिवर्तन को तुरन्त ज्ञापित करेगा ।

(१२) इस अनुज्ञापत्र का स्वामी किसी ऐसे चालक को अपनी नौकरी में नहीं रखेगा जो किसी वायुयान सेवा समवाय की अनुसूचित वायुयान सेवा में काम कर रहा हो जब तक कि या तो उसे उस समवाय की नौकरी छोड़े ६ महीने का समय व्यतीत हो चुका हो या इस के लिए असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक की पूर्व लिखित अनुमति न ली गई हो ।

(१३) यदि अनुज्ञापत्र का स्वामी भारी ऋण में दब जायेगा या दैनिक व्यय को पूरा नहीं कर पायेगा तो अनुज्ञापत्र रद कर दिया जा सकेगा ।

(१४) इस अनुज्ञापत्र के अधीन किसी अनुसूचित सेवा वाले हवाई अड्डे से और को, तब तक कोई लाया-ले जाया नहीं जायेगा जब तक कि अनुसूचित चालक उन्हें वहन करने में असमर्थता नहीं प्रकट करता और एक "कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र" नहीं देता ।

(१५) (अ) इस अनुज्ञापत्र के अधीन ५,००० पौंड से अधिक बोझ ले कर कोई वायुयान नहीं उड़ेगा ।

(आ) इस अनुज्ञापत्र के अधीन कोई भी वायुयान जिस के लिये अनुज्ञापत्र के पीछे असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक ने अंकित न किया हो, नहीं उड़ सकेगा यदि उसका बोझ ५,००० पौंड से कम हो ।

(१६) इस अनुज्ञापत्र के अधीन आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर और उत्तरपूर्व सीमा एजेन्सी के राज्यों के हवाई अड्डों से य

को यातायात के वहन का अधिकार न होगा।

(१७) बलर घाट और कूच बिहार के हवाई अड्डों को या से यातायात का वहन इस अनुज्ञापत्र के अधीन वर्जित होगा।

(१८) भारतीय वायुयान मार्ग निगम (इण्डियन एयरलाइनज कारपोरेशन) के 'कोई आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र के बिना अफगानिस्तान, लंका, पाकिस्तान और नैपाल, आदि पड़ौसी देशों को कोई उड़ान नहीं होगी।

(१९) उड़ान के समय प्रत्येक वायुयान में इस अनुज्ञापत्र की एक प्रतिलिपि रहनी चाहिये।

(२०) इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में उक्त या अन्य किन्हीं शर्तों के उल्लंघन पर यह अनुज्ञापत्र तुरन्त बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

रेलवे कर्मचारी

४०१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के विभिन्न ज़ोनों (महाखंडों) मे काम करने वाले सहायक शल्यचिकित्सकों (श्रेणी २) के प्रारम्भिक वेतन में, जिन के पास एम० बी० बी० एस० की योग्यता है, असमता हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) कुछ राज्यों में, जहां कि अनुज्ञप्ति वाले चिकित्सा-पाठ्यक्रम समाप्त कर दिये गये थे और जहां केवल चिकित्सा स्नातक ही मिल सकते थे, रेलों को सहायक-शल्य-चिकित्सकों की (श्रेणी २) की भर्ती करने में काफी कठिनाई हुई थी। चिकित्सा-स्नातकों को जिनकी भर्ती सहायक शल्य चिकित्सक श्रेणी २ के रूप में, की गई थी केवल इन्हीं रेलों में—अन्य रेलों में नहीं—प्रारम्भिक वेतन अधिक दिया गया था।

आयुर्वेदिक औषधियां

४०२. **श्री सी० आर० अय्युण्णि :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कितनी आयुर्वेदिक औषधियों का विश्लेषण किया गया है ; और

(ख) प्रयोगशालाओं में उन के कौन से अवयवों तथा विशेषताओं का पता लगाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख). वांछित जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और उचित समय पर सभा-पटल पर रखी जायेगी।

जापान में रेलवे विशेषज्ञों का सम्मेलन :

४०३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
पंडित एस० सी० मिश्र :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया तथा सुदुर पूर्व के आर्थिक आयोग का जो सम्मेलन, टोक्यो में अक्टूबर, के मध्य में हुआ था, क्या उस में भारतवर्ष, ब्रिटेन, रूस, अमरीका, तथा अन्य १२ देशों के रेलवे विशेषज्ञों ने भाग लिया था और एशियाई रेलों के विकास के बारे में चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में मुख्य निर्णय क्या हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) एशिया तथा सुदूरपूर्व के आर्थिक आयोग के मुख्यालय से सरकारी प्रतिवेदन तो अभी मिला नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिनिधियों ने जो प्रतिवेदन दिया है उस के अनुसार मुख्य विषय, जिन के बारे में चर्चा की गई थी, ये हैं:—

(१) लाहौर स्थित ओपरेटिंग तथा सिगनलिंग पदाधिकारियों का रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र।

(२) मार्गों का निर्माण तथा उस की देखभाल के सुधारे हुए तरीकों का प्रयोग।

(३) लोकोमोटिव इंजनों के ब्वायलरों का सुधारना।

(४) रेल कार।

(५) डिज़िल इंजिन ; और

(६) दावों का रोकना तथा उन को जल्दी ही निबटाना।

गोकुलनगर तथा किच्छा स्टेशन

४०४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व रेलवे के गोकुलनगर तथा किच्छा स्टेशनों के विकास एवं वहां के यात्रियों को वही सुविधायें तथा सहूलियतें देने का कोई प्रस्ताव है जो कि उसी प्रकार के अन्य स्टेशनों पर मिलती हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं श्रीमान्, । चालू आर्थिक वर्ष में किच्छा स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने का ही केवल विचार है।

राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तर

४०५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के काम दिलाऊ दफ्तरों में ३० जून, १९५४, को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में कितने स्नातकों तथा अन्तर-स्नातकों का पंजीयन किया गया ;

(ख) काम दिलाऊ दफ्तरों को उस बीच कितने रिक्त स्थानों की सूचना दी गई थी ; और

(ग) उन में से कितने रिक्त स्थानों की पूर्ति काम दिलाऊ दफ्तरों की सिफारिशों के आधार पर की गई ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) से (ग) केवल अक्टूबर १९५२ से जून १९५४ के अन्त तक की ही जानकारी मिल सकी है जिस का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८**]

चीनी पर आयात शुल्क

४०६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) १९५३-५४ तथा (२) चालू वर्ष में अब तक, चीनी से आयात शुल्क के रूप में कुल कितनी धन इकट्ठा किया गया है ;

(ख) आयात शुल्क प्रति मन कितना लिया जाता है ;

(ग) क्या सभी आयानित चीनी गन्ने से बनी होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन अन्य वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनसे कि चीनी बनाई जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) (१) ३ करोड़ ७३ लाख रुपये ।

(२) १५ नवम्बर, १९५४ तक १० करोड़ ८१ लाख रुपये ।

(ख) (१) २२ जून १९५३ से ५ फरवरी, १९५४ तक ५ रुपये २ आने ३ पाई प्रति मन ।

(२) ६ फरवरी, १९५४ से आगे आठ रुपये एक आना ४ पाई प्रति मन ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चुकन्दर ।

रेलवे आय

४०७. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष (१) १९५३-५४ तथा (२) १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक रेलवे प्रशासन को (१) जल्दी खराब होने वाली (२) जल्दी न खराब होने वाली वस्तुओं के सार्वजनिक नीलाम से कुल कितनी आय हुई है ;

(ख) इन वस्तुओं पर रेलवे का महसूल कितना लगा ;

(ग) क्या इन के मालिकों को कुछ धन दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितना ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९**].

आर० एम० एस० पोस्टल डिवीज़न

४०८. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा पोस्टल सर्किल में कितने पोस्टल डिवीज़न हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में कोई आर० एम० एस० पोस्टल डिवीज़न है ;

(ग) यदि हां, तो वह कहां स्थित है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार विचार वहां एक ऐसी डिवीज़न बनाने का का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४ अर्थात् कटक, सम्बलपुर, बरहामपुर (गंजम) और बालासोर ।

(ख) तथा (ग). एक आर० एम० एस० डिवीज़न अर्थात् 'एन' डिवीज़न है जिस का मुख्यालय कलकत्ता में है ।

(घ) तथा (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय चीनी टैकनोलौजी संस्था

४०९. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चीनी टैकनोलौजी संस्था में इस समय अनुसंधान करने वाले कितने विद्यार्थी हैं ;

(ख) संस्था में भरती के क्या नियम हैं ;

(ग) क्या इन विद्यार्थियों को केंद्रीय या राज्य सरकारें कुछ वेतन या छात्रवृत्तियां भी देती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार कितना देती है और राज्य सरकारें कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) दस ।

(ख) प्रत्येक विषय के लिये जो मूल योग्यता विहित है उसी के आधार पर भर्ती की जाती है । एक बोर्ड के द्वारा, जो

इसी प्रयोजन के लिये बनाया गया है, वरण किया जाता है । पारषछता विद्यार्थियों के लिये पाठ्य-क्रम से पूर्व अथवा बाद में किसी चीनी मिल में दो मौसमों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक हें ।

(ग) तथा (घ). केंद्रीय सरकार द्वारा विद्यार्थियों को कोई वेतन अथवा छात्र-वृत्ति नहीं दी जाती । उत्तर प्रदेश के दो पारषछता विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पचास-पचास रुपये की दो छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं ।

रेल-बस दुर्घटना

४११. श्री एस० एन० दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० अक्टूबर, १९५४ को राजाभातख वा फाटक पर पत्थर ले जाने वाली रेलगाड़ी से एक बस की टक्कर हो गई थी जिस के परिणामस्वरूप ५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई थी ; और

(ग) यदि कोई जांच हुई है तो उस का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). २९ अक्टूबर, १९५४ को, ३० अक्टूबर को नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, सायंकाल ५ बज कर २० मिनट पर जब कि पत्थर ले जाने वाली खाली रेलगाड़ी संख्या ४, उत्तर पूर्व रेलवे के पान्दू क्षेत्र के गारो-पाड़ा तथा राजाभातखवा स्टेशनों के बीच फाटक पर, जो कि ९३।१०–११ मील पर स्थित है, से गज़र रही थी तो सड़क की ओर से एक मोटरबस आई और पत्थर ले जाने वाली गाड़ी के इंजिन से टकरा गई बस के ५ यात्री मर गये ।

(ग) इस दुर्घटना के बारे में रेलों के सरकारी निरीक्षक ने संविहित जांच की और उस का अन्तरिम निर्णय यह है कि यह दुर्घटना मोटर ड्राइवर की लापरवाही से चलाने के फलस्वरुप हुई है ।

रेल के इंजिन डिब्बों आदि की प्राप्ति

४१२. श्री टी० के० चौधरी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक बड़ी लाइन तथा छोटी लाइन पर चलने वाले कितने इंजिन मंगाने के लिये निम्नलिखित देशों को आदेश दिया गया है और उन्होंने कब तक भेजने का वचन दिया है :—

(१) अमरीका ;

(२) कनाडा ;

(३) ग्रेट ब्रिटेन ;

(४) पश्चिमी जर्मनी ; और

(५) अन्य यूरोपीय देश ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कितने समय के बारे में जानकारी मांगी गई है, इस का उल्लेख प्रश्न में नहीं किया गया है । १९४८ के बाद की अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**

इंजिन

४१३. श्री गिडवानी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ३० सितम्बर, १९५४ तक देश में कुल कितने इंजिन बनाये गये हैं ; और

(ख) चालू वर्ष में कितन इंजिन बनाने का अनुमान है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १ अप्रेल, १९५४ से

३० सितम्बर, १९५४ तक ७० इंजिन बनाये गये हैं ।

(ख) १९५४–५५ में १२२ इंजिन बनाने की योजना है किन्तु आशा है कि उत्पादन में इस की अपेक्षा कुछ और वृद्धि हो जायेगी ।

रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

४१४. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) चालू वर्ष में ३० सितम्बर, १९५४ तक रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वा र्र बनाये गये हैं ;

(ख) इन में से कितने श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये हैं ;

(ग) अब भी कितने कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(घ) सारे कर्मचारियों को कब तक रहने के लिये स्थान की व्यवस्था हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ४,८६५ ।

(ख) श्रेणी तीन के कर्मचारियों के लिये १,७३४ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये ३,११९ ।

(ग) तथा (घ). लगभग ६ लाख कर्मचारी रेलवे क्वार्टरों में नहीं रहते हैं । रेलवे की नीति उन अनिवार्य कर्मचारियों को क्वार्टर्स देने की है जिन्हें कभी भी काम पर बुलाया जा सकता है । इस के अतिरिक्त उनस्टेशनों पर कर्मचारियों को क्वार्टर मिलते हैं, जहां निजी स्थान का बहुत अभाव हो । आशा है कि आगामी दस वर्षों में एक लाख क्वार्टरों की व्यवस्था होने पर स्थिति पर्याप्त रूप से सुधर जायेगी ।

इंजिन बनाने के कारखानों में भर्ती

४१५. श्री धूसिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के किन किन इंजिन बनाने वाले कारखानों में निम्न पदों के लिये १९५४ में भर्ती की गई :—

(१) शिशिक्षु मिस्त्री ; (२) रेल परीक्षक ; (३) स्थायी मार्ग निरीक्षक ; (४) व्यापार शिशिक्षु ; और (५) यात्री निरीक्षक शिशिक्षु ;

(ख) प्रत्येक इंजिन बनाने के कारखाने में कितने अभ्यर्थियों का अवरण हुआ ; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यार्थी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) शिशिक्षु, स्थायी मार्ग निरीक्षक तथा यातायात शिशिक्षुओं की भर्ती असैनिक इंजीनीयरिंग तथा यातायात विभाग के लिये होती है । केवल शिशिक्षु मिस्त्री, शिशिक्षु रेल परीक्षक, और व्यापार शिशिक्षु यान्त्रिक जीनीयरिंग विभाग के लिये रखे जाते हैं और इन में से प्रथम दो श्रेणियां समूचे रूप में उत्तर पूर्व रेलवे के लिये भर्ती की जाती हैं । केवल व्यापार शिशिक्षुओं की कारखाना वार गोरखपुर, इज्जतनगर, डिब्रूगढ़ और बोंगाई-

गांव स्थित रेलवे इंजिन से कारखानों के लिये भर्ती की जाती है ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

लोको कारखाने का स्थान	श्रेणी	१९५४ में चुने गये अभ्यार्थी		
		कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
पूर्ण उत्तर-पूर्व रेलवे के लिए भर्ती				
	शिशिक्षु मिस्त्री	१०	१	१
	शिशिक्षु रेल परीक्षक	१५	२	—
कारखाना वार भर्ती				
गोरखपुर	व्यापार शिशिक्षु	(भर्ती हो रही है)		
इज्जत नगर .	,, ,,	(भर्ती हो रही है)		
डिब्रूगढ़	,, ,,	१९	—	—
बोंगाइगांव .	,, ,,	४	—	—

रेलगाड़ियों का लेट चलना

४१६. **श्री राधे लाल व्यास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५४ के बीच बड़ौदा जाने वाली मथुरा-बड़ौदा स्थानीय सवारी गाड़ियां कितनी बार नागदा स्टेशन पर लेट पहुंचीं और औसतन वे कितने घंटे लेट रहीं ; और

(ख) कितने बार यात्रियों को नागदा स्टेशन पर उज्जैन जाने वाली रेल गाड़ियां नहीं मिल सकीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल्गेशन) :

(क) ३५२ अप मथुरा-बड़ौदा सवारी गाड़ी २१५ बार नागदा स्टेशन पर लेट पहुंची, इसके लेट पहुंचने का औसतन समय १ घण्टा १९ मिनट रहा ।

(ख) ३५२ अप, १०६ डाऊन रतलाम उज्जैन भोपाल सवारी गाड़ी को नागदा में १०० बार मेल न दे सकीं ।

३५२ अप और साथ की ३५१ डाउन गाड़ियों के ठीक समय से चलने की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं रही है, इसमें सुधार करने के उद्देश्य से इन गाड़ियों के साथ जाने के लिए विशेष कर्मचारी रखे गये हैं । इन गाडियों के समय को बदलने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

कुही रेलवे स्टेशन

४१७. **श्री एन० ए० बोरकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर जिला के कुही क्षेत्र के लोगों ने कुही स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय के निर्माण के लिये सरकार से अभ्यावेदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या विनिश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

४१८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लेखापरीक्षक के लिये कोझीकोड़े में पश्चिमी पहाड़ी पर ४०,००० रुपये की लागत पर रहने का क्वार्टर बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक समाप्त हुआ और वह कितने समय तक रिक्त पड़ा रहा ; और

(ग) अब तक उस प्राधिकारी ने इसे क्यों नहीं लिया है जिस के लिये यह बनाया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) कोझीकोड़े के समीप पश्चिमी पहाड़ी पर पर्यटक लेखानिरीक्षक, कालीकट, के लिये १८,९७० रुपये की अनुमानित लागत पर एक क्वार्टर बनाया गया था ।

(ख) तथा (ग). अधिग्रहण के लिये भवन जुलाई १९५४ में तैयार हो गया था । कुछ निजी कारणों से वर्तमान पर्यटक लेखा-निरीक्षक अभी तक उस का अधिग्रहण नहीं कर सका है हालांकि अगस्त, १९५४ से उस से तीन मास का किराया लिया जा रहा है ।

अमरावती रेलवे स्टेशन पर ऊपर से जाने का पुल

४१९. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अमरावती रेलवे स्टेशन के समीप मध्य रेलवे पर ऊपर से जाने का एक पुल बनाने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कथित कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) श्रीमान्, अभी स्वीकार नहीं हुआ है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में, ज्योंही मध्य प्रदेश सरकार प्रस्ताव स्वीकार करे और ऊपरी पुल को मिलाने की सड़कों का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले, हमारा कार्य आरम्भ करने का विचार है ।

रेलवे पुल

४२०. **श्री गणपति राम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस-लखनऊ सड़क पर शिवपुर स्टेशन पर कोई ऊपरी या भीतरी पुल बनाने का निवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और यदि हां, तो वह इस बारे में निश्चय करने में कितना समय लेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तार की सुविधायें

४२१. **श्री गणपति राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस ज़िला के कुछ गांवों के डाक घरों में तार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रामीण डाक घर कितने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). १९५३–५४ में दो ग्रामीण डाकघरों में तार घर खोले गये हैं। वे गांव जिखनी तथा सेवापुरी हैं। इन दोनों स्थानों पर डाकघर १९५३–५४ से पहिले खोले गये थे।

सुलतानपुर-जफ़राबाद रेल सम्पर्क

४२२. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुलतानपुर-ज़फराबाद रेल लाइन कितनी बन चुकी है ;

(ख) इस लाइन पर निरन्तर रूप में यातायात के खुलने में कितना समय लगेगा; और

(ग) चालू आय-व्ययक में जो राशि स्वीकृत की गई है, उस में से अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सुलतानपुर-जफ़राबाद रेलवे लाइन बन चुकी है, इस लाइन पर केवल पत्थर डालना बाकी है।

(ख) २७-११-१९५४ को लाइन यात्री यातायात के लिये खोल दी गई है।

(ग) आशा है कि चालू वर्ष के आय-व्ययक में जितनी राशि स्वीकार की गई है, वह चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्णतया व्यय हो जायेगी।

रेलवे ब्वायलर

४२३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) १९५३-५४ में भारत ने कुल कितने और कितने मूल्य के ब्वयालरों का आयात किया ;

(ख) भारत में विभिन्न कारखानों में कितने ब्वायलर बनाये गये ;

(ग) भारत में कौन कौन से कारखाने ब्वायलर बनाते हैं;

(घ) ऐसे ब्वायलरों का लगभग निर्माण-मूल्य क्या है ; और

(ङ) विदेशों से आयात किये गये ब्वायलरों के मूल्य की तुलना में इस का क्या अनुपात है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३-५४ में चितरंजन लोको कारखाना सहित भारतीय रेलों ने ९० ब्वायलरों का आयात किया और उन का मूल्य ९८,१५,००० रुपया था।

(ख) टैल्को द्वारा बनाये गये तथा रेलवे इंजनों में प्रयोग होने वालों के अतिरिक्त उन्होंने ६२ बनाये।

(ग) निम्न फर्में रेलवे-इंजन के ब्वायलर बनाती हैं :—

(१) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स।

(२) टाटा लोकोमोटिव एण्ड इंजीनीयरिंग कम्पनी, लिमिटेड।

(३) मैसर्स टेक्स्टाइल मैशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता।

(घ) उत्पादन लागत में ब्वायलरों की प्रकार के अनुसार विभिन्नता है और यह लागत एक से ढाई लाख रुपये तक है। पूर्णरूप से उत्पादन के स्थापित होने पर स में कमी हो जायेगी।

(ङ) १९५३-५४ में इसी प्रकार के ब्वायलरों का आयात नहीं किया गया परन्तु भारत में बने ब्वायलरों की उत्पादन की लागत आयात किये गये ब्वायलरों के मूल्य की अपेक्षा ड्योढ़ी से ले कर दुगुनी तक थी।

क्षय रोग

४२४. **श्री एन० बी० चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतान की कृपा करें ी कि :

(क) विगत सात वर्षों में क्षय रोग के निवारण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार इस काल में प्रति वर्ष इस रोग से पीड़ित होने वालों की संख्या का एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) एक विवरण, जिस में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुलन्ध संख्या ८१].**

(ख) वास्तविक आंकड़े प्राप्त नहीं है ।

बेकार श्रमिक

४२५. **श्री गणपति राम :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न श्रेणियों की खानों में काम करने वाले खनिक श्रमिकों के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ; तथा

(ख) बेकार श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की खानों में खपाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) भारतीय खामन अधिनियम १९४९–५३ (सीने की खानों के मामलों में (१९५१–५३) से विनियमित विभिन्न श्रेणियों की महत्त्वपूर्ण खानों में तथा उनके आस पास काम करने वाले व्यक्तियों के दैनिक औसत के तुलनात्मक आंकड़ों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२].**

(ख) पहली अप्रैल, १९५१ से भारतीय खान अधिनियम को भाग 'ख' राज्यों में भी लागू कर दिया गया । इसलिये यदि वर्ष १९५१ को आधार माना जाये तो, विवरण से ज्ञात होता है कि १९५२ तथा १९५३ में नौकरी में बहुत कम वृद्धि हुई है । ऐसी परिस्थिति में यह विश्वास करने के बहुत कम कारण हैं कि नौकरियां घटी हैं तथा इस के लिये विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

रेलवे कर्मचारी

४२६. **श्री डामर:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकार से तबादुले पर आने वाले मध्य भारत के कितने व्यक्ति रेलवे में काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या रेलवे शासन ने तबादुले पर आने वाले इन व्यक्तियों के ऊपर कुछ शर्तें लगाई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख) सूचना मंगाई जा रही है और यथा समय सभा में प्रस्तुत की जायेगी ।

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक-सभा

सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्याह्न

स्थगन-प्रस्ताव

(१) आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध

(२) ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान-क्षेत्र का उपयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । विषय है "आन्ध्र में बंजर भूमि तथा ताड़ी निकालने वालों के सत्याग्रह के सम्बन्ध में दंडित लगभग तीन सौ राजनैतिक कैदियों का आगामी साधारण निर्वाचनों के सन्दर्भ में आन्ध्र राज्य की जेलों में लगातार निरोध" ।

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मुझे इस विषय की कोई जानकारी नहीं है किन्तु मैं जांच करने, पता लगाने और आन्ध्र में अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए तैयार हूं । किन्तु प्रस्ताव से ही यह ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्तियों को कानून तोड़ने के लिए सजा दी गयी थी । अब उन्हें कुछ रियायत दी जाय अथवा नहीं यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है । किन्तु यहां यह प्रश्न चर्चा के लिए उपस्थित करने का कोई कारण मैं नहीं देखता हूं । फिर भी यदि आप चाहें तो मैं सारी स्थिति की जांच कर के सभा के समक्ष तथ्यों को रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हां, हमें वास्तविक तथ्य मालूम हो जाय और तब हम प्रस्ताव की ग्राह्यता के विषय में निर्णय कर सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व): उस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस की सूचना.....

अध्यक्ष महोदय : उस सम्बन्ध म मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बता दिया है कि सम्मति देने की मेरी प्रस्थापना नहीं है । उन के द्वारा उपस्थित किया गया विषय महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार की सभी व्यक्तिगत बातें स्थगन प्रस्तावों की विषय वस्तु नहीं बन सकती हैं । मैं इस पर कोई तर्क नहीं चाहता हूं । मैं देश के किसी भाग में घटित किसी घटना पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना देने की प्रवृत्ति देखता हूं । इस के लिए अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है । अब विषय है "पिछले २६ नवम्बर को ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा गुरखा रंगरूटों के परिवहन के लिए कलकत्ते के निकट हमारे डमडम हवाई अड्डे का उपयोग" । इस का जो भी महत्व हो,

[अध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि यह घटना ऐसा कोई अखिल भारतीय महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उपस्थित करती है जिस पर तुरन्त चर्चा की जानी आवश्यक हो। ऐसे मामलों में सर्वोत्कृष्ट मार्ग यह है कि अल्पसूचना प्रश्न की सूचना दी जाय अथवा तथ्यों की ओर ध्यान दिलाने और जांच करने के लिए प्रस्ताव की सूचना दी जाय ।

श्री साधन गुप्त : कुछ समय पूर्व ऐसा हुआ था कि कुछ फ्रांसीसी विमान इस प्रकार की घटना में अन्तर्ग्रस्त थे और तब प्रधान मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि सरकार की यह नीति है कि विदेशियों को हमारे देश से सैनिकों को ले जाने नहीं दिया जायेगा। अब पुनः ऐसी घटना हुई है और इस का कोई विश्वास नहीं कि भविष्य में पुनः ऐसी घटनायें नहीं होंगी। इस को दृष्टि में रखते हुए यह घटना हमारी संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता का उल्लंघन है और इसलिये सभा में चर्चा के लिये यह पर्याप्त महत्व का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता। कहीं कहीं व्यक्तिगत उल्लंघन अवश्य होंगे और सर्वोत्तम मार्ग यह है कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने के लिए सभा के समक्ष इस विषय को उपस्थित करने के पूर्व जानकारी प्राप्त की जाय ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्ननूर) : प्रथम स्थगन प्रस्ताव के विषय में मेरा एक स्पष्टीकरण है। मैं यह नहीं कहता कि वे निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये गये हैं। मैंने यह कहा है कि वे जेल में हैं। मेरे विचार से केवल कुछ ही दंडित हैं, अन्य दंडित नहीं हैं, उन के मुकदमे चल रहे हैं। अतः मेरा यह मंतव्य नहीं था कि वे निवारक निरोध अधिनियम के अधीन रोके गये हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं। मैं ने इसे इस तरह नहीं समझा है।

श्री राघवैया (ओंगोल) : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन सभा को कब प्रस्तुत किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यथासंभव शीघ्र । स्थगन प्रस्ताव का गुख्य तात्पर्य यह है कि उन बन्दियों को किसी प्रकार की रियायत दिलाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाय। इस विषय पर सारी वास्तविक स्थिति मालूम कर ली जाय और तब हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उस की सूचना दे सकते हैं। तब मैं उसे पढ़ूंगा और सरकार से पूछूंगा कि क्या वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है ।

श्री राघवैया : प्रथम स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जेल में रखे गये दो व्यक्ति निर्वाचनों के लिए भावी उम्मीदवार हैं.....

अध्यक्ष महोदय : चाहे जो भी हो, स्थिति यह है कि जिन लोगों ने क़ानून के विरुद्ध कार्य किया है और जो परिणाम स्वरूप दंडित किये गये हैं, उन्हें अपने कार्यों का फल भोगना ही पड़ेगा। *(अन्तर्बाधा)* वास्तव में प्रश्न राजनैतिक रियायत के सम्बन्ध में है जो बिल्कुल ही भिन्न विषय है ।

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं सहायक प्रादेशिक सेना की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

मैं ने पिछली १८ मई को सभा की अनुमति से सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक,

१९५४ पुरस्थापित किया था । उस विधेयक का उद्देश्य यह था कि प्रशिक्षण देने के लिए किसी वैध आधार का उपबन्ध किया जाय और प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना के लिए तथा सहायक प्रादेशिक सेना योजना के अधीन शिविरों में रखे गये शिक्षार्थियों पर अनुशासनिक नियंत्रण को लागू करने के लिए मुख्य सिद्धान्त बनाये जायें ।

१२ नवम्बर, १९५४ को हुई प्रादेशिक सेना सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा समिति की चौथी बैठक की सिफारिश पर उपरोक्त योजना को दोहराने और उस के स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना योजना बनाने का निर्णय किया गया है । नयी योजना के अधीन शिविरों की अवधि जो प्रारम्भ में सात दिन और बाद में दस दिन बढ़ायी गयी थी, अब ३० दिन होगी । प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, शिक्षार्थियों को मिश्रित विषयों में जसे विकास सम्बन्धी कार्यों में सूचनायें दी जायेंगी । प्रस्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना की कल्पना सहायक प्रादेशिक सेना की कल्पना से भिन्न होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि एक नवीन विधेयक पुरःस्थापित किया जाय जो सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक के उपबन्धों को पूर्ण रूप से बदल दे । इसे दृष्टि में रखते हुए, सहायक प्रादेशिक सेना की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने के लिए मैं आप की अनुज्ञा चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"सहायक प्रादेशिक सेना की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० बी० विट्ठलराव (खम्मम) : दूसरा विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में प्रस्तुत किया जायेगा । अभी तो हमें केवल वापस लेने की अनुमति के प्रश्न से सम्बन्ध है ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

खंड २० से २४

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध अग्रेतर खंडवार विचार के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी । खंड २० से २४ पर चर्चा होगी । इस समूह के लिए पांच घंटे नियत थे जिस में से दो घंटे ३९ मिनट २६ नवम्बर, १९५४ को उपयोग किये गये हैं और अब दो घंटे २१ मिनट शेष हैं । इस का यह अर्थ है कि इस खंड समूह पर आज चर्चा समाप्त हो जायगी और खंड सभा के समक्ष मतदान के लिए रखे जायेंगे । तत्पश्चात् सभा अगले समूह पर, जिस में खंड २५, ९७ और ११४ सम्मिलित हैं, विचार करेगी ।

अब मैं पिछले दिन श्री अमजद अली द्वारा उपस्थित किये गये विषय को स्पष्ट करूंगा । उन्होंने गत २६ तारीख को यह विषय उपस्थित किया था कि २५ तारीख को अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस आश्वासन को, कि समन्स केस प्रक्रिया और वारन्ट केस प्रक्रिया पर बाद में चर्चा की जायगी, दृष्टि में रखते हुए और इस तथ्य को भी दृष्टि में रखते हुए कि इस विधेयक का खंड २ आगे चर्चा के लिए रोक लिया गया है, २५ तारीख को विधेयक के खंड १७ की स्वीकृति का निर्णय पुनर्विलोकन के अधीन है अथवा नहीं ।

२४ और २५ नवम्बर की सभा की कार्यवाहियों का सावधानी से अध्ययन करने के पश्चात मैं देखता हूं कि खंड २ की चर्चा के समय पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझाव पर

[अध्यक्ष महोदय]

गृह कार्य मंत्री ने २४ तारीख को इस प्रकार से कहा था :

> "मेरा सुझाव है कि परिभाषा सम्बन्धी भाग को छोड़ कर आप धारा २ चर्चा के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और जब हम समन्स और वारन्ट केसों पर चर्चा करेंगे उस समय हम चर्चा कर के इन परिभाषाओं को बदल सकते हैं।"

परिणामस्वरूप, विधेयक का खंड २ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखा गया जैसा कि २५ नवम्बर को सभा की कार्यवाहियों से स्पष्ट होगा। मतदान के समय, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा :

> "आप के प्रश्न प्रस्तुत करने से पूर्व मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? जहां तक धारा ४ का सम्बन्ध है (उन का आशय खंड ४ से है), जहां तक वारन्ट और समन्स केसों का सम्बन्ध है इन पर मतदान बाद को हो सकता है और उपाध्यक्ष महोदय कल इस से सहमत थे। अतः इस दशा में इसे मतदान के लिये न रखिये।"

इस पर सभापति महोदय ने कहा "संशोधन संख्या ३४० पर मतदान स्थगित किया जाता है"। अन्त में सभापति महोदय ने घोषणा की "खंड २ पर सभी मतदान अब स्थगित किया जाता है"।

यह इस प्रकार वारन्ट और समन्स केस प्रक्रिया की चर्चा के लिए खंड २ खुला रखा गया था और तब सभा ने खंड ३ और अग्रेतर खडों पर विचार किया था।

२५ तारीख को खंड १७ पर चर्चा के दौरान में श्री अमजद अली इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे कि धाराएं १०८, १०९ और ११० के अधीन वे मामले जो पहले वारन्ट वाले मामले के तौर पर चलाये जाने थे अब समन्स वाले मामले के तौर पर क्यों बना दिये गये हैं। आगे श्री अमजद अली ने यह भी प्रश्न पूछा था कि खंड १७ में मूल धारा ११७ को वारन्ट केस नहीं बल्कि समन्स केस क्यों बना दिया गया है। इस पर गृह मंत्री ने यह कहा था कि जहां तक वारन्ट वाले मामलों और समन्स वाले मामलों का सम्बन्ध है, चर्चा स्थगित की गयी है और सभापति ने यह भी बताया कि जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वह भी स्थगित की गई है।

तत्पश्चात् गृह मंत्री के इस प्रश्न पर कि क्या खंड १७ जिस पर श्री अमजद अली पुनः चर्चा प्रारम्भ करना चाहते हैं, सभा के समक्ष मतदान के लिए रखा जायगा, सभापति ने यह उत्तर दिया :

> "जैसा सभा का निर्णय हो। यदि सभा की राय हो कि सभा स्थगित कर दी जाय, तब मैं आज प्रश्न को मतदान के लिये प्रस्तुत नहीं करूंगा"

गृह मंत्री का उत्तर समाप्त होने पर, खंड १७ से सम्बन्धित सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और सभा द्वारा अस्वीकृत हुए जिस में पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ९९ और श्री एस० सी० गुप्त का संशोधन संख्या ३६० भी सम्मिलित था।

अतः यह स्पष्ट है कि सभा ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि धारा १०८, १०९, तथा ११० के अधीन मामलों में जांच की प्रक्रिया वारन्ट मामलों की प्रक्रिया द्वारा संचालित न हो कर जैसा कि संशोधन विधेयक में प्रस्थापित है समन्स मामलों की प्रक्रिया द्वारा संचालित होगी। सभा द्वारा इन दो संशोधनों का अस्वीकृत किये जाने के बाद खंड १७ का

निपटारा स्थगित करने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार खंड १७ का मतदान के लिए रखा जाना एक औपचारिक विषय हो गया है। क्या स्थगित किया गया था और क्या आश्वासन दिया गया था इस विषय में कुछ गलत धारणा मालूम होती है। आश्वासन यह दिया गया था कि समन्स और वारन्ट मामलों की प्रक्रिया पर एक साथ बाद में चर्चा की जायगी और इसी विशेष कारण से खंड २ सभा के समक्ष मतदान के लिए नहीं रखा गया था।

अब जो प्रश्न उपस्थित किया गया है वह समन्स अथवा वारन्ट मामले की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। आश्वासन वारन्ट और समन्स मामलों की प्रक्रिया तक सीमित था। अतः खंड १७ को मतदान के लिए प्रस्तुत करने में कोई गलती नहीं थी। किन्तु सदस्यों का यह गलत धारणा है कि प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न के खुले होने के कारण, खंड १७ पर भी अभी विचार किया जा सकता है।

अतः अब यह स्पष्ट होगा कि खंड १७ का चर्चा के बाद अंतिम रूप से निबटारा हो गया है और अब उपस्थित किये गये प्रश्न से उस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता है। समन्स और वारन्ट मामलों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभा द्वारा किया गया निर्णय एक भिन्न विषय है जिस पर, आश्वासन के अनुसार, उचित समय पर चर्चा की जायगी।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि यदि अभियोक्ता पक्ष को जांच में लिखे गये बयान के आधार पर गवाह से जिरह करने का अधिकार दिया जाय तो उस से अभियुक्त को बहुत खतरा हो जायगा और उस के विरुद्ध पक्षपात होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी सभा को बताया है कि जांच में बयान बहुत बेढंगे तरीक़े से लिखे जाते हैं। इस प्रश्न पर मैं सभा के समक्ष उच्च न्यायालयों के दो निर्णय प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने १९४० इलाहाबाद, २९१ में प्रतिवेदित एक मामले में इस प्रकार कहा है : "इस धारा का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को उन पुलिस अफसरों को दिये गये बयानों से बचाना है जो बयान देने वाले व्यक्ति पर गलत प्रभाव डाल सकने की स्थिति में हो सकते हैं; और उन व्यक्तियों से बचाना है जो यह जान कर कि जांच जारी है, झूठ बोलने के लिये तैयार होते हैं।

दूसरा मामला २८ कलकत्ता के पृष्ठ ३४८ में प्रतिवेदित है। इन दो मामलों से यह मालूम होता है कि जांच के समय जो बयान लिखे जाते हैं वे ऐसे नहीं होते हैं कि जिन पर विश्वास किया जा सके। जांच में लिखे गये बयानों के आधार पर गवाह से जिरह करने का मौका अभियोक्ता पक्ष को देने का उद्देश्य यह है कि कोई भी बच न पाये।

वर्तमान संशोधन का यह प्रभाव होगा कि वे गवाह जिन के बयान अपूर्ण रूप से लिखे गये हैं, अपने ही बयानों से बाध्य होंगे और अभियुक्त को कभी मुक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

इस दृष्टि से अब इस विषय पर विचार करना है कि जांच के दौरान में लिखे गये गवाहों के बयान को कितना महत्व दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि अभी मैं ने जिन निर्णयों के उदाहरण दिये हैं उन्हें दृष्टि में रखते हुए हम जांच के समय किये गये बयानों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस तथ्य के होते हुए कि पहले की अपेक्षा आजकल गवाहों को अपने पक्ष में अधिक कर लिया जाता है, यह सत्य है कि निर्दोष व्यक्ति भी दंडित होते हैं और झूठे गवाह पेश किये जाते हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे]

इस कारण मेरा निवेदन है कि मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : डा० काटजू ने विधेयक को पुर:स्थापित करते समय दो बातें कही थीं । प्रथम, धारा १६२ के रद्द करने के विषय में है । इस धारा के अधीन, भारत में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी के समक्ष किया गया बयान मुकदमे में केवल एक उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है, और वह उद्देश्य है अभियोक्ता पक्ष के गवाह का अदालत में प्रतिवाद ।

१९४९ के एक मुकदमे (७६ आई० ए० १४७) में प्रिवी कौंसिल ने निर्देश किया है कि कुछ मामलों में पुलिस ने उसे समर्थनकारी उद्देश्य अथवा उसे वास्तविक साक्ष्य के तौर उपयोग करने के उद्देश्य से जालबट्टा किया था और प्रिवी कौंसिल ने इस की घोर निन्दा की थी और कहा था कि ऐसे बयान वास्तविक साक्ष्य के तौर पर अथवा अदालत में अभियोक्ता पक्ष के किसी साक्ष्य के समर्थन के लिए कभी उपयोग में न लाये जायें ।

इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय डा० काटजू ने सुझाव दिया था कि यह संरक्षण हटा दिया जाना चाहिये । आप जानते हैं कि इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है । पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष दिये गये बयानों की ग्राह्यता को ब्रिटिश न्यायशास्त्र स्वीकार करता है और अदालत में उन का सदा उपयोग किया जा सकता है ।

अंग्रेज़ लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं इसलिये पुलिस के सामने दिये गये बयानों को वे न्यायालय में भी काम में लाते हैं । परन्तु वे जानते थे कि भारत की पुलिस कैसी है इसलिये पुलिस के इतने भारी पक्षपाती होते हुए भी उन्होंने इस प्रथा को इस देश में लागू नहीं किया । डा० काटजू का प्रस्ताव था कि धारा १६२ का पूर्ण रूप से निरसन कर दिया जाये । विधि जीवी वर्ग के द्वारा इस का जो विरोध किया गया है इस का कारण यह नहीं है कि हम इस सुविधा को अपने व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये चाहते हैं । जो लोग स्वतंत्रता के प्रेमी हैं तथा देश से परिचित हैं वे अनुभव करते हैं कि हमारी पुलिस इतनी ईमानदार और सच्ची नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला श्री अमजद अली ने दिया था । उस में उक्त उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि यह बहुत अनुचित है कि कोई पुलिस अधिकारी लोगों के नाम से कुछ विशेष बयान दर्ज कर लेते हैं और फिर उन को उन्हीं के विरूद्ध प्रयोग में लाते हैं । भारत के सभी उच्च न्यायालयों तथा प्रिवी काउंसिल ने भी बारम्बार कहा है कि अधिकार का दुरुपयोग करने वाले पुलिस अफ़सरों के विरुद्ध यह सब से बड़ा परित्राण है । हम सभी जानते हैं कि पुलिस वाले बयान लिखते समय बहुधा ऐसी बातें लिख लेते हैं जो कही भी नहीं गई होती हैं । वे कभी गवाहों को उन के बयान पढ़ कर नहीं सुनाते हैं जिस से गवाहों को मालूम हो सके कि क्या लिखा जा रहा है । जब वे गवाहों से बयान लेते हैं तो उन को इधर उधर के काग़ज़ों पर नोट कर लेते हैं । दूसरे झूठ बोलने वाले गवाहों के विरुद्ध भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण परित्राण है । माननीय उप मंत्री श्री दातार ने लार्ड ऐटकिन के एक निर्णय का एक भाग पढ़ कर सुनाया था । लार्ड ऐटकिन ने भी यह कभी नहीं कहा कि धारा १६२ हटा दी जाये, बदल दी जाये या उस में संशोधन किया जाये । उन्हों ने भी पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट् ६६ आई० ए० ६६ में कहा है कि पुलिस धारा १६२ के अनसार जो बयान लेती है उन के

ठीक होने की कोई गारण्टी नहीं है । उन्हों ने तो यहां तक कहा है कि यदि बयान देने वाला अभियुक्त न हो वरन् आगे चल कर अभियुक्त घोषित किया जाये तो भी ऐसे बयान साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होंगे । मैं प्रवर समिति को इस के लिये बधाई देता हूं कि उस ने डा० काटजू के सुझाव को अस्वीकृत कर दिया ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्री दास गुप्ता, जस्टिस पी० बी० मुकर्जी तथा जस्टिस डी० मुकर्जी की एक विशेष समिति नियुक्त की थी । उस समिति का भी कहना है कि इस संशोधन को किसी रूप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । प्रवर समिति ने पहले वाक्य ही में कहा है कि उस को हमारी पुलिस की ईमानदारी, सच्चाई और कार्य-कुशलता पर तनिक भी भरोसा नहीं है । उस ने धारा १६२ को पुनः यथास्थान रख तो दिया है परन्तु उस के परन्तुक में कुछ फेर बदल किया है । उपधारा (१) के परन्तुक में कोई रूपभेद नहीं किया जाना चाहिये । उस में कहा गया है कि पुलिस जो बयान ले उन को लेखबद्ध करे । लेखबद्ध होने से क्या अन्तर पड़ेगा जब कि उस पर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं कराये जायेंगे । इस के बाद कहा गया है न्यायालय द्वारा उन का प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु अभियुक्त की प्रार्थना पर उसे उस बयान की एक नक़ल दी जा सकती है और यथोचित रूप से प्रमाणित किये जाने के बाद उस के किसी भी अंश का प्रयोग किया जा सकता है । उस के बाद न्यायालय की आज्ञा से अभियोक्ता पक्ष भी उस का प्रयोग कर सकता है । मान लीजिये कोई गवाह जिरह में कोई बात अभियुक्त के पक्ष की कह जाता है तो क्या यह उचित होगा कि कोई ऐसा बयान जिसे समझा जाता है कि उस ने छै मास पूर्व दिया था मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर के यह दिखाया जाये कि अमुक गवाह विरोधी पक्ष से मिल गया है, उस से जिरह की जाये और अभियुक्त की ओर से जो जिरह की गई है उस का सारा प्रभाव नष्ट कर दिया जाये । मेरा कहना है कि यह कैसे समझा जाये कि उक्त गवाह ने वास्तव में यह बयान दिया ही था । होना यह चाहिये था कि उसे यह बताने का अवसर दिया जाये कि पुलिस के बयानों में और जो बयान उस ने न्यायालय के सामने दिया है, दोनों में विरोधाभास होने का कारण क्या है । जैसे ही आप दंडाधीश को दिखायेंगे कि "पुलिस के बयान में यह लिखा है" वह दंडाधीश ९९ प्रतिशत मामलों में इस के लिये तय्यार हो जायेगा कि उक्त गवाह विरोधी पक्ष से मिल गया घोषित कर दिया जाये । मैं कहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि केवल इस लिये कि गवाह ने कोई बात ऐसी कह दी है जो आप का समर्थन नहीं करती है यह समझ लिया जाये कि वह विरोधी पक्ष से मिल गया है । यदि गवाह जान बूझ कर अपना बयान बदल कर दे रहा हो तो वह बात और है । परन्तु इस प्रकार कोई भी कितना ही ईमानदार गवाह क्यों न हो जैसे ही कोई बात वह अभियोक्ता पक्ष के विरुद्ध कहेगा साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ के अनुसार अभियोक्ता पक्ष को उस से जिरह करने का अधिकार दे दिया जायेगा और वह दूसरे पक्ष से मिल गया घोषित कर दिया जायेगा । ऐसे गवाह के बयान का कोई भी मूल्य नहीं समझा जाता है । यदि किसी ने पहले कोई और बयान दिया हो तो आप उस से पूछ सकते हैं कि उस के दोनों बयानों में विरोध होने का कारण क्या है । परन्तु यदि आप उस के बयान में और पुलिस के बयान में विरोध होने का कारण उस से पूछें तो वह क्या बता सकता है ? इसीलिये प्रत्येक अनुभवी न्यायाधीश तथा अनुभवी दंडाधीश का कहना है कि धारा १६२ का होना बहुत आवश्यक है । इसी लिये वे चाहते हैं कि धारा १६२ में कोई परिवर्तन न किया जाये, उसे उसी रूप में रहने दिया जाये जैसी कि वह पहले थी । बम्बई के चीफ़

[श्री एन० सी० चटर्जी]

प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री के० जी० खम्बाटता का भी यही कहना है। इस संशोधन से अभियोक्ता पक्ष को जितना लाभ होगा उस की तुलना में अभियुक्त को बहुत बड़ी हानि होगी। इस का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होगा कि कोई कितना ही सच्चा गवाह क्यों न हो उसे पुलिस के बयानों का, मिथ्या शपथ के आरोप का तथा बेईमान गवाह समझे जाने का भय सदा ही बना रहेगा। इसलिये मैं अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर भली प्रकार से विचार करने के बाद ही कोई निर्णय करें।

श्री गाडगील : खण्ड २२ के सम्बन्ध में जो तर्क श्री चटर्जी ने पेश किये हैं उन को मैं ने बहुत ध्यान से सुना है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि पुलिस के बयानों को उस समय तो मूल्यवान समझा जाता है जब अभियुक्त उन का प्रयोग करता है और जब अभियोक्ता पक्ष उन का प्रयोग करता है तो उन को बेकार समझा जाता है। श्री चटर्जी ने जहां तक पुलिस के बेईमान होने की बात कही है वह मेरी समझ में आती है। इस के सम्बन्ध में कुछ सुझाव संशोधन संख्या २८९ में दिये गये हैं जैसे गवाहों के बयान पूरे पूरे लिखे जायें, इधर उधर के काग़ज़ों पर न लिख कर किसी रजिस्टर पर लिखे जायें तथा लेखबद्ध किये जाने के पश्चात तुरन्त ही मुख्यालय को भेज दिये जायें। परन्तु यह ऐसी बातें हैं जिन को विधान का अंग नहीं बनाया जा सकता है, वरन् इन के आधार पर उचित प्राधिकारी द्वारा निदेश ही जारी किये जा सकते हैं।

परन्तु यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस प्रक्रिया से केवल अभियोक्ता तथा अभियुक्त का ही सम्बन्ध नहीं है वरन् समाज का भी है। कुछ लोगों ने सरकारी गवाहों को मिला लेना एक कला सी बना ली है जिस का परिणाम यह होता है कि उन मामलों में अभियुक्त को उन मामलों में भी दंड दिलाना कठिन हो जाता है जिन के सम्बन्ध में जनता समझती है कि इस मामले में अभियुक्त को निश्चित रूप से दण्ड दिया जायेगा। यह ठीक है कि कुछ बातों में अनुमान अभियुक्त के पक्ष ही में किया जाना चाहिये परन्तु सरकार को तो उन की भी भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है जिन का माल चोरी गया हो, जो लूटे गये हों, जिन के सम्बन्धी घायल हुए हों या जान से मारे गये हों। मेरा कहना है कि "प्रतिवाद के लिये न्यायालय की आज्ञा से" "शब्दों को इस लिये बढ़ाया गया है कि हो सकता है कि परिस्थिति विशेष ऐसी हों कि इस का प्रयोग करना पड़े। मेरे माननीय मित्र की आपत्ति यह है कि अभियोक्ता पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह पुलिस के बयानों के आधार पर किसी गवाह का प्रतिवाद कर सकता है। मान लीजिये कि अभियोक्ता पक्ष एक गवाह को पेश करता है वह अपना बयान देता है, वही गवाह फिर जिरह में चुपके से कोई विरोधी बात कह देता है। तो इस में कौन सी बात है। ऐसा तो प्रायः होता ही है। परन्तु आप का कहना तो यह है कि यदि पुलिस के बयान में कोई ऐसी बात हो जो इस के विरुद्ध हो तो उस के आधार पर केवल इसलिये कि वह अभियोक्ता पक्ष का गवाह है उस का प्रतिवाद न किया जाये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या धारा १५४ के अनुसार अभियोक्ता पक्ष गवाह के बयान को समाप्त होने से पहले ही जिरह नहीं कर सकता है ?

श्री गाडगील : मेरा तो कहना केवल इतना है कि अभियुक्त के अधिकारों में इस शब्दावली से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। वह पुलिस के बयानों की नक़ल वैसे ही प्राप्त कर सकता है। यदि अभियोक्ता पक्ष उन बयानों का प्रयोग करना चाहे तो उस के लिये

भी इस म उचित परित्राण रखा गया है कि जब तक यह न दिखाया जाये, कि उक्त गवाह वास्तव में दूसरे पक्ष से मिल गया है न्यायालय इस प्रकार की आज्ञा नहीं देगा । आजकल का अनुभव यह है कि कभी ही कभी ऐसा होता है कि यह घोषित करना होता है कि अमुक गवाह विरोधी पक्ष से मिल गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे किस कारण विरोधी पक्ष से मिल गया बताया जाता है ? क्या केवल इसी कारण से कि पुलिस का बयान भिन्न होता है ?

श्री गाडगिल : केवल यही एक कारण नहीं है जिस से कि दंडाधीश उसे विरोधी पक्ष से मिला घोषित करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का यही अनुभव है कि साक्षी पुलिस के सामने जानबूझ कर झूठ बोलेगा और अदालत में दूसरी बात कहेगा अतः पुलिस के बयान का अवश्य निर्देश किया जाय और उसे विरोधी पक्ष से मिला घोषित किया जाय ?

श्री गाडगिल : प्रश्न यह है कि दंडाधीश किस परिस्थिति में साक्षी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित कर सकेगा । हमें यह देखना है कि साक्षी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित करने के लिये इस प्रकार का उपबन्ध आवश्यक है या नहीं । मेरी तो यही धारणा है कि इस प्रकार के उपबन्ध की नितान्त आवश्यकता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारीबाग पूर्व) : खंड २३ के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है जिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस विधेयक का उद्देश्य मामलों के फैसले जल्दी कराना है और ऐसा करने के लिये पुलिस का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिये ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

पुलिस की जांच पड़ताल में प्रायः छः महीने से भी अधिक समय लग जाता है अतः मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि विधयक मे पन्द्रह दिन अथवा अधिक से अधिक एक महीने का समय निश्चित रूप से रख कर यह उपबन्ध कर दिया जाय कि इतने दिन के बाद मामला अदालत के सामन अवश्य प्रस्तुत किया जायगा, क्योंकि अभी तो संहिता में केवल यह उपबन्ध है कि मामले को प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये । किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन ने भी इस विषय में यही सम्मति दी है कि निश्चित समय का उपबन्ध होना आवश्यक है ।

पुलिस की इस लापरवाही के कारण अभियुक्त को महीनों तक बन्दी के रूप म रहना पड़ता है । इस विधेयक के सम्बन्ध में जितने व्यक्तियों से राय ली गई है वे सब पुलिस की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में ह । मुख्य न्यायाधीश श्री महाजन ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस बेईमान और अव्यवस्थित हो गई है । उन्हों ने न्यायाधीशों और दंडाधीशों की लापरवाही की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि इन सब बातों का पुनर्गठन किये बिना फैसले जल्दी नहीं हो सकते हैं ।

धारा २०२ के बारे में भी हम ने अदालतों में प्रायः यही अनुभव किया है कि दंडाधीश को बार बार यही लिखना पड़ता है कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इस धारा के लिये भी मैं ने एक संशोधन रखा है । अभी तो प्रस्तुत खंड २३ के विषय में मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि कोई निश्चित समय-सीमा अवश्य रखी जानी चाहिये ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : खंड २२ के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन है । यह खंड, धारा १६२ के सम्बन्ध में है जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं ।

दंड विधि का यह एक सिद्धान्त है किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य को उसी के विरुद्ध तब तक

[श्री एन० सोमना]

प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक वह साक्ष्य शपथ ग्रहण के बाद न दिया गया हो या उस से जिरह न की गई हो या उस ने अपनी साक्ष्य पर हस्ताक्षर न किये हों । इस सिद्धान्त का केवल एक अपवाद है जिस का धारा १६२ में उपबन्ध है । वह यह है कि जब वह व्यक्ति अपने ही पक्ष के लिये वह साक्ष्य देता है तब उस का प्रतिवाद करने के हेतु अभियुक्त उस का प्रयोग कर सकता है । अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पुलिस जो बयान लेती है उस का लाभ कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिये काम में नहीं ला सकता है । जो व्यक्ति अपने पक्ष में साक्ष्य देता है उसे अपने बयान का प्रयोग अपने ही हित के लिये नहीं करने देना चाहिये । मुझे बड़ा खेद है कि खंड २२ जिस रूप में रखा जा रहा है वह इस सिद्धान्त के विरुद्ध है । यदि उसे धारित कर दिया गया तो उस से अभियुक्त की बड़ी दुर्दशा होगी । धारा १६२ जिस रूप में है वह उसी में रहनी चाहिये और संयुक्त प्रवर समिति द्वारा किये गये इस संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये यही मेरा निवेदन है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं । सब से पहले तो मैं धारा २३ के बारे में कहूंगा । इस के अनुसार अभियुक्त को अधिकार है कि उस के विरुद्ध जो अभियोग चलाया जाय उस की उसे सूचना दी जानी चाहिये । इस प्रकार का उपबन्ध संविधान में ही दिया गया है ।

मैं यह चाहता हूं कि यह सूचना अभियुक्त को काफी पहले दी जानी चाहिये जिस से कि वह अपना मामला तैयार कर सके । मैं ने यह संशोधन रखा है कि ऐसी सूचना उसे सत्र (सेशन) के मामलों में कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व और सामान्य वारण्ट के मामलों में कम से कम दस दिन पूर्व दी जानी चाहिये और इस के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि जो पत्रादि उसे दिये जायें वे असली बयानों की शुद्ध प्रतिलिपियां हों । कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रतिलिपियों में गड़बड़ होने के कारण मामला बनते बनते बिगड़ जाता है । एक बार फिरोज़पुर में जो प्रतिलिपियां मुझे दी गई थीं उन से मैं ने अभियुक्त को दी गई प्रतियों को मिलाया तो ज्ञात हुआ कि उन में भयंकर भूलें थीं । फ़ौजदारी के मामलों में एक एक शब्द अपना निश्चित महत्व रखता है । यदि किसी मशीन की सहायता से प्रतिलिपियां तैयार की जायें तो ठीक रहेगा ।

इस विधेयक पर जब विचार प्रारम्भ हुआ था तब मैं ने पुलिस और न्याय व्यवस्था के बारे में अनेक बातें कही थीं जिस पर माननीय मंत्री ने क्रुद्ध हो कर कहा था कि हमारा सम्बन्ध इस समय केवल दंड प्रक्रिया से है । प्रवर समिति की ओर से तथा कुछ माननीय सदस्यों की ओर से भी ऐसे विचार प्रकट किये गये हैं कि प्रतिलिपि बनाने आदि इन सब प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिया जाय किन्तु माननीय मंत्री ने विशेष ध्यान नहीं दिया है । इस विषय के सम्बन्ध में धारा १७२ दंड प्रक्रिया में विद्यमान है जिस के बारे में मैं ने अपना संशोधन संख्या ३७२ प्रस्तुत किया है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि दंड-प्रक्रिया का आधार पुलिस का बयान होता है क्योंकि किसी भी घटना के होने पर पुलिस वहां जाती है और बयान लेती है, अतः उस बयान की सचाई एक महत्व पूर्ण विषय है । उस बयान को किसी साक्षी का प्रतिवाद करने के लिये अदालत में उद्धृत किया जा सकता है या नहीं इस पर मैं बाद में कहूंगा । पहले तो मुझे यह कहना है कि धारा १६१ के अनुसार पुलिस अफ़सर को अधिकार है कि

वह किसी मामले के सम्बन्ध में साक्षियों से बयान ले सकता है और उन बयानों को नोट कर सकता है। इन सब बयानों की प्रतिलिपि पृथक् पृथक् रूप से अभियुक्त को दी जाती है किन्तु पुलिस वाले प्रायः ऐसा करते हैं कि बयानों की एक मिश्रित प्रतिलिपि अभियुक्त को दे देते हैं जिस से कि उसे यह पता नहीं लग पाता है कि किस व्यक्ति ने उस के विरुद्ध क्या बात कही है और उस का उसे किस प्रकार उत्तर देना होगा। जितने गवाह उपस्थित होते हैं उन सब की गवाही लेना भी पुलिस के लिये ज़रूरी नहीं होता है और वे अपनी इच्छानुसार जिस की गवाही जब भी नोट करना चाहें कर लेते हैं। यहां तक कि पुलिस अफसरों की गवाही भी उन के सामने दर्ज़ नहीं की जाती है। ये सब बातें असंतोषजनक हैं। इन में संशोधन की आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि साक्षियों का साक्ष्य उन के सामने ही लिखा जाय।

कम से कम उन गवाहों के साक्ष्य तो उसी समय अवश्य लिखे जाने चाहियें जिन्हों ने घटना को अपनी आंखों से देखा हो।

कुछ दिन पूर्व एक मामले में एक लड़की ने तीन प्रकार के भिन्न भिन्न बयान दिये। पहले बयान के अनुसार उस ने कहा कि उस के ससुर को लाठी से पीटा गया। न्यायालय में उस ने कहा कि छुरा सिर में मारा गया और छुरे के टुकड़े वहां मिले। उस का तीसरा बयान यह था कि उस के समक्ष कमरे में उस के ससुर की छाती में छुरा भोंका गया जो कि आधा टूट कर उस की छाती में रह गया तथा आधा बाहर गिर गया। पूछे जाने पर अन्त में उस ने कहा कि उसका बयान ठीक प्रकार से नहीं लिखा गया था। सत्र न्यायाधीश ने इस स्त्री पर विश्वास किया तथा सात अभियुक्तों को दण्ड दिया। उच्च न्यायालय में यह फैसला बदला भी जा सकता है परन्तु इस के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि पुलिस प्राधिकारी ने बयान के बहुत से भाग को लिखा ही नहीं था। उस प्राधिकारी को, विधि के द्वारा, किसी साक्षी के समस्त बयान को लिखने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा विचार है कि पुलिस प्राधिकारी इन बयानों को लिखने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। परन्तु जब तक इन प्राधिकारियों से अधिक योग्य प्राधिकारी हमें नहीं मिलते हैं तब तक हमें इन्हीं से काम चलाना है। परन्तु क्या यह इन के लिये ज़रूरी नहीं है कि वह साक्षी द्वारा कहे गये वाक्यों को उसी रूप में लिखें जिस में कि वह कहे गये हों। जब आप ही विधि के इस परिवर्तन से सहमत नहीं हैं तब आप इस में सुधार किस प्रकार करेंगे? मुझे ज्ञात है कि प्रवर समिति के सभापति श्री गाडगिल का यह मत था कि ऐसा हम एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा कर सकते हैं। शान्ति तथा व्यवस्था राज्य का विषय है। एक राज्य इस सम्बन्ध में हम से सहमत हो सकता है दूसरा संभव है न हो। केन्द्र इस विषय के सम्बन्ध में राज्यों पर दबाव नहीं डाल सकता है। अभी तक यह केवल इसलिये नहीं किया गया है क्योंकि सभी गृह मंत्री तथा कार्यपालिका प्राधिकारी पुलिस के बारे में उदार ही रहे हैं क्योंकि पुलिस ही शान्ति तथा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। मैं भी प्रत्येक पुलिस वालों तथा सैनिकों का आदर करता हूं; परन्तु साथ ही साथ उन में सुधार भी करना चाहता हूं। साहस से काम कीजिये तथा उन में सुधार करने का प्रयत्न कीजिये। केवल कार्यपालिका आदेशों से ही कुछ काम नहीं होने वाला है। यदि आप मामलों को शीघ्र ही निपटाना चाहते हैं तो विधि में इस की व्यवस्था कीजिये।

जब हम ने दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया था तब माननीय गृह मंत्री ने हमें बताया था कि वह कुछ ऐसी प्रस्थापनायें प्रस्तुत कर रहे थे जिनके द्वारा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सम्पूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता ही में संशोधन हो जायेंगे । हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि अब अपराधों में कमी हो जायेगी तथा न्याय भी शीघ्र हुआ करेगा । परन्तु इस के स्थान पर हमें क्या दिखाई देता है कि वारन्ट वाले मामलों में जिरह करने का अधिकार छीना जा रहा है तथा मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । इसीलिये बजाय कार्यपालिका आदेशों के धारा १६१ के सम्बन्ध में दिया गया मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये तो सारी व्यवस्था भी ठीक हो जायेगी तथा न्यायालय को भी इसके लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । मेरा विचार है कि बीस तीस वर्ष में धारा १६२ तथा पुलिस के बयानों को उपयुक्त स्थान मिल पायेगा । पुलिस का बयान तो यह होना चाहिए कि पुलिस का सिपाही यह कहे कि अभियुक्त ने मेरे समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया था । यही ठीक प्रशासनिक कार्यवाही होगी यदि इस से अभियुक्त को मृत्यु दण्ड ही क्यों न मिल जाय । पुलिस के सिपाही को आदर्श सत्यवादी होना चाहिये जिस से कि साधारण नागरिक उदाहरण ले सकें । विदेशों में ऐसा ही है परन्तु हमारे देश में प्रत्येक स्थान पर पुलिस की आलोचना की जाती है । हमारे मंत्री महोदय तथा उपमंत्री का भी यही कथन है कि अभी हमारे देश की पुलिस ऐसी नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके । मैं उन का सुधार चाहता हूं । परन्तु साथ ही मैं देखता हूं कि उन को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । क्या आप धारा १६२ को वास्तव में संशोधित करना चाहते हैं ? आप जानते हैं कि भूतपूर्व अंग्रेज़ सरकार उन्हीं बयानों को लिखना चाहती थी जो कि उस के पक्ष में होते थे । वह सच्चे बयान नहीं चाहती थी । वह ऐसी पुलिस नहीं चाहती थी जिस का जनता विश्वास कर सके । परन्तु अब सभी पुलिस प्राधिकारियों को ईमानदार होना चाहिये । परन्तु जब तक य धाराय रहेंगी तब तक वह कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं चाहे वह ईमानदार रहने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे । हम यही चाहते हैं कि कम से कम जांच प्रारम्भ होने तथा बयान होने तक की घटनाओं के सम्बन्ध में उस का विश्वास किया जाये । यह तभी संभव हो सकता है जब कि उस पर कुछ बन्धन लगा दिये जायेंगे तथा इन बन्धनों को तोड़ने पर उस को दंड दिया जाये ।

अभी कुछ दिन पूर्व फ़िरोज़पुर ज़िले में एक घटना हुई थी । यह घटना ८ बजे हुई थी तथा १०-३० बजे पांच मील दूर थाने के रोज-नामचे में लिखी गई । उस स्थान पर भी एक पुलिस चौकी थी तथा रिपोर्ट रात को १२ बजे थाने को भेजी गई । इसी तथ्य पर जज ने लिखा कि यह रिपोर्ट साढ़े दस बजे रोज़-नामचे में किसी भी प्रकार नहीं लिखी जा सकती थी तथा पुलिस प्राधिकारी ईर्षालु प्रतीत होता है । इतना होने पर भी वह पुलिस प्राधिकारी उसी प्रकार अपने पद पर नियुक्त है । इस प्रकार से तो पुलिस कभी भी नहीं सुधारी जा सकती है ।

अतः मैं ने अपने संशोधन संख्या ३७२ में दिया है कि पुलिस डायरी के दो भाग होने चाहिये । एक संशोधन संख्या ३७२ में वर्णित प्रकार का होना चाहिये तथा दूसरा "बयान डायरी" कहलाई जानी चाहिये । यह एक जिल्ददार डायरी होनी चाहिए जिस के प्रत्येक पृष्ठ पर उस स्थान के उच्चतम प्राधिकारी जैसे इंस्पैक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस अथवा अन्य किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहियें जिस से कि उस को, फाड़ कर उस में से कोई पृष्ठ निकाला न जा सके । क्योंकि बहुत से मामलों में इस को फाड़ दिया जाता है तथा उन पष्ठों के स्थान पर अन्य पृष्ठ लगा दिये

जाते हैं। सरदार भगत सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। एक अन्य मामले में जिस में आठ हत्यायें हुई थीं ज़िमनियों को फाड़ डाला गया था तथा नवीन पृष्ठ लगा दिये गये थे जिन के कारण सभी अभियुक्तों को मुक्त कर दिया गया था। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इन डायरियों से सम्बन्धित मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें। यह डायरियां भी जिस दिन भेजी जानी चाहियें उस दिन नहीं भेजी जाती हैं तथा उन को भेजने की कोई चिन्ता भी नहीं करता है। मैं ने संशोधन संख्या ३७२ में यही सुझाव दिया है कि एक रजिस्टर भी होना चाहिये जिस में यह लिखा जाना चाहिये कि ये डायरियां किस तिथि को भेजी गईं तथा इस का अभियुक्त को भी पता होना चाहिये। इसी प्रकार डायरी में लिखित बयान की प्रतिलिपि भी अभियुक्त को मिलनी चाहिये। यदि ये संशोधन स्वीकार कर लिये गये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों पक्षों को इस से सहायता मिलेगी तथा फैसला भी शीघ्र होगा।

अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया है कि जो खण्ड परस्पर सम्बन्धित हैं उन पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसलिये इस विधेयक से सम्बन्धित धाराओं पर भी संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। धारा १६२, तथा १६१ प्रथम धारायें हैं, जो संशोधित होनी चाहियें।

प्रथम विधेयक में धारा १७२ वाद विषय थी परन्तु अब यह धारा नहीं रखी गई है। क्यों, यह पता नहीं। धारा १६२ तथा १७२ बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा मेरा संशोधन भी महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि माननीय गृह मंत्री के विरोध के अनपेक्ष भी मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लें।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्राथना करूंगा कि बहुत से सदस्य बोलने को बाकी हैं, अतः वे यथासंभव संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रयत्न करूंगा। इस धारा में यह दिया गया है कि "न्यायालय की अनुमति से"। माननीय उपमंत्री ने अपने २६ नवम्बर के भाषण में कहा था कि साक्षी के आने के तुरन्त पश्चात् ही न्यायालय अनुमति नहीं दे देगा परन्तु न्यायालय अन्य प्रश्नों के समान इस प्रश्न पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और निश्चय करेगा कि अनुमति दी जानी चाहिये अथवा नहीं। सब से पहले साक्षी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित किया जाये तत्पश्चात् न्यायालय अनुमति दी जानी चाहिये अथवा नहीं इस प्रश्न पर विचार करेगा। उन के शब्द इस प्रकार थे कि यदि अभियोक्ता पक्ष अपने साक्षी से उस के दूसरे बयान के लिए धारा १६१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत जिरह करना चाहे तो उसे न्यायालय से साथी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित करने की प्रार्थना करनी होगी तथा उस से जिरह करने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस अनुमति के मिलने के पश्चात् ही अभियोक्ता पक्ष उस से जिरह कर सकेगा।

सब से पहले यह मान लिया गया है कि साक्षी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार की अनुमति मिलने से पहले विरोधी पक्ष से मिला घोषित करना ठीक नहीं है। धारा में 'जिरह' शब्द ही नहीं है। उस में कहा गया है कि न्यायालय उस से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो कि जिरह (प्रतिपरीक्षण) में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस का विरोधी पक्ष से मिलने की घोषणा से कोई सम्बन्ध विधि में नहीं है। यह विरोधी घोषित किये जाने से पहले भी हो सकता है। यह धारा इंगलैंड की विधि में है परन्तु भारत में लाग नहीं की गई थी। हम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

धारा के शब्दों को देखना चाहिये । कहीं भी नहीं दिया गया कि साक्षी को विरोधी पक्ष से मिला घोषित किया जायेगा । ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता है । पंजाब में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था एक न्यायाधीश द्वारा बनाई प्रचलित थी परन्तु पंजाब सरकार ने न्यायपालिका से विधि को ठीक करने की प्रार्थना की । भारत में साक्षी द्वारा कहे गये शब्द कभी भी बेकार नहीं समझे जाते हैं । मैं तो यहां तक कहूंगा कि पहली जांच का ठीक तौर से मूल्यांकन किया जाना चाहिये । जितने मामले होंगे सभी में पुलिस प्राधिकारी कह सकता है कि यह बात साक्षी ने पहली बात के विरोध में कह दी है और इस से अभियुक्त को बचाव के कोई भी अवसर नहीं मिल सकेंगे ।

श्री गाडगील ने कहा कि अभियोक्ता तथा अभियुक्त दोनों विधि के समक्ष एक ही स्तर पर हैं इसलिये उन को हस्ताक्षर नहीं करने देने चाहिये । मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं कि संशोधित धारा १६४ को इतनी प्रधानता नहीं दी जानी चाहिये । परन्तु जो कुछ आशा थी उस से कहीं अधिक बुरा उन्होंने इस धारा को बनाया है । धारा १६४ में एक व्यक्ति न्यायालय में जा कर एक बयान देता है तथा उस पर हस्ताक्षर करता है । न्यायालय को उस में कोई रुचि नहीं होती है । परन्तु धारा १६२ के अधीन दिया गया है कि अभ्यर्थी के समान ही न्यायालय को उस बयान में रुचि होगी क्योंकि यदि मामला उस के पक्ष में तय नहीं होता है तो उस की पद-वृद्धि समाप्त कर दी जायेगी । मैं घूसखोरी के सम्बन्ध में नहीं कहता हूं । प्रत्येक व्यक्ति को घूस नहीं दी जा सकती परन्तु मैं अति उत्साही प्राधिकारियों के सम्बन्ध में कह रहा हूं । वह अपने अति उत्साह के कारण सभी कुछ अपनी समझ से लिख सकता है । यह लिखा हुआ बयान उस साक्षी का बयान नहीं हो सकता है । मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री द्वारा धारा १६४ के सम्बन्ध में कही गई बातें कम आपत्तिजनक थीं परन्तु न्यायालय की अनुमति वास्तव में बहुत ही आपत्तिजनक है' ।

अभियुक्त अपनी रक्षा नहीं कर सकता है । साक्षी अपना बयान पा सकता है । जांच करने वाला प्राधिकारी कह सकता है कि साक्षी ने अमुक बात कही है चाहे साक्षी ने वह शब्द कहे हों अथवा न कहे हों । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी ही उलझी हुई समस्या है तथा सभा को इस पर पूर्णतया विचार करना चाहिये । यह उपबन्ध अभियुक्त के लिए बहुत ही ख़राब है ।

यदि अभियोक्ता पक्ष को जिरह करने का अधिकार मिल जाता है तो जिरह में वह ऐसे शब्द कह सकता है जिन के द्वारा, उस का पहला बयान बिल्कुल ही बदल जाये । यद्यपि अभियोक्ता पक्ष को यह अधिकार दिया गया है परन्तु अभियुक्त से यह अधिकार ले लिया गया है ।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं धारा १६२ के अन्तर्गत दो प्रकार के बयानों की प्रतिलिपियों की अनुमति है । प्रथम धारा १६१ की उप-धारा (३) के अधीन जिस के अनुसार डायरी में लिखे गये बयान की प्रतिलिपि जिसे धारा १६१ (३) के अन्तर्गत न लिखा गया हो । इसलिये धारा १६२ के अन्तर्गत इस से सम्बन्धित साक्षी का दिया हुआ बयान भी अभियुक्त को दिया जा सकता है । इसलिये धारा १६२ के अधीन मिलने वाले सभी बयान अभियुक्त को मिलने चाहियें । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें कि डायरी में लिखे गये अन्य बयानों की प्रतिलिपि भी अभियुक्त को दी जानी चाहिये ।

इस के पश्चात् मैं उस उपबन्ध के सम्बन्ध में निवेदन करता कि पुलिस प्राधिकारी किसी ऐसे बयान को जो कि शीघ्र फैसला होने में अड़चन डालता हो परिवर्तित कर सकता है। पुरानी धारा के अनुसार केवल दंडाधीश ही ऐसा कर सकता था।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : पहले बयान न्यायालय के समक्ष सुनवाई प्रारम्भ होने पर दिया जाता था परन्तु अब यह सात दिन पहले दिया जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधेयक में इन सात दिवसों का कोई ज़िक्र नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री का कथन है कि बयान कई दिन पहले ले लिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किस उपबंध के अधीन ? मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है तथा मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह उस को स्वीकार कर लेवें।

डा० काटजू : यह बयान सुनवाई होने से पहले ले लिया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिस पर आप विचार करें। संविधान के अनुसार अभियुक्त इन सब बयानों को पा सकता है।

डा० काटजू : धारा की रचना ही इस प्रकार की है कि प्रतिलिपियां पहले से ही दी जायेंगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे प्रसन्नता है कि यह निर्वाचन किया गया है। विचार के समय मैं ने कहा था कि धारा १६२.....

डा० काटजू : आप ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि मैं अभियुक्त को दण्ड दिलाने के पक्ष में ही हूं तथा आप उस को बचान के।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह अपने सम्बन्ध में कह सकते हैं कि वह अभियुक्त के विपक्ष में है परन्तु मेरे सम्बन्ध में उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि मैं पुलिस के विपक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी पुलिस अच्छी हो जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपना भाषण अब समाप्त कर देना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री ने कहा कि बयान पहले ही ले लिये जायेंगे। मैं इस को स्वीकार करता हूं।

धारा २३ में दिया गया है कि :

> "परन्तु जांच अथवा सुनवाई प्रारम्भ होने के समय दंडाधीश पुलिस प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निकाले गये भाग पर विचार करेगा तथा जैसा वह ठीक समझेगा आदेश देगा और यदि वह इस निकाले गये भाग की प्रतिलिपि अभियुक्त को दिया जाना ठीक समझेगा तो वह प्रतिलिपियां उसे दी जायेंगी।"

"जांच तथा सुनवाई प्रारम्भ होने के समय" शब्दावलि में सात दिन पूर्व का आशय नहीं आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुनवाई के समय पुलिस प्राधिकारी को स्वयं ही यह निर्णय नहीं कर लेना चाहिये कि अमुक भाग असंगत हैं तथा न्याय प्राप्ति में अड़चन पैदा करेंगे। वह बयान स्वयं उसी के लिखे होते हैं तब उसे असंगत बातों को लिखने का क्या अधिकार है ? उस ने असंगत बात लिखीं ही क्यों जिस से कि न्यायालयों को उपयुक्त बातों का पता लगाने में कठिनाई पड़े। चाहे यह एक दम ही न असंगत हो और यदि किसी अवस्था पर न्यायालय यह निर्णय करे कि यह निश्चय ही सुसंगत है, और अभियुक्त को यह न मालूम

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो कि उस में है क्या तो वह इस से लाभ नहीं उठा सकेगा । अतः मेरा निवेदन है कि यह आदेश यह न्यायिक आदेश होना चाहिये, अभियुक्त की उपस्थिति में दिया जाना चाहिये और कई दिन पूर्व दिया जाना चाहिये, ताकि मुक़दमा प्रारम्भ होने से पूर्व उस की सम्पूर्ण प्रतिलिपि के लिय अभियुक्त आवेदन कर सके । मैं जानता हूं कि इस उपबन्ध का बहुत कम मामलों में उपयोग किया जायेगा । मैं नहीं चाहता कि अभियोक्ता पक्ष को सभी बातें बताने के लिये कहा जाये, परन्तु मैं चाहता हूं कि साधारण मामलों में यह कार्यवाही अभियोग के चलाये जाने से बहुत पहले ही की जानी चाहिये ।

श्री रघुवीर सहाय : श्रीमान्, खंड २२ तथा २३ की बहुत आलोचना की गई है, मैं मुख्य आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

खंड २२ के सम्बन्ध में एक आलोचना यह की गई है कि यह पुलिस को न्यायालय की अनुमति से स्वयं अपने साक्षियों के बयानों का प्रतिवाद करने का नया हक़ देता है । साथ ही यह भी कहा गया है कि यह अभियुक्त के हितों के प्रतिकूल होगा । इसे आपराधिक न्यायशास्त्र का एक नवीन सिद्धान्त भी बताया गया है । परन्तु यह तो सभी जानते हैं कि किसी बयान का मूल्य केवल तभी जांचा जा सकता है जब कि वह शपथपूर्वक किसी दंडाधिकारी या न्यायाधीश के समक्ष दिया गया हो । जब उस पर जिरह हो चुकी हो और यदि आवश्यक हो तो साक्षियों का पुनः परीक्षण हो चुका हो । जब इतना कुछ हो तभी किसी बयान की सत्यता निश्चित की जा सकती है । पुलिस के समक्ष यदि किसी ने बयान दिया हो और वह साक्षी दंडाधीश के सामने आये तो यह सभी जांचें की जानी चाहियें । उस को शपथ-पूर्वक बयान देने दीजिये और उस से जिरह की जाये तो इस में हर्ज ही क्या है ? इस तरह से तो यह किसी भी आपराधिक न्यायशास्त्र के मान्य सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है । यदि साक्षी के बयान की सत्यता की जांच करने का अवसर अभियुक्ता के वकील को दिया जाता है तो अभियोक्ता पक्ष को भी उक्त बयान की सत्यता की जांच करने का अवसर दिये जाने में आपत्ति क्या है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या माननीय सदस्य का यह विचार है कि इस बयान को अभियोक्ता पक्ष के साक्षियों से अग्रेतर जिरह करने के लिये काम में लाया जायेगा ?

श्री रघुवीर सहाय : बिल्कुल नहीं । मैं सभा के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि पुलिस सर्वथा ईमानदार नहीं होती है । परन्तु यह आरोप कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर नहीं लगाया जाना चाहिये । हमें प्रतिदिन पुलिस के हथकंडों के विवरण मिलते रहते हैं । माननीय न्यायाधीश यह निर्णय देते हैं कि अमुक बयान विश्वासनीय है और अमुक नहीं है । अतः इस उपबन्ध में कोई नवीनता नहीं है और न ही हमें यह समझना चाहिये कि इस से अभियुक्त के प्रति कोई अन्याय होगा । यदि पुलिस के समक्ष कोई सच्चा बयान दिया जाये और बाद को पुलिस उस में गड़बड़ी कर दे तो क्या आप यह चाहते हैं कि उस बयान की सत्यता के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर जांच न की जाये ?

मेरा निवेदन यह है कि इस नवीनता से हमें आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिये । इस से अभियोक्ता पक्ष को साक्षियों के बयानों की सत्यता की जांच करने का एक और अवसर मिलेगा ।

खंड २३ के सम्बन्ध में बड़े महत्वपूर्ण तर्क दिये गये ह और कहा गया है कि यद्यपि

पुलिस को अभियुक्त अथवा उस के वकील को मुक़दमा प्रारम्भ होने के बहुत पूर्व वक्तव्य की एक प्रतिलिपि देनी पड़े तो साक्ष्य के बयान का एक भाग क्यों रोका जाय, यदि पुलिस के अनुसार वह जनता के हित के विरुद्ध था या किसी रहस्य से सम्बद्ध था अथवा संगत न था ? पुलिस को ही वक्तव्यों के न्यायसंगत होने का निर्णय करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस खंड में भी यदि सार्वजनिक न्याय के हित में अथवा वक्तव्यों के गोपनीय होने के कारण, कुछ भाग रोक लिया गया है तो, अभियुक्त तथा उस के वकील को दंडाधीश के पास जाने तथा उस से उस सम्पूर्ण वक्तव्य को पूरा निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है, जिससे उन्हें सन्तोष हो जाय कि वह उचित अथवा अनुचित रूप से रोका गया है। मेरा निवेदन है कि हमें पुलिस, न्यायपालिका तथा दंडाधीश पर संदेह नहीं करना चाहिये। पुलिस का सुधार होना चाहिये किन्तु यह एक नितान्त भिन्न मामला है।

मेरा विचार है कि सभा को इन खंडों में किये गये परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिये।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : खंड २२ के सम्बंध में मुख्य प्रश्न वहां पर है, जहां "न्यायालय की अनुमति से अभियोजन के द्वारा" शब्द आये हैं। अभियोजन के मामले में पुलिस स्वयं अपने अभिलेख के एक भाग का उपयोग करती है। यह उस समय भी लिखा जा सकता है जब कि अभियुक्त उपस्थित न हो अथवा उसने उस पर हस्ताक्षर न किये हों। उस के ऊपर यह दायित्व लादना किसी प्रकार वांछनीय नहीं होगा तथा इससे न्याय के सामान्य सिद्धान्तों का भी विरोध होगा। मैं सोचता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसलिये यदि गृहमंत्री यह स्वीकार करें "परन्तु पुलिस के द्वारा इस प्रकार अभिलिखित वक्तव्य अथवा उस का कोई भाग अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा।"—प्रमुख आपत्ति इसी प्रकार के जिरह के सम्बन्ध में है—तो बहुत सी आलोचनायें स्वयं समाप्त हो जायेंगी। मैं समझौते से चलने में विश्वास रखता हूं, तथा मेरा विचार है कि मेरे संशोधन से मुख्य प्रयोजन हल हो जायेगा। यदि माननीय मंत्री का यह संशोधन स्वीकृत हो जाय तो वक्तव्य अथवा उस के किसी अंश का उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध नहीं हो सकता तथा मैजिस्ट्रेट व न्यायालय भी उसका किसी प्रयोजन के लिये उपयोग नहीं कर सकते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या हमें इस संशोधन पर विचार करने का समय मिलेगा ?

डा० काटजू : मेरा विनम्र मत यह है कि इस को केवल इसी आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिये कि यही देश की विधि है। इसलिये उन को पूरी तरह पक्का करने के लिये इस को पुरःस्थापित किया जा रहा है। अन्यथा यह खंड १६४ के अधीन वक्तव्य जैसा ही है। स्पष्ट नियम यह है कि खंड १६४ के अधीन साक्षी के द्वारा शपथपूर्वक दिये गये वक्तव्य स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं। तथा इस पर अन्तःपरिषद् के तथा दूसरे नियम हैं। इसी प्रकार यह वक्तव्य किसी न किसी रूप में दंडाधीश को यह संतोष देने के लिये हैं कि यह गवाह सच्चा गवाह नहीं है और क्या यह अभियुक्त के विरुद्ध व्यक्तिगत साक्षी देने जा रहा है ; मैं ने सदैव विधि को इसी रूप में समझा है।

श्री पाटस्कर : इस संशोधन में निहित भाव यह है, माना कि एक व्यक्ति पुलिस के सामने एक बात तथा न्यायालय के सामने दूसरी बात कहता है। क्या उस के साथ केवल सीलिये जिरह की जायेगी कि वह विश्वसनीय साक्षी नहीं है ? इस संशोधन का यह प्रभाव होगा कि पुलिस के सामने दिये गये वक्तव्यों को न्यायालय में उस के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

खंड २३ के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री को केवल एक सुझाव दूंगा। मैं सोचता हूं कि

[श्री पाटस्कर]

पुलिस के हाथ में यह न छोड़ा जाय कि, यह वक्तव्य संगत है अथवा नहीं । क्योंकि कुछ भी हो पुलिस चित्र का एक ही पहलू जानती है। जिसे वह असंगत समझती है वही अभियुक्त के लि नितान्त संगत हो सकता है । अवश्य ही जहां तक सार्वजनिक हित का प्रश्न है, मैं इस को मानने के लिये सहमत हूं । किन्तु जहां तक उसकी संगति का प्रश्न है कि न्याय के हित के लिये से रोका जाना चाहिये मैं सोचता हूं कि यदि इसे अभियुक्त के पास जाने से रोका भी जाय तो भी इसे दंडाधीश के पास भेजना चाहिये ।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : खंड १७२ के सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन संख्या २८९ था जो कि मुकदमों की दैनन्दिनी (डायरी) के सम्बन्ध में था । माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहिय कि वह ठीक से रखी जाये ।

डा० काटजू : मैं पहिले दूसरे प्रश्न को लूंगा । मुझे आश्चर्य है कि एक मामले को अनदेखा किया गया है । दंडाधीश के सम्बन्ध् का खंड, खंड १६२ के परन्तुक की प्रतिकृति मात्र है यदि माननीय सदस्य दंड प्रक्रिया संहिता के खंड १६२ को देखें तो उस में उन्हें यह परन्तुक मिलेगा ।

परन्तु अग्रेतर, यदि न्यायालय के मतानुसार वक्तव्य का कोई अंश जांच के विषय के उपयुक्त न हो अथवा उस का प्रगट करना न्याय के हितों की रक्षा के लिये, अथवा सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिये कार्यसाधक न हो, तो वह ऐसे मत का अभिलेख कर के अभियुक्त को दिये जाने वाले वक्तव्य की प्रतिलिपि से अलग रखेगा ।

चालू प्रक्रिया के अधीन अभियुक्त को वक्तव्य खुले न्यायालय में दिया जाता है । यदि पुलिस का यह मत हो कि कुछ अंश को रोका जाना चाहिये तो वह दंडाधीश से कहती हैं कि अमुक अंश सार्वजनिक तथा न्याय के हितों के प्रतिकूल हैं इसलिये इन्हें अभियुक्त को नहीं दिया जाना चाहिये । दंडाधीश उसे पढ़ता है । उस पर न्याय तथा तर्क नहीं होते हैं । तथा अभियुक्त को उन कंडिकाओं की एक प्रतिलिपि मिल जाती है जो उसे मिलनी चाहिये । जब हम प्रवर समिति के समक्ष इस विधेयक का मसविदा तैयार कर रहे थे तो उस समय यह प्रश्न उठा कि हम सौंपने की तारीख बदल रहे हैं । यह परीक्षण के दौरान नहीं बल्कि उस से पूर्व दिया जाने वाला है । हमारे लिये दो मार्ग थे कि यदि साक्षी के वक्तव्य में कोई आपत्तिजनक बात है तब इस पूरे वक्तव्य को न दिया जाय । माना राम नारायण की परीक्षा का विवरण दो पृष्ठों में आया । पुलिस सोचती है इसमें से दो पंक्तियों को रोक लिया जाय तब न्यायालय कहता है कि सारे वक्तव्य को रोक दो इस पर दंडाधीश का निर्णय हो जाने दो । दंडाधीश के आदेश देने पर उस के अनुसार कार्यवाही की जाती है । या तो पूरा वक्तव्य दिया जाय अथवा दो पंक्तियों को छोड़ कर पूरा वक्तव्य दिया जाय । हम ने सोचा कि अभियुक्त के हक में यह अच्छा होगा कि वह उन दों पंक्तियों को रोक कर बाकी सारा वक्तव्य दे तथा दंडाधीश का ध्यान इन दो पंक्तियों पर आकर्षित करे कि इन पर उन की क्या आज्ञा है ? इसलिये हम ने खंड १६२ के परन्तुक की शब्दशः प्रतिकृति कर दी है । इस खंड में तीन चीजें हैं : संगतपूर्ण होना, सार्वजनिक हित तथा न्याय का हित । इसलिये मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि उठाई गई आपत्तियां निर्मूल हैं, तथा यह भय कि मसविदा बनाने वालों ने कुछ जोड़ा है निर्मूल है—वह जोड़ा नहीं गया है किन्तु हम ने खंड १६२ के परन्तुक की प्रतिकृति रख दी है ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि एक अंश जिसको कि दंडाधीश ने पहिले असंगत मान लिया हो, मुकदमे के दौरान संगत सिद्ध हो जाय तो उस दशा में दंडाधीश क्या करेगा ?

डा० काटजू : इस प्रश्न का उत्तर यह है कि चालू प्रक्रिया क्या है चालू संहिता के अन्तर्गत बिल्कुल यही कठिनाई आ सकती है । चालू उपबन्ध यह है : राम नारायण साक्षी संख्या २ है और कठघरे में आता है । दंडाधीश आदेश देता है कि दो पंक्तियां रोक ली जायें । पांच साक्षियों की परीक्षा होने के पश्चात् वे दो पंक्तियां संगत हो जाती हैं तब दंडाधीश कह सकता है कि प्रतिलिपि दो । यदि स्थगित करना आवश्यक हो तो स्थगन किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि हमें मुक़दमे का व्यापक स्वरूप देखना चाहिये तथा छोटी छोटी बातों से नहीं उलझना चाहिये । मैं सभा को इस प्रकार संतुष्ट करने को उत्सुक हूं कि इस परन्तुक के आपत्तिजनक अंश वर्तमान विधि के मूल पाठ की प्रतिलिपि हैं जिसे सब ने सही स्वीकार किया है ।

अब मैं मुख्य प्रश्न पर आता हूं । तर्कों में उलझने के बजाय आप स्थिति को ही ठीक तरह से देखिये । अब अधिकांश साक्षियों से समर्पण न्यायाधीश के समक्ष शपथपूर्वक जिरह नहीं की जायेगी । आप मुझ से अधिक जानते हैं यह एक सहज ज्ञान का प्रश्न है कि पिछले ५, ६ या ७ वर्षों में साक्षियों को दबाने के बहुत से प्रयत्न हुए हैं । यह पुलिस की उच्छृङ्खलता के कारण हो सकता है । साक्षी बदलते रहते हैं । उन के पास पुलिस के बयानों के अलावा कुछ नहीं है । मैं इस मार्ग पर कोई आपत्ति नहीं देखता । एक उदाहरण लीजिये कि आठ अभियुक्त हैं जिन्होंने हत्या या डकैती की है । पुलिस एक आंखों देखे साक्षी को प्रस्तुत करती है उस से पूछा जाता है कि घटना के समय कितने व्यक्ति थे वह यद्यपि ८ कह सकता है किन्तु वह चार कहता है । वह या तो बचना चाह रहा है अथवा पुलिस चार निर्दोष व्यक्तियों को फंसाना चाह रही है । तुरन्त ही यह प्रश्न उठता है कि उस ने पुलिस के सामने क्या बयान दिया था । मान लीजिये उस ने पुलिस के सामने आठ व्यक्तियों का नाम बताया था जैसा कि अभिलेख में है, अब वह चार कह रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दण्डाधीश उसे झूठा गवाह केवल इस कारण न मान ले कि उस ने अब चार व्यक्तियों को गिनाया है । वह इस बयान को लिखता जायेगा । आगे होने वाले बयानों को भी वह लिखता जायेगा । दण्डाधीश सन्देह करना प्रारम्भ कर देता है कि गवाह या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रतिरक्षा पक्ष का पक्ष कर रहा है और तब अभियोग लगाने वाला इन्सपेक्टर या सरकारी अभियोक्ता दण्डाधीश से उस गवाह का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति मांगता है । दण्डाधीश अनुमति देता है । चाहे सत्र-न्यायाधीश हो या दण्डाधीश, इसी रूप में प्रतिपरीक्षण होता है । गवाह से पूछा जाता है : क्या तुम्हारा परीक्षण पुलिस के सामने हुआ था ? वह स्वीकार करता है । क्या पुलिस सब-इन्सपेक्टर ने तुम्हारा परीक्षण तीन दिनों के भीतर ही किया था ? वह स्वीकार करता है । क्या तुम से पूछा गया था कि वहां पर कितने व्यक्ति थे ? वह इसे भी स्वीकार करता है । उस से प्रश्न किया जाता है कि तुम ने पुलिस का क्या उत्तर दिया ? यदि वह कहता है कि मैंने कहा आठ व्यक्ति, तब खण्डन की कोई बात नहीं उठती क्योंकि वह स्वीकार कर लेता है । फिर उस से पूछा जायेगा कि जब तुम ने पुलिस के सामने आठ कहा था और अब चार कहते हो, तुम किस प्रकार इस असमानता को दूर करोगे ? वह कारण बतायेगा । वह कहेगा कि गिनने में कठिनाई थी या देखने वालों को भी उस ने आक्रमण-कारी समझ लिया था । कल्पना कीजिये वह कहता है कि मैंने पुलिस के सामने

[डा० काटजू]

आठ नहीं कहा, तो क्या होगा ? तब सब-इन्सपेक्टर गवाह के कटघरे में खड़ा होता है। उस से पूछा जाता है कि क्या तुम ने राम नारायण का परीक्षण किया था ? वह कहता है : हां। उससे पूछा जाता है : क्या तुमने उस से पूछा कि वहां कितने व्यक्ति थे ? वह उत्तर देता है : हां। वह बतलाता है कि राम नारायण ने उसे बताया था कि वहां आठ व्यक्ति थे। अब दंडाधीश के सामने यह प्रश्न है कि किस का बयान सत्य है। क्या यह गवाह यहां सत्य बयान दे रहा है या इसने पुलिस के सामने सत्य बयान दिया था। पुलिस के अभिलेख का बयान कि आठ व्यक्ति थे इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं माना जायेगा। इस बयान का उपयोग केवल इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है कि यह साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और क्या व्यक्तियों की संख्या के बारे में इस का बयान सत्य है या असत्य। यदि कोई कहे कि मैं बहुत औपचारिक दृष्टि से देखता हूं तो मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव, तथा श्री एस० एस० मोरे को धारा १६४ का स्मरण कराऊंगा। धारा १६४ के अनुसार ऐसे बयान को एक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है पर अभियुक्त के विरुद्ध में एक पक्के साक्ष्य के रूप में कभी भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या उसे समर्थन के काम में प्रयोग किया जा सकता है ?

डा० काटजू : समर्थन का कोई प्रश्न नहीं है। जब यह साक्ष्य बयान दे रहा है तो समर्थन का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि मैं प्रारम्भ से ही आग्रह कर रहा हूं कि आठ व्यक्ति थे तो समर्थन का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। आप सभी लोगों को श्री बी० बी० सिंह के मामले का पता होगा। वह एक बड़ा प्रसिद्ध मामला था। अन्त में प्रीवी कौंसिल ने अभियुक्त को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि धारा १६४ के दण्डाधीश के अधीन समझ लिये गये दो गवाहों के बयानों को अभियुक्त के विरुद्ध गलत तरीके से मुख्य न्यायालय ने प्रयोग किया था। लोग कहते हैं कि यह एक गलती है जो नहीं होनी चाहिये थी। उसी प्रकार, ऐसे मामलों में कि जब गवाह का डायरी में लिखित उसके बयान का सामना कराया जाता है तो केवल यह देखने के लिए ही कराया जाता है कि क्या वह सत्य बोलता है या अभियुक्त का पक्ष लेने लग गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पुलिस अधिकारी दण्डाधीश बन जाता है और न्यायालय के सामने एक बिना हस्ताक्षर वाला बयान हस्ताक्षर वाले बयान के समान माना जाता है।

डा० काटजू : जब एक व्यक्ति का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष द्वारा किया जाता है, तो क्या होता है ? मान लीजिये कि उसने पुलिस के सामने कहा है कि हत्या होते समय वहां चार अपराधी थे, बाद में वह परीक्षण के समय, पुलिस के दबाव या अन्य किसी कारण से अपराधियों की संख्या आठ बताता है तो बचाव पक्ष द्वारा डायरी बयान से उस गवाह का सामना कराने का क्या प्रयोजन है। उससे पूछा जाता है क्या पुलिस द्वारा तुम्हारा परीक्षण किया गया था। वह कहता है हां। उस से प्रश्न किया जाता है पुलिस के सामने तुम ने कितने व्यक्तियों के नाम बताये थे ? वह बताता है चार व्यक्तियों के। तर्क यह है कि इस व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पुलिस के सामने दिये बयान में उसने व्यक्तियों की संख्या चार और आज यहां, व्यक्तियों की संख्या आठ बताई और इसीलिए उस का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं है। यह इस साक्ष्य या उस साक्ष्य का प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार, मैं

बतलाता हूं कि यह अभियुक्त के विरुद्ध कोई हानिकारक काम करने या उस के विरुद्ध कुछ साक्ष्य लेने की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि न्यायालय को इस बात का निश्चय करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए कि एक विशेष गवाह न्यायालय के सामने सत्य बोल रहा है या झूठ; अभियुक्त के पक्ष में अथवा विपक्ष में सत्य कह रहा है। दोनों परिस्थितियों में, न्यायाधीश को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यह एक आधार-भूत बात है। प्रश्न यह है कि किसी फौजदारी के मामले में पुलिस के सामने या किसी व्यवहार के मामले में किसी अन्य अधिकारी के सामने उस विशेष मामले के बारे में उस व्यक्ति ने जो कुछ भी बयान दिया है वह विश्वसनीय है या नहीं। मैं ने बताया कि मुझे संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है यदि हमारे माननीय मित्र प्रस्ताव करते हैं। मैं ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि देश की यही विधि है। मैं अभियुक्त को कोई विशेष सुविधायें नहीं दे रहा हूं।

कुछ और संशोधन भी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस जांच की प्रणाली को वैसे ही रहने दिया जाय। मेरे माननीय मित्र श्री एन० एस० जैन ने मुझ से बहुत से प्रश्न पूछे। संभवतः सभा को विदित है कि हम भारत के सभी गृह मंत्रियों की एक बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक के सामने प्रश्न यह होगा कि पुलिस जांच, पकड़ने की कला और डायरी रखने की कला में कैसे सुधार किया जा सकता है। जहां तक फौजदारी के मामलों का सम्बन्ध है, जांच की कला, डायरी रखने की कला और डायरी में कुछ गड़बड़ी न करने की प्रणाली को कैसे सुधारा जाय। यदि हम कड़े रूप में यह कहें कि पुलिस डायरी इस प्रकार रखी जाय, या अभिलेख इस प्रकार रखा जाय, तो जांच को अधिक कुशल बनाने के बजाय हम उसे कुछ और अकुशल बना देंगे, क्योंकि आवश्यकता यह है, कि पुलिस अधिकारी बीस गवाहों के बयानों को शब्दशः लिखने के लिए आतुर होने के बजाय अभियुक्त के पीछे यहां-वहां दौड़ें और अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से उस मामले के रहस्यों का पता लगायें और तीन दिन में मामले को समाप्त कर दें।

यही कारण है कि मैं सुझाव रखता हूं कि संहिता के वर्तमान ढांचे में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए जहां तक कि पुलिस की डायरी का सम्बन्ध है। मुझे केवल इतना ही कहना है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सरकार श्री पाटस्कर द्वारा रखे गये संशोधन को स्वीकार करती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि इस संशोधन को परीक्षण के लिए सभा के सम्मुख रखे। हम जानना चाहते हैं कि वह संशोधन क्या है ?

सभापति महोदय : अभी उस का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

श्री पाटस्कर : मैं सभापति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन का प्रस्ताव करने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : इस संशोधन का प्रस्ताव करने की अनुमति देने के पूर्व मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने जा रही है ?

डा० काटजू : मुझे इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार है अतः इस के प्रस्तावित होने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता करता हूं कि पृष्ठ ६, पंक्ति १७, के पश्चात्

"Provided further that the Statement or any part thereof so used by the prosecution shall not be used as evidence against the accused."

["इस में आगे यह शर्त है कि बयान अथवा उस का कोई भाग जो अभियोक्ता पक्ष द्वारा प्रयुक्त किया गया हो, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जायगा"]

शब्द जोड़े जावें ।

मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि विरोधी दल के सदस्य भी इसे क्यों स्वीकार न करें ।

श्री एस० एस० मोरे : यह निरर्थक है ।

सभापति महोदय : जब तक यह सभा में मतदान के लिए न रखा जाय तब तक हम यह निर्णय कैसे दे सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : यह सार्थक है पर माननीय सदस्य उसे समझने में असफल हैं ।

सभापति महोदय : मैं अभी संशोधन को पढ़ कर सुनाऊंगा । यदि माननीय सदस्य उस संशोधन पर संशोधन रखना या बोलना चाहते हैं तो मैं उस की अनुमति दूंगा ।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ ।)

श्री एस० एस० मोरे : हमें तो विशेष रूप से असुविधा है क्योंकि संशोधन की प्रतिलिपियां हमें नहीं दी गयी हैं । प्रवर समिति के अन्तिम संशोधन के अनुसार बयान का कोई भी भाग साक्ष्य का खण्डन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और जब उसे इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, वह साक्ष्य का एक भाग बन जाता है । किसी बयान को या उस के किसी अंश को जो साक्ष्य का एक अंश है, कैसे साक्ष्य में से अलग किया जा सकता है और कैसे उसे अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ? अभिलेख में आये किसी बयान के सम्बन्ध में गवाह जब कोई उत्तर देगा तो वह उत्तर साक्ष्य का अंग बन जायेगा ।

सभापति महोदय : यदि सभा को स्वीकार हो, तो हम उसे रोक लें और १५ मिनट में माननीय सदस्य अपने संशोधन या प्रस्ताव भेज दें ।

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां) : उस दशा में, सम्पूर्ण खण्ड को निकाल देना पड़ेगा ।

सभापति महोदय : सम्पूर्ण खण्ड तो इसी प्रकार बना रहेगा और हम इस संशोधन पर अलग विचार करेंगे क्योंकि यह सब से बाद में रखा गया है और सरकार ने स्वीकार किया है । अन्य खण्डों को हम तुरन्त ले सकते हैं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : अब चूंकि आप सभी लोग इस खण्ड पर विचार और निश्चय करने के काम को स्थगित कर देने के इच्छुक हैं, अतः मैं सुझाव रखता हूं कि इस संशोधन की प्रतिलिपियां हम लोगों में परिचालित कर दी जायें । कल ग्यारह बजे तक हम अन्य संशोधन भी दे देंगे और तब १५ मिनट या कुछ अधिक समय में हम उस पर सभा में विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : श्री राघवाचारी का सुझाव हमें स्वीकार है ।

श्री साधन गुप्त : यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और बहुत सी वैधानिक बातें पैदा होंगी अतः १५ मिनट का समय इस के लिए बहुत कम है ।

सभापति महोदय : अतः मैं कहूंगा कि इस को फिर निश्चित करने के लिये स्थगित कर दिया जाय । इस के सम्बन्ध में जो संशोधन प्राप्त होंगे उन पर विचार करने के बाद हम इस पर विचार करेंगे और यह भी बाद में निश्चित किया जायेगा कि इस के लिये कितना समय रखा जाय ।

श्री साधन गुप्त : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कल तक हमें संशोधन की प्रतिलिपियां मिल जायेंगी ?

सभापति महोदय : कार्यालय से मुझे सूचना मिली है कि इस की प्रतियां माननीय सदस्यों में कल सुबह तक वितरित कर दी जायेंगी और यदि हो सका तो आज शाम तक ही भेज दी जायेंगी ।

श्री पाटस्कर : यदि मैं अपने संशोधन का प्रयोजन स्पष्ट कर दूं तो माननीय मित्रों को उस के महत्व को समझने में आसानी रहेगी । इसे प्रस्तुत करते समय मैं ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इस के बारे में इतना वाद-विवाद होगा । अगर बहुमत इस के पक्ष में नहीं है तो मैं इसे वापिस ले सकता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब यह एक बार प्रस्तुत हो चुका है तो यह वापिस नहीं लिया जा सकता ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : सभा इसे वापस लेने की आपको अनुमति नहीं देती ।

श्री वी० पी० नायर : एक और भी कठिनाई है । मान लीजिये कि इस संशोधन की प्रतिलिपि हमें आज सायंकाल को मिलती है तो हमें अपने संशोधनों को परिचालित करने का अवसर नहीं मिलेगा ।

सभापति महोदय : कार्यालय से सूचना मिली है कि इस संशोधन की प्रतियां अभी थोड़ी देर बाद मिल जायेंगी । अब हम अन्य खंडों सम्बन्धी संशोधन लेंगे । पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ३६९ जो नये खंड २९ क के बारे में था अनियमित ठहराया गया है इसलिए यह क्षेत्र के बाहर है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह नियम से बाहर नहीं ठहराया गया है बल्कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे मेरी बात सुनेंगे और मैं ने अभी निवेदन किया है कि यह अनियमित नहीं ठहराया जा सकता । सभा को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

सभापति महोदय : तो क्या इस के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सभा में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है । उन के भाषण से आप देख सकते हैं ।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं जानता था । मुझे जो सूचना मिली है उस से मैं ने यह अनुमान लगाया कि इस के बारे में निर्णय हो चुका है । मैं इस के बारे में मालूम करूंगा और यदि इस के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है तो इस पर विचार किया जायगा और निर्णय हो जायगा । चूंकि माननीय सदस्य कहते हैं कि इस के बारे में निर्णय नहीं हुआ है अतः मैं ऐसा स्वीकार करता हूं । यदि माननीय सदस्य की बात सुनने का उन्हें आश्वासन दिया गया था तो उन की बात सुनी जायगी ।

श्री आर० डी० मिश्र का संशोधन संख्या ५३ भी है जिस का सम्बन्ध नये खंड २१ क से है । इसलिए खंड के साथ ही साथ इस पर भी विचार किया जायगा । खंड २२ पर भी अभी मतदान नहीं लिया जायगा । श्री आर० डी० मिश्र का संशोधन संख्या २८७ भी क्षेत्र के बाहर है ।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलंदशहर) : इस के बारे में भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह संशोधन सुसंगत है।

सभापति महोदय : इस पर फिर से विचार और निर्णय नहीं किया जायगा। मेरे पास जो टिप्पणी है उस से स्पष्ट है कि इस के बारे में निर्णय हो चुका है।

श्री आर० डी० मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे हमारी बात सुनेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: बात यह थी कि जब इन नये खंडों पर विचार हो रहा था तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वे हमारी बात सुनेंगे कि क्या अन्य संशोधन करने वाली धाराओं से उन का घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उस के बाद वह निर्णय देंगे।

सभापति महोदय : चूंकि उस दिन मैं उपस्थित नहीं था इसलिए मैं नहीं जानता कि उस दिन क्या कार्यवाही हुई थी। इसीलिये यह भूल हुई है। यदि उन के बारे में निर्णय नहीं हुआ है तो मैं उन्हें क्षेत्र से बाहर घोषित नहीं करूंगा। अब मैं अन्य खंडों को लूंगा। अब हम उन संशोधनों को लेंगे जो प्रस्तुत किये जा चुके हैं। सर्वप्रथम संशोधन संख्या ४६५ है जो खंड २० के बारे में है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड २१क तथा खंड २२ स्थगित रहेंगे।

(इस के बाद संशोधन संख्या ३१०, २६४, ३७३, ३७५, १०१, ३७६, १०२, ४२६, १०३, ४२७, ३७१, ४२८ और ५७ सभापति महोदय द्वारा मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खंड २१ प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड २१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा० काटजू : आप खंड २४ भी प्रस्तुत कर सकते हैं; वह केवल औपचारिक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २५, ९७ और ११४

सभापति महोदय : अब हम खंड २५, ९७ और ११४ पर विचार करेंगे। इन पर चर्चा का समय पांच घंटे है।

श्री साधन गुप्त : यदि किन्हीं खंडों को विशेषतः प्रतिक्रियावादी खंड कहना संभव है तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रतिक्रियावादी विधेयक में यही खंड और विशेषतः खंड २५ और ९७ हैं। वर्त्तमान विधि यह है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही मानहानि का दावा दायर कर सकता है। अब ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख अथवा मंत्री अथवा एक सरकारी कर्मचारी की पद सम्बन्धी कार्य में मानहानि हो जाती है तो सरकारी वकील दावा दायर करेगा और राज्य की सारी शक्तियां उसकी सहायता करेंगी। ब्रिटिश काल में भी इस प्रकार के पदाधिकारी थे किन्तु उन्होंने कभी भी दो नागरिकों के बीच अथवा नागरिक एंव

पदाधिकारी के बीच इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया ।

खंड ९७ धारा ५०३ के संशोधन करने के लिये है । इसका प्रयोजन यह है कि कुछ व्यक्तियों के साथ क्योंकि वे राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा किसी राज्य के राजप्रमुख हैं अतः उनके साथ दूसरे ही तरह का व्यवहार किया जायेगा । इस प्रकार देश के सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा मानों उन्हें ऊंचा स्थान दिया जा रहा है । इस प्रकार का विभेद हम सहन नहीं कर सकते, सिद्धान्त रूप से यह अनुचित है । इसलिये इस सिद्धान्त का मैं कड़ा विरोध करता हूं । माननीय गृह मंत्री से मैं पूछता हूं कि यह कौनसा न्याय है कि मानहानि के मामले के लिये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री तथा सरकारी कर्मचारी के साथ अलग व्यवहार किया जाय और उन की एक अलग ही श्रेणी बना दी जाय । जब ये लोग गवाह के रूप में आते हैं तो दूसरे गवाहों की अपेक्षा इन के साथ विशेष व्यवहार किया जाता है इस का क्या कारण है ? क्या गृह मंत्री मुझे कोई ऐसा पूर्वोदाहरण दे सकते हैं जहां किसी देश में इस प्रकार का व्यवहार किया गया हो । यह व्यवस्था करने के लिए क्या गृहकार्य मंत्री कोई न्यायोचित कारण दे सकते हैं ?

गवाह के रूप में इन व्यक्तियों के साथ जो विशेष व्यवहार किया जाता है उस का माननीय मंत्री ने कोई न्यायोचित कारण नहीं दिया है । उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया कि राष्ट्रपति न्यायालय नहीं जायेंगे, तथा अन्य नागरिकों की भांति उन से जिरह नहीं की जायगी । अन्य नागरिकों की अपेक्षा राष्ट्रपति क्यों श्रेष्ठ हैं इस का कोई कारण उन्हों ने नहीं बताया है । यदि ये व्यक्ति किसी सम्मान के अधिकारी हैं तो केवल अपने व्यक्तित्व के कारण ही हैं ।

प्रजातंत्र का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वह राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और चाहे राजप्रमुख हो । इसी आधार पर साधारण नागरिक के समान इन व्यक्तियों के लिए भी अपनी मानहानि के लिए अभियोग चलाना आवश्यक होना चाहिए । उन के साथ इस सम्बन्ध में जो विशेष व्यवहार किया गया है उस का क्या कारण है ?

कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का परदाफ़ाश करने का अवसर दिया जा रहा है परन्तु यह तो बहुत ही अजीब तर्क है । होना यह चाहिए कि जब कभी किसी व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप लगाया जाय जिस से कि जनता की दृष्टि में उस की मानहानि होती हो तो उस के विरुद्ध अभियोग चलाया जाय, खुली जांच की जाय और उसे इस बात का अवसर दिया जाय कि या तो वह अपने को निर्दोष प्रमाणित करे या दंड भोगे । परन्तु हो तो उस का उल्टा ही रहा है क्योंकि अब कोई व्यक्ति या समाचार-पत्र अपनी ज़बान नहीं खोल सकता और यदि उस ने ऐसा दुस्साहस किया तो न केवल वह व्यक्ति विशेष ही उस के खिलाफ़ अभियोग चलायेगा बल्कि सारा राज्य उस के विरुद्ध अभियोग चलायेगा ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यदि यह उपबन्ध बनाया होता कि इस प्रकार के मामले के चलाये जाने पर यदि वह निर्दोष प्रमाणित हो तो उस को जो कष्ट भोगना पड़ा है उस का प्रतिकर दिलाया जायेगा, माननीय गृह-कार्य मंत्री का कहना है कि व्यक्तिगत अभियोग व सरकारी अभियोग के खर्चे में अन्तर ही क्या है । उस समय जब कि अभियोग राज्य के द्वारा चलाया जाता है यदि वास्तव में देखा जाय तो अन्तर बहुत बड़ा है और साथ ही खतरा भी बहुत बड़ा है । इस का परिणाम यह होगा

[श्री साधन गुप्त]

कि समाचार-पत्र कभी भी आलोचना करने का साहस नहीं करेंगे ।

सब से बड़ी ख़राबी यह है कि भ्रष्टाचार के अपराधी को यदि स्वयं अभियोग चलाना हो तो वह हमेशा यह कोशिश करेगा कि उसे न्यायालय के सामने उपस्थित न होना पड़े अब यदि राज्य के द्वारा अभियोग चलाया जायगा तो इसे वास्तव में न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । जिस व्यक्ति के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाय उस को कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है । उदाहरण के लिए यदि समाचार-पत्र में यह प्रकाशित किया जाय कि एक विशेष मंत्री ने घूंस ली है तो केवल इतना कहना ही मानहानि प्रमाणित करने के लिए काफ़ी होगा कि उस मंत्री को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वह न्यायालय में उपस्थित हो कर यह प्रमाणित करे कि इस प्रकार का कथन निराधार है । प्रमाण तो केवल इतना ही देने की आवश्यकता होगी कि उक्त कथन इस प्रकार का है कि जिस से सार्वजनिक दृष्टि में उस की मानहानि हुई । इस प्रकार साक्ष्य-भार मानहानि करने वाले पर रखा गया है कि वह प्रमाणित करे कि उस का कथन इस धारा के अन्तर्गत नहीं आता परन्तु उस के लिए अपने कथन की सच्चाई को प्रमाणित करने का अवसर ही कहां है जब तक कि उस के सम्बन्ध में बात कही गई है कि वह न्यायालय में उपस्थित हो और उस को उस से जिरह करने का अवसर न मिले । इस प्रकार सरकार का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो लोग भ्रष्टाचार का पर्दा फाश करना चाहते हैं उन को आर्थिक दृष्टि से तबाह कर दिया जाय ।

इस के द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा उत्पन्न हो गया है । पहले समय में प्रेस ने ही हमारा ध्यान जीप गोलमाल, उर्वक गोलमाल, तथा अन्य विभिन्न प्रकार के गोलमाल की ओर आकर्षित किया था और यह बताया था कि इन्हीं गोलमाल के लिए हमारी सरकार उत्तरदायी है । प्रत्येक लोकतंत्र में सरकारी भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद तथा अन्य त्रुटियों की आलोचना करने का अधिकार प्रेस को प्राप्त होता है । परन्तु अब प्रेस को तथा जनता को इस प्रकार का भय दिखा कर इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है । इस की शिकायत प्रवर समिति के सामने प्रेस वालों ने जो ज्ञापन दिया है उस में स्पष्ट रूप से की है ।

यह भी कहा गया था कि प्रेस आयोग ने इन उपबन्धों का समर्थन किया है । परन्तु यह कहां तक सच है इस का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेस आयोग ने, श्रमजीवी पत्रकारों के जितने भी प्रतिनिधि थे, इन उपबन्धों को देखा है और वास्तव में उन्हीं का मत विचार करने योग्य है क्योंकि यदि इन उपबन्धों का कोई दुष्परिणाम होगा तो वह इन्हीं लोगों को भोगना पड़ेगा न कि प्रेस आयोग के अन्य सदस्यों को ।

जहां तक साम्यवादी दल का सम्बन्ध है, हम इस खंड के तथा खंड ९७ व ११४ के विरोधी हैं । हमारा कहना है कि मानहानि के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अधिकार हैं । फिर भी हम जानते हैं कि हमारी संख्या इस सभा में इतनी नहीं है कि हम अपनी बात सभा से मनवा सकें इसलिए हम ने कुछ संशोधन रखे हैं ।

पहला संशोधन हमारा यह है कि इस प्रकार जो विशेषाधिकार दिये गये हैं तथा जिन के फलस्वरूप मानहानि के शिकार होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय में नहीं उपस्थित होना पड़ेगा—ऐसा अधिकार केवल राष्ट्रपति तक ही सीमित रखा जाय । हम इस प्रकार

का अधिकार उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राजप्रमुख को देने को तैयार नहीं हैं ।

हमारा दूसरा संशोधन यह है कि जो मामला सरकार की ओर से चलाया जाय उसे सरकारी वकील न चलावे बल्कि संघ में महान्यायवादी द्वारा तथा राज्यों में महाधिवक्ता द्वारा चलाया जाय और जब इस प्रकार का मामला चलाया जाय तो मंत्रि-परिषद् इस के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जाय जिस से कि भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश करने वाले व्यक्तियों को अत्याचार से बचाने के लिए अधिक से अधिक परिमाण का उपबन्ध हो सके । इस के लिए हमारा एक यह भी संशोधन है कि यदि वह व्यक्ति जिस की मानहानि हुई है न्यायालय में उपस्थित न हो और अभियुक्त को उस से जिरह करने का अवसर न मिले तो सत्र न्यायाधीश तुरन्त ही उसे अभियोग से मुक्त कर दे ।

एक और संशोधन हमारा यह है कि यदि अभियुक्त अपराधी न ठहराया जाय तो उसे जो कष्ट सहन करना पड़ा है तथा आर्थिक हानि हुई है उस के लिए कम-से-कम एक हज़ार रुपये का प्रतिकर दिलाया जाय ।

तीसरा संशोधन हमारा यह है कि मानहानि के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर अभियोग चला दिया जाय और मानहानि का विषय इस प्रकार का होना चाहिए जो तुरन्त ही लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला हो अन्यथा जिस की मानहानि हुई है वह स्वयं अपनी कार्यवाही करे ।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह जिस राह पर चलने जा रही है वह बहुत ही खतरनाक है । इस विधेयक का उद्देश्य ही यह जान पड़ता है कि सरकारी कर्मचारी तथा मंत्री अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के काम करते रहें और यदि कोई साहसी सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार उन के काले कारनामे का पर्दाफ़ाश करना चाहे तो सारी सरकार की शक्ति लगा कर इन भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को सहारा दिया जाय और उन लोगों के सामने इतना बड़ा भय उपस्थित हो जाय कि वह अपनी ज़बान खोलने का साहस न कर सकें । यह फासिस्टवाद की केवल भूमिका है आगे चल कर हमारी स्वतन्त्रता पर और भी भारी-भारी प्रहार किये जायेंगे । मुझे विश्वास है कि यदि यह सभा जिसको जनता के बहुत थोड़े वोटों से सत्ता मिली है इस विधेयक को पारित होने से नहीं रोक सकेगी तो जनता स्वयं ऐसा विरोध करेगी कि सरकार इस निन्दनीय विषय के उपयोग करने का साहस न कर सकेगी यदि फिर भी सरकार ने मनमानी की तो सरकार को हिटलर, मुसोलिनी, तथा चांग-काई-शेक का नाम नहीं भूलना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि उन का क्या परिणाम होगा ।

सभापति महोदय : श्री पाटस्कर का खंड २२ सम्बन्धी संशोधन सूचना कार्यालय में उपलब्ध है । जो सदस्य चाहें उस की एक प्रतिलिपि वहां से ले सकते हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे : खण्ड २५ पर मैं ने दो संशोधनों की सूचना दी है । तब से मैं ने इस विषय पर विचार किया है और मेरा खयाल है कि विधेयक के संशोधनों का विषय पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है । उदाहरणार्थ, विधि के अनुसार केवल बदनाम किये गये व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार है । इस संशोधन में दूसरे व्यक्ति से शिकायत करने के अधिकार की मांग की गई है । मैं नहीं समझता कि शिकायत करना इतना गम्भीर विषय है कि हमें उस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये परन्तु ऐसा कहने में मैं समझता हूं कि हम जब सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण दे रहे हैं तो हमें जनता की सुरक्षा के लिए भी कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

[श्री मूलचन्द दुबे]

किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा अभियोग भी न चलाना चाहिये जिस में वह अन्त में विमुक्त हो जाय । सरकार शिकायतों के मामले में किसी उत्तरदायी अधिकारी से इस बात की जांच पड़ताल क्यों नहीं कराती कि शिकायत ठीक है या नहीं ? यदि सरकार इस निश्चय पर पहुंचती है कि वह ठीक है तो उस व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाया जाना चाहिये । यदि अभियोग चलाया ही जाय तो सरकारी अधिकारी पर चलाया जाना चाहिये । अतः मेरा निवेदन यह है कि कोई कार्यवाही करने से पहिले सरकार को उस सरकारी कर्मचारी के बारे में पूछताछ करनी चाहिये और यदि पता लगता है कि शिकायत, जो उस के विरुद्ध की गई थी, निराधार है, तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये ।

सरकार के मार्ग में एक और कठिनाई उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है । उदाहरणार्थ, उपबन्ध यह है कि सचिव सरकारी अभियोक्ता को शिकायत करने का अधिकार देगा । सरकारी अभियोक्ता को साक्षियां कैसे प्राप्त होंगी ? वह यह कैसे सिद्ध करेगा कि व्यक्ति को वास्तव में बदनाम किया गया था ? अतः इस प्रकार के मामले में जांच पड़ताल करना सर्वथा आवश्यक है । खण्ड २५ में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, और यदि वहां यह उपबन्ध नहीं होता है, तो और अधिक कठिनाइयां होंगी । अतः मेरा निवेदन यह है कि माननीय गृह मंत्री इस मामले पर विचार करेंगे और सरकारी कर्मचारी की शिकायत करने वाले साधारण व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पूर्व जांच पड़ताल या पूछ-ताछ करने का उपबन्ध करेंगे ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं केवल खण्ड २५ में रुचि रखता हूं क्योंकि मैं स्वयं एक पत्रकार हूं । मैं समझता हूं कि पत्रकार का यह कर्तव्य है कि वह उन सिद्धान्तों का पालन करे जिन का उल्लेख पंच वर्षीय योजना के चौथे अध्याय में है । आजकल 'भ्रष्ट नौकर-शाही-वादी रक्षा अधिनियम' है । हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? आप कहते हैं कि यह बदनाम करना है । हैनरी क्ले के अनुसार उस व्यक्ति का, जो सरकारी कार्य करता है, व्यवहार और उस की क्रिया जन-सम्पत्ति हो जाते हैं । अतः उस की कार्यवाही की आलोचना तथा जांच की जा सकती है । आप क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? हम तथाकथित 'उत्तरदायी प्रेस' और 'निम्न कोटि के अनुत्तरदायी प्रेस' में ईर्षा-उत्पादक भेद करने का प्रयत्न कर रहे हैं । कभी कभी उत्तरदायी प्रेस अत्यधिक सावधानी से काम लेता है । यह प्रत्येक बात के महत्व को जांचता है और फिर टीका करता है । तथाकथित निम्नकोटि के प्रेस कुछ अधिक मूर्खता से काम लेते हैं । यदि अनुत्तरदायी प्रेस को विश्वास नहीं होता कि इस के पास सामग्री है, तो ज्यों ही आप इस के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रयत्न करते हैं या उसे सूचना देते हैं, वह तुरन्त ही, यदि उस के पास समस्त तथ्य तथा साहसी पत्रकार नहीं हैं, तो, क्षमा-याचना करता है । मान लीजिये कि बेचारा जयसूर्य बाहर कहीं डा० काटजू को बदनाम करता है तो वह कहीं भी मेरे विरुद्ध अभियोग चला सकते हैं क्योंकि उन के हाथ में सत्ता है; परन्तु इस के विपरीत स्थिति पर ध्यान दीजिये—यदि डा० काटजू बेचारे जयसूर्य के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो जयसूर्य को अभियोग चलाने के लिए वहां जाना होगा जहां उन्हों ने उसे बदनाम किया था । यह भेद क्यों है ? सरकार को तो राज्य नहीं कहा जा सकता । सरकार तो यंत्र मात्र है । सरकार आती है और चली जाती है परन्तु राज्य बना रहता है । अतः यह कहना कि

किसी अधिकारी या मंत्री के विरुद्ध कुछ कहना राज्य के विरुद्ध कहना है; सर्वथा गलत है ।

अब रही तीसरी बात । हम राज्यपालों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति लेते हैं । राज्यपाल प्रायः परोक्ष रूप में मंत्रियों के कहे पर काम करते हैं, परन्तु मंत्रिगण, नौकरशाही के पोषक, पदाधिकारी तो शासकीय कार्य के यन्त्र हैं; अतः यदि आप यह कहते हैं कि सरकार राज्य का नहीं अपितु जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वे लोग अपने कार्य व अधिकार जनता से लेते हैं, उन पर जनता टीका-टिप्पणी कर सकती है, तो क्या होगा ? आप कहते हैं कि जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा । हैदराबाद राज्य के बारे में भ्रष्टाचार विरोधी जांच समिति के प्रतिवेदन से राज्य मंत्रालय अवगत होगा । इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? कुछ भी नहीं । अन्य राज्यों में भी मंत्रियों पर आरोप लगाये गये हैं, वे लिखित रूप में हैं और प्रकाशित होते हैं । परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में आप लोगों से यह आशा कैसे करते हैं कि वे इन बातों को समझते हैं । जनसाधारण के हृदय में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिये कि विधियां उन के लाभ तथा कल्याण के लिए हैं । जब कभी किसी नौकरशाही व्यक्ति पर आरोप लगाये जाते हैं तो आप एक विभागीय जांच करते हैं; और विभागीय जांच द्वारा जब आप को यह विश्वास हो जाता है कि उस मामले में कुछ नहीं है, तब ही आप उसे छोड़ते हैं । परन्तु आप मेरे उद्देश्य की सत्यता, मेरे ज्ञान के स्तर, आदि के जांच करने का कार्य एक तृतीय श्रणी के दण्डाधीश या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य बना रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह गलत है । आप प्रेस द्वारा लोगों के सम्पर्क में आते हैं । अतः उत्तरदायी तथा निम्न कोटि के अनुत्तरदायी प्रेस में यह ईर्षा-उत्पादक भेद करना ठीक नहीं है ।

डा० काटजू अपने आप को एक बड़ा अधिवक्ता मान कर बात करते हैं परन्तु मैं उन्हें यहां एक कलाकार के रूप में मानता हूं । मैं इस महान कलाकार को एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों के मस्तिष्क में दीर्घकाल तक रहने के लिए, कलात्मक कार्य से जीवन की महान सत्यता की अभिव्यक्ति होनी चाहिये । उन्हें चाहिये था कि वह सौ वर्ष पुराने चित्र में वर्तमान तथ्यों के अनुसार परिवर्तन करते । यह एक असाधारण कारण है कि पुलिस का प्रत्येक आदमी समस्त गुणों से युक्त होता है और वह भ्रष्ट नहीं हो सकता । यह एक ऐसा दर्शन है जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता । इस के विपरीत हमें चाहिये कि हम लोगों को यह विश्वास दिलायें कि हम यहां प्रत्येक प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं । आप की बड़ी बड़ी बातों में पत्रकारों को कोई विश्वास नहीं है क्यों कि वे जानते हैं कि संकट उन के सर पर मंडरा रहा है । इस पर भी मैं आप को बताता हूं—मैं एक पत्रकार हूं—कि हम सत्य प्रकट करेंगे और परिणामों को सहन करेंगे ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य निम्न संशोधनों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं :—खण्ड २५ के संशोधन संख्या २९०, ४३१, २२०, २६५, ४३२, ४७०, ४७१, ४७२, ३८२, २६६, ४३४, ३८४, ४३५, २२१, २६७, ४७३, ३८५, २२३, ४७५, ४३८ और ५०१ तथा खण्ड २५ के श्री वेंकटरामन के संशोधन संख्या ५३८, ५३९ और ५४० जिन्हें परिचालित किया जायेगा ।

फिर खण्ड ९७ के संशोधन संख्या ४९३, ४९४, ४९५, ४९६ ।

फिर खण्ड ११४ के संशोधन संख्या ४९७, ४९८, ४९९, ३३७ और २७३ ।

खण्ड १५

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७ में पंक्ति ३५ के स्थान पर "Government concerned" ["सम्बद्ध सरकार"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति ४४ में, "of warrant cases by Magistrate" ["दंडाधिकारी द्वारा अधिपत्र वाले मकदमों का"] शब्दों के स्थान पर "by Magistrates of warrant cases instituted otherwise than on a police report and the person against whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of Session otherwise directs, be examined as a witness for the prosecution." ["दंडाधिकारियों द्वारा उन अधिपत्र वाले मुकदमों के लिये जो आरक्षी द्वारा सूचना देने पर आरम्भ किये गये मुकदमों के अतिरिक्त हों और वह व्यक्ति, जिस के विरुद्ध अपराध किया गया बताया जाता है, अभियोक्ता पक्ष की ओर से साक्षी के रूप में पेश होगा, जब तक कि सत्र न्यायालय, ऐसे कारणों से जो अभिलिखत होंगे, अन्यथा निदेश न दे ।"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ७ पर पंक्ति ४४ के बाद निम्न अंश रखा जाय :

"(5A) If in any case instituted under this section, the Court of Session by which the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that the accusation against them or any of them was false and either frivolous or vexatious, the Court of Session may, by its order of discharge or acquittal, the person against whom the offence was alleged to have been committed (other than the President, Vice-President or the Governor o rRajpramukh of a State) to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused, when there are more than one.

(5B) The Court of Session shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed and if it is satisfied that the accusation was false and either frivolous or vexatious, it may, for reasons to be recorded, direct that compensation to such amount, not exceeding one thousand rupees, as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them.

(5C) All compensation awarded under subsection (5B) may be recoverd as if it were a fine.

(5D) No person who has been directed to pay compensation under subsection (5B) shall, by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this Section:

Provided that any amount paid to an accu-

sed person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent, civil suit relating to the same matter."

["(५क) यदि इस धारा के अधीन स्थापित किये गये किसी मामले में वह सत्र न्यायालय जो उस मामले को सुन कर सभी या किसी भी अभियुक्त को छोड़ता अथवा विमुक्त करता है, और यह मत धारण करता है कि उन के या उन में से किसी के विरुद्ध चलाया गया वह अभियोग झूठा और तुच्छ अथवा परिक्लेशकर था, तो सत्र न्यायालय छोड़ने या विमुक्ति के अपने उस आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिस पर उस अपराध का आरोप लगाया गया था, यह निदेश दे कि वह (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा किसी राज्य के राजप्रमुख को छोड़ कर) इस बात का कारण बताये कि वह ऐसे अभियुक्त अथवा, यदि वे अनेक हों तो, प्रत्येक या किसी भी ऐसे अभियुक्त को प्रतिकर क्यों न दे ।

(५ख) इस प्रकार के निदेश-प्राप्त व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी भी कारण पर सत्र न्यायालय उस का अभिलेख रखेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि उसे इस बात का संतोष प्राप्त हो कि वह अभियोग झूठा और तुच्छ अथवा परिक्लेशकर था तो वह अभिलेख में आने के कारणों से प्रतिकर की राशि, जो एक हज़ार रुपये से अधिक न हो, का निदेश दे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा अभियुक्तों अथवा प्रत्येक या किसी भी अभियुक्त को दिये जाने के लिये निर्धारित हो ।

(५ग) उपधारा (५क) के अधीन दिया गया सभी प्रतिकर अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त किया जाय ।

(५घ) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (५ख) के अधीन प्रतिकर देने का निदेश दिया गया है, इस प्रकार के आदेश के कारण इस धारा के अधीन की गई फरियाद से सम्बद्ध किसी व्यवहार सम्बन्धी अथवा अपराध सम्बन्धी दायित्व से मुक्त नहीं किया जायेगा :

परन्तु इस मामले से सम्बद्ध किसी भी अनुवर्त्ती व्यवहार प्रक्रिया के मामले में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देते समय इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को दी गई किसी भी राशि का हिसाब रखा जायगा ।"]

इन के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री आर० डी० मिश्र	२९०, ५०१
श्री साधन गुप्त	४३१, ४३४, ४३५, ४३८
श्री टेक चन्द	२२०, २२१, २२३
श्री मूलचन्द दुबे	२६५, २६७
श्री एन० सोमना	४३२
श्री अमजद अली	४७०, ४७३, ४७५
श्री वी० जी० देशपांडे (गुना)	४७१, ४७२
पं० के० सी० शर्मा	३८२
श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली–पूर्व)	२६६
श्री यू० एस० दुबे (जिला बस्ती–उत्तर)	३८४
श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़)	३८५

खंड ९७

खंड ९७ पर श्री वी० पी० नायर ने अपने संशोधन संख्या ४९३, ४९४, ४९५ और ४९६ प्रस्तावित किये ।

खंड ११४

खंड ११४ पर श्री अमजद अली ने संशोधन संख्या ४९७, ४९८ और ४९९ का प्रस्ताव किया और श्री आर० डी० मिश्र ने संशोधन संख्या ३३७ और २७३ का प्रस्ताव किया ।

सभापति महोदय : उपरोक्त सब संशोधन अब सभा के समक्ष हैं, और इन पर विचार हो सकता है ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में खण्ड २५ निकृष्टतम है । यहां जिस रूप में खण्ड २५ में सरकारी कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया गया है, वह मेरी समझ में नहीं आता । मैं ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि "अथवा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी जो संघ या किसी राज्य के कार्य के सम्बन्ध में कार्य पर रखा गया हो, सरकारी कार्य करने में उस के आचार के सम्बन्ध में" शब्दों को हटा दिया जाय। हम जानते हैं कि १९४२ के उपरान्त क्या हो रहा है । मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक विभाग में देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । जहां तक मेरे निजी अनुभव का प्रश्न है, पिछले ही दिनों १९५२ में मैं ने बहुत से आयकर सम्बन्धी मामलों के बारे मंत्री महोदय को बताया था । एक आयकर अधिकारी मुअत्तिल किया गया और अन्त में उसे नौकरी से निकाल दिया गया । ऐसा ही मुझे बिक्री कर विभाग का अनुभव है । यह एक प्रकट भेद है कि उस विभाग में सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हुए हैं । इतना ही नहीं, अपितु यदि आप सिंचाई या वाणिज्य विभाग को देखें तो वे भी ऐसे ही हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की कैसे सहायता करेगी । आप सरकारी कर्मचारियों को न्यायालयों में जा कर बदनाम करने वाले व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की अनुमति क्यों नहीं देते ? इन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार क्यों व्यय करती है ? अन्य लोगों या प्रेस का मुंह क्यों बन्द किया जाता है ? इस खण्ड में इन सरकारी कर्मचारियों का महत्व मेरी समझ में नहीं आता है । बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों की सरकार को सूचना देना चाहते हैं । उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिये । सरकारी कर्मचारियों से गोपनीय सूचना प्राप्त करनी चाहिये ताकि इन सरकारी कर्मचारियों से तथ्य जाने जा सकें । मैं ऐसे अनेकों व्यापारियों को जानता हूं जिन्हों ने मुझे बताया है कि उन्होंने घूंस दी है, परन्तु वे ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं थे । वे व्यापारी लोग हैं और यदि वे ४०० या ५०० रुपये दे कर २,००० रुपये या ३,००० रुपये बचा सकते हैं तो यह उन की निर्बलता नहीं है । उन के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है । मैं यह जानता हूं कि घूस देने के लिए व्यापारी लोग उत्तरदायी हैं, परन्तु यह प्रथा बहुत समय से चल रही है ।

अब हमें अवश्य ही कोई अन्य विधि बनानी चाहिये । कदाचित मैं सभा को स्मरण करा सकता हूं कि १९४७ का भ्रष्टाचार विरोधी एक अधिनियम था । सरकारी कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में कुछ उपबन्ध थे । अब वह अधिनियम लागू नहीं है । मेरा मत है कि केवल यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ही लागू न हो अपितु अधिनियम में कुछ और उपबन्ध सम्मिलित कर दिये जायें । उस में एक खण्ड होना चाहिये कि यदि कोई ज़िला-मान पर कार्य करने वाला सरकारी कर्मचारी कोई सूचना देता है तो उसे संरक्षण

दिया जाना चाहिये । सरकारी कर्मचारी के आचार की जांच होनी चाहिये और यदि वह भ्रष्ट हो तो उस पर अभियोग चलाया जाना चाहिये । मैं ने देखा है कि गुप्त वार्ता विभाग भी उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है और वह उन सरकारी अधिकारियों के बारे में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये हैं । प्रत्येक विभाग में निम्नतम कोटि के व्यक्ति से ले कर सचिव तक ऐसी बातें हो रही हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारियों की रक्षा के लिए यह असाधारण उपबन्ध क्यों बनाया जा रहा है । यदि इस उपबन्ध को नहीं हटाया गया तो देश में और अधिक भ्रष्टाचार फैल जायेगा क्योंकि अभियोग चलाये जाने के डर के कारण लोग सूचना नहीं देंगे । अतः मैं माननीय गृह मंत्री, तथा गृह-कार्य उपमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे सरकारी कर्मचारियों के रक्षा सम्बन्धी उपबन्ध को इस खण्ड से हटा दें और उस के स्थान पर मेरा संशोधन स्वीकार करें ।

सभापति महोदय : श्री यू० सी० पटनायक ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मानहानि सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया यह है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को उसकी शिकायत करना जरूरी है । परन्तु इस सम्बन्ध में अपवाद स्वरूप एक परन्तुक भी है कि किसी स्त्री अथवा १८ वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय की अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है । अनुसूची में यह उपबन्ध है कि बिना अधिपत्र के ऐसे व्यक्ति नहीं पकड़े जा सकेंगे और सत्र न्यायालय का स्थान प्रेसीडेन्सी के दंडाधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का न्यायालय होगा ।

माननीय गृह मंत्री ने अपने प्रस्तावित संशोधन के द्वारा इस को हस्तक्षेप्य मामला बनाने की कोशिश की थी, ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के प्रति किये गये अपराध के लिये किसी को भी बिना अधिपत्र के पकड़ सके । हम संयुक्त प्रवर समिति के आभारी हैं कि उस ने इस को हस्तक्षेप्य अपराध मानने से इन्कार कर दिया । किन्तु साथ ही उस ने एक नई धारा १९८ ख की निविष्टि का सुझाव दिया है जिस से ये व्यक्ति, स्त्री अथवा अवयस्क की श्रेणी में आ जायेंगे, जिस का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, मंत्रिगण, तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को यह विशेषाधिकार दे दिया जायेगा कि उन को स्वयं शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, और उन की ओर से कोई दूसरा शिकायत कर सकता है ।

मैं यहां पर राष्ट्रपति, राजप्रमुख अथवा राज्यपाल तथा मंत्रीगण और सरकारी कर्मचारियों के बीच कुछ विभेद स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारे राष्ट्रपति, राज-प्रमुखों अथवा राज्यपालों का प्रत्यक्ष रूप से देश के प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है । देश अथवा राज्य में उन का पद आदर का प्रतीक है । उन का मुख्य कार्य वस्तुतः अतिथियों का सत्कार करना है । अतः उन के सम्बन्ध में तो यह बात ठीक है कि वे स्वयं शिकायत न करें, किन्तु मंत्रियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये भी यही विशेषाधिकार देना उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि हर समय ही उनका प्रशासन से सम्बन्ध रहता है और गत वर्षों के दौरान में यह देखा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उन का नैतिक स्तर काफी गिर गया है । इस सम्बन्ध में म दो संसदीय प्रकाशन अर्थात् लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का उल्लेख करता हूं जिन में यह दिखाया गया है कि केवल छोटे छोटे कर्मचारियों में ही नहीं अपितु

[श्री यू० सी० पटनायक]

बड़े बड़े कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार की भावना आ गई है और वे ही पदाधिकारी जो सरकार को धोखा देते हैं तथा अन्य अपराध करते ह, ऊंचा पद पा रहे हैं। लोक लेखा समिति के हाल ही के प्रतिवेदन से ज्ञात होगा कि दिल्ली के ही कुछ पदाधिकारियों ने करोड़ों रुपये की युद्ध सामग्री खरीदने में भारत सरकार का एक ही रात के अन्दर ४,००,००० पौंड का नुकसान कराया और अपनी जेबें भरीं। इन्हीं पदाधिकारियों की पदवृद्धि करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय हर एक पदाधिकारी से कहता है कि वह अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे, किन्तु यह ब्यौरा नाममात्र का होता है क्योंकि केवल अचल सम्पत्ति का ही ब्यौरा लिया जाता है, और उस पदाधिकारी का बैंक में कितना रुपया है, तथा उस के पास नकदी कितनी है, इस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। परिणाम यह होता है कि उनकी सम्पत्ति का ठीक अनुमान नहीं लग पाता। इसके अलावा भी एक दूसरी कठिनाई है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, १९४७, के अनुसार सम्पत्ति के आधार पर कुछ अनुमान तो लगाये जा सकते हैं; परन्तु उस सम्पत्ति की जब्ती के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, जिसका सीधा अर्थ भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना है। भ्रष्टाचार रोकने के लिये जो भी कदम उठाया जाता है, उसमें एक न एक ऐसी त्रुटि अवश्य रहने दी जाती हैं, जोकि भ्रष्ट कर्मचारियों की मदद करती हैं। इन सब के ऊपर अब सरकार ऐसा कानून बनान जा रही है जो भ्रष्ट पदाधिकारियों की और भी अधिक रक्षा कर सकेगा। सरकारी अभियोक्ता आरोपपत्र दर्ज करेगा जोकि सीधे सत्र न्यायालय में जायेगा। सत्र न्यायालय दूसरे मामलों की तरह उसका परीक्षण जूरी की सहायता से नहीं करेगा। सरकारी अभियोक्ता इन आरोप-पत्रों को छः महीने तक सत्र न्यायालय में दर्ज कर सकता है। समर्पण की प्रक्रिया हटा ली गई है। जांच इत्यादि नहीं की जायेगी। केवल आरोप पत्र के आधार पर ही मानहानि करने वाले व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिये कहा जायेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति केवल यही सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि उस ने सम्बन्धित व्यक्ति की कोई मानहानि नहीं की है और इस तरह प्रैस की भी कोई आलोचना नहीं कर सकेगा। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस खण्ड में से कम से कम मंत्रिगण और सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित उपबन्ध को निकाल दें, क्योंकि उनको अपने प्रत्येक कार्य के लिये जनता को आलोचना का उत्तर देना होता है। दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि छः महीने की बजाय तीन महीने का समय कर दिया जाये। इस प्रकार से सरकार देश का विश्वास प्राप्त कर सकेगी और अपना सद्भाव प्रदर्शित कर सकेगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व) : यद्यपि मैं यह अनुभव करता हूं कि जिस विधान पर चर्चा की जा रही है, वह बड़ा विचित्र है, परन्तु श्री यू० सी० पटनायक ने जो सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातें कहीं, वे मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आईं। इस में कोई सन्देह नहीं कि कुछ कर्मचारी भ्रष्ट होंगे, परन्तु इस आधार पर सारे कर्मचारियों को भ्रष्ट बता देना उचित नहीं है। अनेक माननीय सदस्यों की कटु आलोचनाओं को देखते हुए मैं इस उपबन्ध को आवश्यक समझता हूं।

प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस विधेयक के मूल उपबन्ध में बड़ा सुधार कर दिया है। बिना अधिपत्र के पकड़ लेना तथा ऐसे अन्य उपबन्ध हटा दिये गये हैं। एक विशेष उपबन्ध कर दिया गया है। अब सरकारी अभियोक्ता बदनाम किये गये व्यक्ति की ओर से अभियोग चलायेगा और शिकायत

दर्ज करेगा । यह क्योंकि एक विशेष विधि है, अतः इसके लिये एक विशेष प्रक्रिया, विशेष न्यायालय, और विशेष अभियोक्ता की आवश्यकता है । सरकार के दृष्टिकोण से अभियोक्ता की आवश्यकता इसलिये है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिगण तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारें में बहुत से गलत आरोप लगा दिये जाते हैं और बहुत सी गलत बातें कही जाती हैं । सरकार इन्हें रोकने के लिये कोई उपबन्ध करना चाहती है । मुझे इस का व्यक्तिगत अनुभव है कि छोटी छोटी किताबें अथवा पर्चे छपवाकर जनता में बांटे जाते हैं । बिना विधि के इन सब बातों को रोकना बड़ा कठिन है ।

एक ही मार्ग खुला हुआ है कि जिस व्यक्ति की मानहानि की गई हो वह मानहानि करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करे । परन्तु सरकारी कर्मचारियों के लिये यह चीज़ आसान नहीं है क्योंकि न्यायालय तक जाने के लिये उनके पास समय नहीं है । इन सब बातों को देखते हुए सरकारी अभियोक्ता का होना जरूरी है, परन्तु इस प्रकार के उपबन्ध में एक दोष अवश्य है, जिस की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ऐसे कर्मचारी भी हैं जोकि वस्तुतः भ्रष्ट हैं और जिनके प्रति सच्चे आरोप लगाये जाते हैं, सच्चे और ईमानदार कर्मचारियों की श्रेणी में आकर अपने को बचा लेते हैं । यदि उनको न्यायालय जाना पड़े, तब तो कुछ पोल खुले भी और उनको दण्ड मिले । परन्तु वे कभी न्यायालय जाते ही नहीं, क्योंकि वे कह देते हैं कि हम लाचार हैं, हमें बहुत से सरकारी काम करने हैं । इस दोष को देखते हुए इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । विधि यह है कि प्रतिवादी के शिकायत करने पर यदि अभियुक्त अपने आरोपों की सच्चाई सिद्ध कर देता है, तो वह दण्ड पाने से बच जायेगा । इस सम्बन्ध में भी मेरा यह सुझाव है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति लाया जा सके । इस के साथ साथ एक ऐसा उपबन्ध भी होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति के चाल-चलन की पूरी जांच की जा सके जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हों । न्यायालय को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह आरोप की सच्चाई की पूरी पूरी जांच कर सके ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इस उपबन्ध को भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है जिसमें एक न्यायाधिकरण के द्वारा इन सब मामलों की पूरी जांच की जा सके और धांधली का भण्डाफोड़ करने वाले को कटघरे में भी न लाया जाये ?

पंडित भुनेश्वर दत्त उपाध्याय : मैंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है कि वह उपबन्ध यहां हो अथवा अन्यत्र । मेरा तो केवल यह निवेदन है कि इस प्रकार का एक उपबन्ध अवश्य होना चाहिए, जिससे आरोपों की सच्चाई जानने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी के सदाचार की नियमित रूप से जांच की जा सके । आरोपों के सिद्ध हो जाने पर न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय को यह प्राधिकार होना चाहिए कि वह उसी कार्यवाही के अन्दर सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को दण्ड भी दे सके । इस प्रकार का उपबन्ध करने से मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार हो जायेगा अन्यथा जैसा कि मेरे मित्र श्री पटनायक ने कहा भ्रष्टाचार को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, आलोचना नहीं हो सकेगी, और लोग सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ भी कहते हुए डरेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उन के आरोप चाहे कितने ही सत्य क्यों न हों, परन्तु एक दम वे उन को सिद्ध नहीं कर सकेंगे और वे स्वयं ही फंस जायेंगे । अतः मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले न्यायालय को ही जायें, जहां उनका उचित निर्णय हो सके और जो वास्तविक दोषी है वह दण्ड का भागी हो सके ।

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

दूसरी बात मैं खण्ड ९७ के बारे में कहना चाहता हूं। धारा ५०३ के अनुसार न्यायालय कुछ अधिकारियों के साक्ष्य के लिये कमीशन जारी कर सकता है। किन्तु यदि आप इस में कुछ अधिकारियों के नाम लिख देंगे तो न्यायालय उन के अतिरिक्त औरों के लिये कमीशन नहीं जारी करेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि यहां कोई नाम दर्शाने वाला उपबन्ध नहीं होना चाहिये। यदि आप किन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख ही करना चाहते हैं, तो ऐसे अन्य लोगों को भी रखा जाना चाहिये, जो अन्यथा अधिक कामों में लगे रहने के कारण साक्ष्य आदि के लिए उपस्थित नहीं हो सकते जैसे कि मंत्री, उपराज्यपाल आदि।

अन्त में मैं खंड ११४ के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। इसे इसी प्रकार रखा जाये। इस में अधिपत्र के बिना किसी को पकड़ा नहीं जा सकता और इस अभियोग में जमानत भी दी जा सकती है। और इस प्रकार के अभियोग में अभियुक्त को बचाव का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इसके बाद इस में कारावास भी सादा ही है। यह सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में है और सार्वजनिक अभियोक्ता अभियोग लगाता है। मेरी प्रार्थना तो यह है कि इस विशेष विधि के लिए प्रक्रिया भी विशेष ही होनी चाहिए।

श्री एन० एस० जैन : श्रीमान्, मैं इस खंड का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार में इस खंड से उल्लिखित व्यक्तियों तथा जनता दोनों का ही हित होगा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि क्यों कुछ सदस्य हमारी सेवाओं की इस प्रकार निन्दा कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : योजना आयोग ने भी इस बात का उल्लेख किया है।

श्री एन० एस० जैन : जी हां, किन्तु हमें किसी भी बात को प्रकट करने के लिए थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दुनिया के किस देश में भ्रष्टाचार नहीं है? हमें अपनी इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या अमेरिका और चीन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है?

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : क्या इस का अभिप्राय यह है कि यहां भी भ्रष्टाचार रहे?

श्री एन० एस० जैन : मैं मानता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार है, परन्तु किस मात्रा तक है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, यदि ऐसा है, तो संसद् सदस्य भी भ्रष्टाचारी ही हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सेवाओं को यहां चित्रित किया जा रहा है वह तरीका श्रेयस्कर नहीं है। एक सदस्य ने कहा कि इसी प्रकार चीन में भी क्रान्ति हुई थी और वहां भी ऐसी ही दशा थी।

मुझे विश्वास है कि भारत की स्थिति वैसी नहीं होगी क्योंकि हमारी सरकार सोच-समझ कर कार्य कर रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

किसी मात्रा तक तो निन्दा उचित होती है, किन्तु सीमा से बाहर की बातें हमें संसार भर में अपयश दिलाती हैं।

श्री वेलायुधन : क्या किसी अन्य लोकतंत्र राज्य में ऐसी विधि है?

श्री एन० एस० जैन : मैं आपको उस सम्बन्ध में भी बताऊंगा। जसा कि मैंने कहा है कि इस देश में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अन्य देशों में नहीं हैं, जैसे कि हमारे यहां धारा १६२ है किन्तु अन्य किसी देश म नहीं है। विभिन्न देशों में सदैव विभिन्न विधियां होती हैं।

एक बात यह है जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ माननीय

सदस्यों ने कहा है कि इस संशोधन के बाद स्थिति बदल जायेगी। यदि कोई लेख आज अपमानजनक लेख नहीं है, तो क्या इस संशोधन के बाद वह अपमानजनक लेख बन जायगा ? हम तो केवल प्रक्रिया में परिवर्तन कर रहे हैं।

तो इस प्रक्रिया से प्रैस की स्वतंत्रता किस प्रकार से कम होगी ? हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। अतः मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मानहानि सम्बन्धी विधि का अध्ययन करें, फिर उन्हें पता लग जायेगा कि इस संशोधन के स्वीकार होने से कोई भी अन्तर न पड़ेगा। एक साथी कह रहे थे कि कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार प्रकट न कर सकेगा और इस संशोधन के स्वीकार होने के बाद उसे बन्दी किया जा सकेगा। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय एक ऐसे व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है ?

यदि आप भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९ को पढ़ें तो उससे आपको पता लगेगा कि 'मानहानि' की परिभाषा में कुछ अपवाद भी रखे गये हैं। उसमें बताया गया है कि यदि कोई आरोप सत्य है और लोकहित में है तो वह मानहानि नहीं है।

श्री नंद लाल शर्मा : भारतीय दंड संहिता की धारा ४९९।

श्री एन० एस० जैन : जी हां। उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री वी० जी० देशपांडे : कितनी बड़ी रियायत है !

श्री एन० एस० जैन : इस के प्रति विस्मय की आवश्यकता नहीं है। यह मामला विधि का है कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम मानहानि सम्बन्धी विधि में संशोधन नहीं कर रहे हैं। यदि आज किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त है, तो वह इसके बाद भी रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत सीधी-सादी है। हम सामान्य अवमान विधि को संशोधित नहीं कर रहे। यह उपबन्ध केवल कतिपय अधिकारियों के लिये है जैसे कि राष्ट्रपति और मंत्री आदि। अवमानित व्यक्तिके लिए सार्वजनिक अभियोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। यदि कोई अवयस्क है अथवा पागल है तो उसका संरक्षक मुकदमा चला सकता है और वयस्क तो स्वयं ही कर सकताहै। अब विशेष मामलों में सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया है। इस मामले में दो दृष्टिकोण हैं। सरकारी अधिकारी अभियोगों का उत्तर देने में टाल मटोल करता हो और सरकार का भी यह विचार हो कि लोकहित के निमित्त ठीक ढंग से शिकायत दर्ज करवायी जाये। इस विधेयक म कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी अधिकारी के साक्ष्य देने पर रोक लगाती हो। दूसरा कारण उस अवमानित अधिकारी को गुप्त रखना भी है। वर्तमान विधि के अनुसार भी यदि कोई अवमानित अधिकारी सफल हो जाये तो वह अपना खर्च ले सकता है।

यह बात छोटी सी है कि यदि कोई अधिकारी स्वयं शिकायत न करना चाहे हो सरकार अपने सरकारी अभियोक्ता द्वारा यह कार्य करा सकती है। यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह निर्णय करे कि शिकायत करनी चाहिए अथवा नहीं। यदि सरकार आवश्यक समझे तो अभियुक्त को साक्षी से जिरह करने का अधिकार दे सकती है।

मेरे विचार में विशेष अभियोगों में लोक प्रशासन के हित में उस व्यक्ति को न्यायालय में लाया जायगा।

श्री एस० एस० मोरे : क्योंकि आपने हस्तक्षेप किया है अतः मैं एक विशेष मामल

[श्री एस० एस० मोरे]

यहां लेना चाहता हूं जैसे कि वैंकटरामन क मामला है।एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्षा आरम्भिक जांच हुई थी और अब अभियोजन हुआ है । इसी प्रकार से एक तरीका यह भी अपनाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि आज एक अवमानित व्यक्ति दूसरे को कटघरे में बुला सकता है ।

श्री एस० एस० मोर : वह अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले कर न्यायालय तो जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां भी जो व्यक्ति पुलिस की सहायता ले उसे बरी तरह से अभियोजित किया जा सकता है। सारे दंडनीय अभियोगों में दंडाधिकारी धारा २०२ के अन्तर्गत आरम्भिक जांच की आज्ञा दे सकता है, किन्तु यह अभियोग हस्तक्षेप्य नहीं है । धारा २०२ के अधीन मामला किसी अन्य दंडाधिकारी अथवा पुलिस को अनुसंधान के लिए दिया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सुझाव तो अच्छा है, किन्तु सत्र न्यायाधीश इस धारा के अन्तर्गत कायवाही नहीं कर सकता ।

श्री बोगावत : शिकायत करने वाला सरकार पर अपन व्यय का भार क्यों डाले । बचाव का खर्च अभियुक्त पर डालना चाहिए।

श्री एन० एस० जैन : क्या यह प्रवर समिति की बैठक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिए हूं । माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था । मुझे हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है ।

माननीय सदस्य को अध्यक्ष की आज्ञा माननी चाहिए । मैं इसके विरोध या पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, किन्तु मैं तो कठिनाइयों की व्याख्या कर रहा हूं । मैं यह समझता हूं कि मतदान से पूर्व प्रत्येक सदस्य इस बात को समझ जाये । अन्यथा मतदान से लाभ कोई नहीं होगा । जहां भी कोई कठिनाई हो, वहां उसकी व्याख्या करना मेरा कर्तव्य है ।

माननीय सदस्य को कुछ कहने का अधिकार नहीं है । प्रत्यक सदस्य को तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब नये नियमों के अनुसार अध्यक्ष को वाद-विवाद का पथप्रदर्शन करने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल कठिनाइयों को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं और यह नहीं कहा जा सकता कि मैं सरकार के पक्ष में अथवा विरोध में बोल रहा हूं ।

श्री दातार : श्रीमान्, क्या मैं यह बता सकता हूं कि यह बात जो आपने कही है, सरकार भी उसी पर विचार कर रही है । सरकार अधिक से अधिक मात्रा तक संसद् सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करना चाहती है अतः हम उस संशोधन पर जितना भी संभव है सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां चर्चा अनावश्यक हो हमें उसे छोड़ देना चाहिए ।

श्री एन० एस० जैन : मैं अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के अधिकार के विरुद्ध नहीं कह रहा था मैं तो अन्य सदस्यों के इस प्रकार हस्तक्षेप करने के विरुद्ध कह रहा था ।

मैं यह कह रहा था कि अवमान का मामला तो वैसे ही रहेगा किन्तु शिकायत किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित की जायेगी, किन्तु अवमानित व्यक्ति की साक्षी के रूप में उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिये यही मेरा संशोधन है ।

सरकार श्री साधन गुप्त के संशोधन पर भी विचार कर रही है और इसी प्रकार अन्य संशोधनों पर भी जो धारा २५० के समान प्रतिकर देने वाले हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्यों की यह बात नहीं समझ सका कि इस संशोधन से किस प्रकार प्रैस की स्वतंत्रता नष्ट हो जायेगी। उत्तर केवल यही है कि शिकायत एक सरकारी अभियोक्ता द्वारा की जायेगी। अवमानित अधिकारी स्वयं साक्षी होगा और उस पर जिरह भी हो सकेगी। यदि वह स्वयं ही अभियोक्ता हो तो भी परिणाम वही निकले। वास्तव में सत्रों में कई बार कई बातें मंत्रियों तथा अधिकारियों के बारे में निकल जाती हैं। कल इस प्रकार का एक उदाहरण मैंने दिया ही था। यदि इस प्रकार किसी भी बात को लोगों में प्रचलित होने दिया जाये तो इसका प्रभाव क्या होगा? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि कोई बात किसी ने लिखी है और उसमें कोई सच्चाई है तो उसे उस बात को सिद्ध करने का अवसर दिया जाये। यदि ऐसी बात किसी को अपमानित करने के लिए लिखी गई है तो उसके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को छः मास के भीतर मुकदमा चलाना चाहिए। अन्यथा यदि सरकार मुकदमा न चलाये तो कोई उत्तरदायी व्यक्ति सरकार को कार्यवाही करने के लिए लिखे और यह तरीका होना चाहिए जिससे कि स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाये। अभी तक ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है। यदि आज हम किसी मंत्री को किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहते हैं तो हम से प्रमाण मांगा जाता है और जब हम कहते हैं कि पत्रों में उसके विरुद्ध छपा है तो कह दिया जाता है कि यह सब व्यर्थ है। और वह अधिकारी स्वयं पत्र के विरुद्ध कार्यवाही कर नहीं सकता क्योंकि वह कोई सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता है। किन्तु इस संशोधन के बाद यदि कोई ऐसी बात होती है तो हम सरकार को अभियोग चलाने के लिए कह सकते हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि पहले जब कोई अपमानित अधिकारी किन्हीं कारणों से न्यायालय में अभियोग नहीं चलाता था तो अब सरकार वह काम करेगी और जहां पर वह अधिकारी अपनी ईमानदारी सिद्ध कर सकेगा। अतः मैं नहीं समझ सकता कि अब उसे सरकारी अभियोक्ता के द्वारा आने से कैसे लाभ हो सकेगा। पुलिस तो कोई अनुसंधान नहीं करेगी। केवल सरकारी स्तर पर अनुसंधान होगा। अब सरकार ऐसे अभियोग चलाने की मंजूरी देने के अर्द्ध प्राधिकारी के स्तर के सम्बन्ध में विचार कर रही है। सरकार अभियोग चलाने से पूर्व जांच कर सकती है और यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

आखिर तथ्यों की जांच किये बिना तो शिकायत संस्थित नहीं की जायेगी। अब प्रक्रिया अधिक लाभदायक हो रही है और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अच्छी तरह कार्यवाही की जा सकेगी। मेरे विचार में यदि वे सद्भावना से यह सिद्ध कर दें कि उनके पास किसी एक अधिकारी को भ्रष्ट समझने के सच्चे प्रमाण तो उन्हें अवमान विधि के अधीन संरक्षण प्राप्त होगा।

मेरे विचार में अभियुक्त की अवस्था ठीक पहले जैसी ही रहेगी। यह कहा गया है कि हम सरकारी नौकरों को अनावश्यक संरक्षण दे रहे हैं और यह संरक्षण केवल मंत्रियों के स्तर तक ही दिया जाये। किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि इस से सरकार के हाथ बंध जाते हैं। यदि सरकार छः मास तक कार्यवाही संस्थित नहीं करती तो हम यहां इस सभा में कह सकते हैं कि देखिये अमुक पत्र में इस अधिकारी के विरुद्ध अवमान लेख है और आपने अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है अतः यह अवमान आरोप सत्य है। अतः सरकारी नौकर को इस खंड में अवश्य ही सम्मिलित किया जाये।

खंड ९७ के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि

[श्री एन० एस० जैन]

राष्ट्रपति, राजप्रमुख, आदि में अनावश्यक विभेद किया जा रहा है कि वे स्वयं आ कर किसी न्यायालय के सामने उपस्थित न हों। यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश प्रशासन में भी ऐसा कोई विभेद नहीं था।

यदि आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १३३ को देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि राज्य सरकार सरकारी पत्र में एक अधिसूचना से किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने से मुक्त कर सकती है जो सरकार की राय में उस विशेषाधिकार का हक़दार हो। यहां तो हम सरकार की शुभेच्छा पर भी कोई बात नहीं छोड़ रहे। जहां तक दंड न्यायालय का सम्बन्ध है तो राजप्रमुख कोई अभियुक्त नहीं है। यदि आप राष्ट्रपति, राजपाल अथवा किसी राजप्रमुख को साक्षी के रूप में बुलाना चाहते हों तो व्यवहार न्यायालय तथा दंड न्यायालय के साक्षी में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक इस उपबन्ध का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह आवश्यक है क्योंकि इतने कार्यव्यस्त लोगों के लिये दूसरे, तीसरे महीने साक्षी के रूप में किसी न्यायालय में जाना असंभव है। आखिरकार, हमारी संस्कृति में प्रतिष्ठा का भी तो कोई स्थान है ही। ये साम्यवादी कुछ भी कहें, किन्तु हम अपने मंत्रियों आदि को प्रतिष्ठित व्यक्ति समझते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में सर्व प्रकार से समान नहीं होते। यह कभी हो भी नहीं सकता। जहां तक मैं जानता हूं साम्यवादियों के स्वर्ग साम्यवादी रूस में भी उच्च तथा निम्न वर्ग में इस प्रकार का विभेद है, उच्च तथा निम्न वर्ग के लोगों के वेतनों में बहुत अन्तर है। हम ने स्टालिन को कभी एक साधारण व्यक्ति के समान जनता के सामने आते नहीं सुना।

श्री नंदलाल शर्मा : विधि के समक्ष समानता।

श्री एन० एस० जैन : यही विधि के समक्ष समानता है। हमें अनावश्यक रूप से ऐसी बातें नहीं घसीटनी चाहियें जिन में कोई सार न हो। मैं इस संशोधन को उचित और आवश्यक समझता हूं और सभा को इसे इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लेना चाहिये कि अपमानित व्यक्ति अभियोक्ता पक्ष का एक आवश्यक साक्षी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जो संशोधन अभी तक प्रस्तावित नहीं हुए हैं वे अब रखे जा सकते हैं।

खंड २५

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०६, ५२६, १०८ और ११०
श्री एन० सी० चटर्जी	३१६, ३१७, २२२ और ३१८

खंड ९७

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या ५३६ का प्रस्ताव किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब संशोधन सभा के सामने हैं। इस प्रकार के इतने बड़े वाद-विवाद में सभी भागों के माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री यू० एस० दुबे : उपाध्यक्ष महोदय में इस २५वें क्लाज़ में जो एमेन्डमेन्ट वेंकटरामन साहब ने मूव किया है उसके साथ उसकी ताईद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका सारांश क्या है ?

श्री यू० एस० दुबे : उसका सारांश में अपनी स्पीच के दौरान में बता दूंगा। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस क्लाज़ के ऊपर बड़ा बावेला हुआ। कहा यह गया कि

यह क्लाज़ एक बिल्कुल नया क्लाज है और नये क्लाज के द्वारा गवर्नमेन्ट की और सरकार के सारे अहलकारों की बचत की कोशिश की जा रही है और जो भ्रष्टाचार उनमें फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार के आरोप से उनको बचाने की सरकार की पूरे तरीके पर इच्छा है । इसी वजह से यह क्लाज़ आया है या कम से कम इस क्लाज़ का नतीजा यही पैदा होगा । इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया । मेरी गुजारिश है कि यह चीज़ बिल्कुल उसकी उल्टी है । बात यह है कि जो दलीलें विभिन्न मेम्बरों ने अपने व्याख्यानों में यहां दी हैं वास्तव में वही सारी की सारी इस बात की वजह हैं कि गवर्नमेन्ट को क्यों इस ऐक्ट में संशोधन को लाना पड़ा ।

एक चीज़ से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस देश के भीतर, जब से हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई, उस स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारे कुछ सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार की मात्रा काफी तादाद में हो गई, साथ ही इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस भ्रष्टाचार को जितना वह है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत लोगों में है । अब प्रश्न यह है कि इसको रोका कैसे जाय ? मेरा खयाल है कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य की यह धारणा है कि हमारे सरकारी अफसरों के बीच में से, या सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनके बीच से भ्रष्टाचार को हटाया जाय । साथ ही यह भी धारणा है कि देश में एक इस तरह का वातावरण पैदा किया जाय कि खामखाह लोगों में यह आदत न पैदा हो कि वह किसी सरकारी अफसर के विरुद्ध बिला वजह किसी चीज़ को ज़रूरत से ज्यादा बढ़ाचढ़ा कर कहें । इस चीज़ का हल निकालने की सरकार की और इस सदन के सभी सदस्यों की इच्छा है तब प्रश्न यह है कि इसका क्या प्रबन्ध किया जाय । कुछ लोगों का कहना है कि इसके लिये कोई अलग तरीका सोचा जाय, किसी जांच का, या प्रासिक्यूशन का, या किसी प्रकार से कोई नया ट्रिब्यूनल बनाने का । पर फिर सवाल आ कर पैदा हो जाता है कि आखिर वह जांच किसके द्वारा होगी ? इस जांच के बाद फिर सरकार की जो एजेन्सी है, वह वही एजेन्सी है जिस एजेन्सी के बारे में आपकी इतनी शिकायतें हैं । और मेरा ख्याल है कि इस सदन के जो कांग्रेसी सदस्य बोले या विरोध पक्ष के सदस्य बोले, सब का राग एक ही सा मिलता हुआ नजर आया । तो इस पर क्या किया जाय ? यह कह देना आसान है कि साहब, यह आदमी रिश्वत लेता है, यह बेईमानी से काम करता है, या यह किसी गलत ढंग से काम करता है, जिससे कि शासन की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, जिससे इस मुल्क की गवर्नमेन्ट नीची होती है, दुनिया में एक वातावरण ऐसा पैदा होता है जिस वातावरण में यहां के जितने सरकार के आदमी हैं वह नीची निगाह से देखे जाते हैं । यह एक अम्र मुसल्लमा है कि यह चीज़ पैदा हो जाती है, इसके दूर करने के सिलसिले में.....

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य कुछ और समय लेंगे ?

श्री यू० एस० दुबे : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार ३० नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—512 LSD—14 5 55—000